सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

(2002 – 2007)

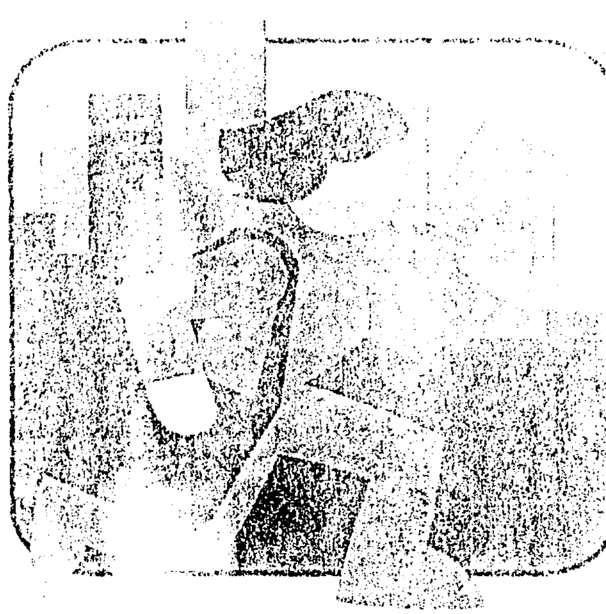

जनपद – बागपत

अनुक्रमणिका

जनपद बागपत

क0सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	जिले की पृष्ठ भूमि	1 - 7
2	शैक्षिक परिदृश्य	8 - 30
3	नियोजन प्रक्रिया	31 - 48
4	सर्व शिक्षा अभियान	49 - 55
5	समस्याएँ एवं रणनीतियां	56 - 61
6	शिक्षा की पहुंच का विस्तार(नवीन विद्यालय)	62 - 68
7	शिक्षा की पहुंच का विस्तार (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	69 - 93
8	ठहराव में वृद्धि	94 - 136
9	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	137 - 190
10	परियोजन प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	191 - 203
11	परियोजना लागत	
12	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	

अध्याय–1

जनपद की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

जनपद बागपत एक नव सृजित जनपद है जिसका सृजन पूर्व जनपद मेरठ से अलग होने पर सितम्बर 1997 को हुआ। जनपद बागपत को पूरब में हिन्डन नदी मेरठ से अलग करती है। जनपद बागपत हिन्डन और यमुना नदी के दोआब में स्थित है। जनपद का भैगौलिक क्षेत्रफल 1246.6 वर्ग किलोमीटर है।

जनपद में कुल तीन तहसील, 6 विकास खण्ड हैं, 46 न्यायपंचायतें व 237 ग्राम सभाऐं तथा 287 ग्राम हैं। जनपद की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार अनुमानित 1160394 है जिनमें 627886 पुरुष और 532508 महिलायें हैं।

जनपद बागपत उत्तर में जनपद मुजफ्फरनगर,पूरब में जनपद मेरठ, दक्षिण में जनपद गाजियाबाद तथा पश्चिम में जनपद सोनीपत(हरियाणा प्रदेश) की सीमाओं से घिरा हुआ है। जनपद बागपत भारत की राजधानी दिल्ली से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा की ओर है।

देश की आजादी की कान्ति का शंखनाद करने वाले बाबा शाहमल की त्यागमयी व बलिदानी भूमि से अनेक शौर्य गाथाऐं जुड़ी है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का धनी समूचा बागपत जनपद किसी तीर्थस्थली से कम नहीं है। पावन तीर्थ पुरामहादेव से करोडों हिन्दुओं की भावनाऐं जुडी हैं। हिन्डन नदी के किनारे एक टीले पर शिव मन्दिर है जिसकी स्थापना किवंदती हे कि भगवान परशुराम ने की थी। खेकडा कस्बे से 6 कि0मी0 की दूरी पर स्थित वडा गांव दिगम्बर जैन समाज का महत्वपूर्ण स्थान है यहां पर भगवान पार्श्वनाथ की पौराणिक प्रतिमा की भव्यता की छटा निराली है। धार्मिक संस्कृति की दृष्टि से बालैनी गांव का अतीत भी कम गौरवमयी नहीं है इसी स्थली पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी सीताजी ने अपने वनवास का अवधि प्रवास किया, यही लव और कुश की जन्मस्थली भी है। सूर्य पुत्री यमुना नदी के पूर्वी

किनारे पर स्थित बागपत का पौराणिक नाम वकरस्थल था। कहा जाता है कि महाभारत में पांडवों द्वारा मांगे गये पांच गांवों में वकरस्थल भी एक था । बागपत में ही यमुना नदी के किनारे स्थित पक्का घाट का भी श्रद्धालुओं की भक्ति से जुडाव है। दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर सरुरपुर गांव के समीप गुफावाले बाबा का ऐतिहासिक मन्दिर है। बिनौली के पूर्वी भाग को लश्कर के नाम से जाना जाता है जहां मुगलों की सेना (लश्कर) का पडाव होता था। दिगम्बर जैन समाज का अतिशय क्षेत्र बरनावा भक्ति का अटूट केन्द्र है। बरनावा का पौराणिक नाम दर्णाव्रत है जिसका उल्लेख महाभारत में है यहीं पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने साजिश के तहत लाक्षाग्रह बनवाया । बडौत छपरौली मार्ग पर स्थित मलकपुर गांव में दिगम्बर जैन अतिशय मन्दिर तथा कुन्ती नगर (कोताना) समेत धार्मिक एवं ऐतिहासिक संस्कृति बागपत जनपद के अनेक स्थानों का गौरवमयी अतीत है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौ0चरण सिंह की कर्मस्थली भी रहा है।

जनपद बागपत में अधिकांश व्यक्तियों का पेशा कृषि है। यहां की मुख्य फसलें गन्ना,गेहूं व धान हैं। जनपद में तीन चीनी मील, खंडसारी उद्योग भी प्रमुख हैं। जनपद में पशुचालित वाहन रिन धुरें आदि भी बनते हैं जनपद में ईंट भट्टों की भी बहुतायत है। यहां की ईंटें प्रमुख रूप से दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में जाती है । जनपद [illegible] का राजा आम अपनी विश्वप्रसिद्ध किस्म रटौल के लिए विख्यात है। आम के साथ–साथ यहां पर अंगूर व आडू की खेती भी प्रमुख है।

जनपद में दर्शनीय स्थल भी प्रमुख हैं जिसमें पुरामहादेव का मन्दिर, महर्षि बालमिकी मन्दिर बालैनी, महाभारत में वर्णित लाक्षाग्रह बरनावा में स्थित है। बडागांव(खेकडा) में एतिहासिक जैन मन्दिर भी प्रसिद्ध है।

जनपद बागपत में तीन तहसील हैं जिनके नाम बागपत, बडौत व खेकडा हैं। जनपद में 6 विकास खण्ड हैं जिनके नाम बागपत,बडौत,बिनौली, पिलाना खेकडा द छपरौली है। जनपद में कुल 46 न्यायपंचायत व 237 ग्राम सभाऐं हैं। इन ग्राम सभाओं के अन्तर्गत कुल 287 ग्राम हैं। जनपद में दो नगरपालिका बडौत और बागपत हैं इसमें 8 टाउन एरिया हैं जो छपरौली, टीकरी, दोघट,बडौत,बागपत,टटीरी,अमीनगरसराय तथा खेकडा हैं यहां कुल वार्डो की संख्या 486 हैं।

जनपद की प्रशासनिक इकाईयां तालिका–1.1

क0सं0	ग्रामीण क्षेत्र	संख्या
1	तहसील	03
2	विकास खण्ड	06
3	न्यायपंचायत	46
4	ग्राम सभाऐं	237
5	राजस्व ग्राम	287
6	बस्तियों की सं0	287
	नगर निगम	–
	नगरपालिका	02
	नगरमहापालिका	–
	टाउन एरिया	08
	वार्ड	486

स्रोत –सांख्यकीय पत्रिका जनपद बागपत वर्ष 1999

बागपत की वर्ष 2001 की अनुमानित जनसंख्या 1160394 है जिसमें 627886 पुरुष तथा 532508 महिलायें है जनपद की 1991–2001 की दशकीय वृद्धि दर 13 प्रति0 है जनपद में पुरुष–महिलाओं का लिंग अनुपात 100:848 है जनपद का जनसंख्या घनत्व 930 व्यक्ति प्रति कि0मी0 है बागपत में अनुसूचित जाति के पुरुषों की जनसंख्या 79917 तथा अनुसूचित महलिाओं की जनसंख्या 69238 है इस प्रकार अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 149155 है जो कुल जनसंख्या का 12.8 प्रतिशत है अल्प संख्यकों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 29.4 प्रतिशत है बागपत में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 19.7 प्रतिशत है बागपत में 80.3 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है

जनपद की जनसंख्या

तालिका–1.2

2001 के अनुसार अनुमानित	पुरुष–627886
	महिला–532508
	योग– 11,60,394
वृद्धि दर	13 प्रतिशत (1991–2001)
लिंग अनुपात	1000 पुरुषों पर 848 महिलाऐं
जनसंख्या घनत्व	930 व्यक्ति प्रति वर्गकिलोमीटर
अनुसूचित जाति	पुरुष– 79917
	महिला –69238
	योग–149155
अल्प संख्यक वर्ग	29.4 प्रतिशत

नगरीय जनसंख्या	19.7 प्रतिशत
ग्रामीण जनसंख्या	80.3 प्रतिशत

स्रोत–साहित्य पब्लिकेशन आगरा द्वारा प्रकाशित पुस्तक जनसंख्या 2001

बागपत में कुल 6 विकास खण्ड है इन विकास खण्डों में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बडा विकास खण्ड बडौत है जिसकी जनसंख्या 201399 हे दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से विकास खण्ड बिनौली है जिसकी जनसंख्या 186419 है विकास खण्ड पिलाना की जनसंख्या 144288 है जो जनपद में इस दृष्टि से तीसरे स्थान पर है विकास खण्ड बागपत की जनसंख्या 142388 है जो इस दृष्टि से चौथे स्थान पर है विकास खण्ड छपरौली का स्थान पांचवा है तथा इसकी जनसंख्या 130922 है विकास खण्ड खेकडा जनपद का सबसे छोटा विकास खण्ड है जिसकी जनसंख्या 1261[illegible] है।

विकास बिनौली में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 23276 है जो जनपद में सर्वाधिक है विकास खण्ड बडौत मे अनुसूचित जाति की जनसंख्या 23076 है जो इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर है विकास खण्ड पिलाना में 20924 अनुसूचित जाति जनसंख्या लेकर तृतीय स्थान पर है विकास खण्ड खेकडा में अनुसूचित जाति जनसंख्या 19406 है जो चौथे स्थान पर है विकास खण्ड बागपत अनुसूचित जाति जनसंख्या 16300 लेकर पांचवे स्थान पर है विकास खण्ड छपरौली में अनुसूचित जाति जनसंख्या 12879 है जो जनपद में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला विकास खण्ड है।

जनपद में 8 टाउन एरिया है इनमें जनसंख्या की दृष्टि से नगर क्षेत्र बडौत सबसे बडा है जिसकी जनसंख्या 85511 है जनपद में अमीनगरसराय टाउन एरिया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है जिसकी जनसख्या 10080 है। राज्य साक्षरता दर प्रतिशत की तुलना में जनपद बागपत उत्तर प्रदेश में 40 वें स्थान पर है

विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार जनसंख्या

तालिका–1.3

क0 सं0	विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या 2001					
		कुल जनसंख्या			अनु0 जा0 की जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बडौत	109720	91679	201399	12607	10469	23076
2	छपरौली	70995	59927	130922	7085	5794	12879
3	बिनौली	101285	85134	186419	12711	10565	23276
4	बागपत	77110	65278	142388	7742	8558	16300
5	खेकडा	68653	57544	126197	10614	8792	19406
6	पिलाना	77619	66669	144288	11611	9313	20924
	योग	505382	42623	931613	62370	53491	115861
	नगरक्षेत्र का नाम						
1	छपरौली	9628	8054	17682	1375	1193	2568
2	टीकरी	7258	6082	13340	1082	901	1983
3	दोघट	7000	6115	13115	1000	906	1906

4	**बडौत**	45666	39845	85511	6525	5905	12430
5	बागपत	19297	17167	36464	2757	2544	5301
6	टटीरी	6503	5980	12483	929	886	1815
7	अमीनगर सराय	5298	4782	10080	757	708	1465
8	खेकडा	21854	18252	40106	3122	2704	5826
	योग	122504	106277	228781	17547	15747	33294
	महायेाग	627886	532508	1160394	79917	69238	149155

अध्याय–2

शैक्षिक परिदृश्य

जनपद बागपत में मार्च 2001 से जिला प्रशासनिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0–।।।) का शुभारम्भ हुआ है जिसके अन्तर्गत शिक्षा की पहुंच का विस्तार, ठहराव,गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रबन्ध क्षमता में विकास के विशिष्ट उददेश्य रखे गये हैं। जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रथम वर्ष पूर्ण हो चुका है जिसमें 4 नवीन विद्यालयों 40 जर्जर भवनों का पुर्ननिर्माण 46 न्याय पचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण 200 प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण, 6 ब्लाक संसाधन केन्द्रों का निर्माण तथा 228 अतिरिक्त कक्षा कक्षें का निर्माण कराया जा चुका है जिससे शैक्षिक प्रगति की गति तेज करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमान्तर्गत सभी वर्गो का शत प्रतिशत नामांकन,ठहराव,गुणवत्ता में समुचित वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि विदित है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम मात्र कक्षा–1 से कक्षा–5 तक के सभी बच्चों को शिक्षित करने के उददेश्य से आरम्भ किया गया है। जबकि सर्व शिक्षा अभियान का उददेश्य कक्षा–1 से कक्षा–8 तक के सभी बच्चों को शिक्षित करना है। तदनुसार जनपद में अप्रेल 2002 से सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

जनपद बागपत में 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत 62.5 था जबकि ग्रामीण महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 28 था इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र का कुल साक्षरता प्रतिशत 47 था।

नगरक्षेत्र में पुरुषों की साक्षरता दर का प्रतिशत 70.6 तथा नगरीय महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 44.1 था इस प्रकार कुल नगरीय साक्षरता 58.4 थी नगर और ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर जनपद में पुरुषों की साक्षरता दर 63.9 तथा महिला साक्षरता दर 31 प्रतिशत थी जनपद की कुल साक्षरता दर 49 प्रतिशत थी।

वर्ष 1991 की जनगणनानुसार जनपद की साक्षरता दर

तालिका–2.1

ग्रामीण पुरुष	62.5 प्रति0
ग्रामीण महिला	28.0 प्रति0
कुल	47.0 प्रति0
नगरीय पुरुष	70.6 प्रति0
नगरीय महिला	44.1 प्रति0
कुल	58.4 प्रति0
जनपद के पुरुष	63.9 प्रति0
जनपद की महिला	31.0 प्रति0
कुल साक्षरता दर	49.0 प्रति0

स्रोत–जनपद की सांख्यिकी पत्रिका 1999

जनपद की कुल साक्षरता दर वर्ष 2001 के अनुसार 46.7 प्रतिशत है जिसमें ग्रामीण साक्षरता 53.44 तथा नगरीय साक्षरता 58.54 प्रतिशत है नगर व ग्रामीण क्षेत्र को मिला कर कुल पुरुष साक्षरता दर 50.88 तथा महिला साक्षरता दर 41.83 प्रतिशत है जनपद में अनुसूचित जाति के पुरुषों की साक्षरता दर 43.38 तथा महिलाओं की साक्षरता दर 31.74 है कुल अनुसूचित जाति का साक्षरता दर 37.56 प्रतिशत है ।

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर साक्षरता दर

तालिका--2.2

जनपद की साक्षरता दर (जनसंख्या 2001)		दर
कुल साक्षरता		46.73 प्रति0
ग्रामीण साक्षरता		53.44 प्रति0
नगरीय साक्षरता		58.54 प्रति0
कुल पुरुष साक्षरता		50.88 प्रति0
कुल महिला साक्षरता		41.83 प्रति0
अनुसूचित जाति साक्षरता	पुरुष	43.38 प्रति0
	महिला	31.74 प्रति0
	कुल	37.56 प्रति0
ग्रामीण पुरुष साक्षरता		64.93 प्रति0
ग्रामीण महिला साक्षरता		39.82 प्रति0
नगरीय पुरुष साक्षरता		66.40 प्रति0
नगरीय महिला साक्षरता		49.49 प्रति0

विकास खण्डवार साक्षरता दर वर्ष 2001 तालिका–2.3

क0 स0	विकास खण्ड	साक्षरता दर (प्रतिशत में)			अनुसूचित जाति (प्रतिशत में)		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	बड़ौत	63.45	37.99	50.72	42.52	29.45	35.98
2	छपरौली	61.20	32.55	46.87	40.24	27.55	33.89
3	बिनौली	61.42	34.45	47.93	41.45	28.72	35.08
4	बागपत	66.43	42.40	54.41	42.12	30.78	36.45
5	खेकड़ा	66.47	41.95	54.21	41.54	30.23	35.88
6	पिलाना	63.23	40.24	51.73	40.78	29.76	35.27

नगर क्षेत्रवार साक्षरता तालिका–2.4

क0 स0	नगरक्षेत्र का नाम	साक्षरता दर (प्रतिशत में)			अनुसूचित जाति (प्रतिशत में)		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	छपरौली	65.25	48.23	56.74	45.00	30.2	37.6
2	टीकरी	62.78	45.46	54.12	47.28	30.47	38.87
3	दोघट	63.76	44.37	54.06	44.34	31.23	37.78
4	बड़ौत	64.74	47.48	56.11	47.24	32.73	39.98

5	बागपत	63.47	46.27	54.87	46.28	31.24	38.76
6	टटीरी	64.75	47.34	56.04	47.38	30.45	38.91
7	अमीनगर सराय	61.76	45.73	53.74	46.54	31.23	38.88
8	खेकडा	63.78	44.27	54.025	45.23	30.46	37.84

जनपद में ग्रामीण व नगर क्षेत्र दोनों को मिलाकर कुल 454 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, 200 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय है इस प्रकार जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 654 है माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्व प्राईमरी अनुभागों की संख्या तीन है जनपद में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या ग्रामीण व नगर क्षेत्र मिलाकर 75 है मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 76 है माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 50 है इस प्रकार जनपद में कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों (परिषदीय, मान्यता प्राप्त, माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्व) की संख्या 201 है

जनपद में नवोदय विद्यालय ग्राम सर्फाबाद विकास खण्ड खेकडा में स्थित है जनपद में 14 हाई स्कूल 62 इण्टरमीडिएट कालिज व डिग्री कालिज, तीन स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा चार तकनीकी संस्थान हैं जनपद में मान्यता प्राप्त मक्तव/मदरसों की संख्या 56 तथा गैर मान्यता प्राप्त मक्तव/मदरसों की संख्या 18 है जनपद में वर्तमान में चार संस्कृत पाठशालाऐं भी संचालित हैं जनपद में 73 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र 57 विद्या केन्द्र हैं बागपत मे एक फार्मेसी कालिज भी है। बडौत नगर क्षेत्र में डायट की स्थापना भी हो चुकी है जिसका भवन निर्माण चल रहा है।

शैक्षिक संस्थाए

तालिका–2.5

क0स0		परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्राथमिक विद्यालय	434	36	470	131	69	200	549	105	654	10	31	41
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राईमरी अनुभाग	2	1	3	5	4	9	7	5	12	–	–	–
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	105	8	113	43	33	76	110	41	151	2	6	8
4	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिकअनु0	–	–	–	35	15	50	35	15	50	–	–	–
5	केन्द्रीय विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	नवोदय विद्यालय	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	हाई स्कूल	–	–	–	12	2	14	12	2	14	–	–	–
8	इण्टरमीडिएट	–	–	–	44	18	62	44	18	62	–	–	–
9	डिग्री कालेज			–	2	7	9	2	7	9	–	–	–
10	स्नाकोत्तर महाविद्यालय	–	–	–	–	3	3	–	3	3	–	–	–
11	विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	तकनीकी संस्थान (आई0टी0आई0/पालीटेकनिक)	–	–	–	1	3	4	1	3	4	–	–	–
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थऐं	–	–	–	–	2	2	–	2	2	–	4	4
14	आगनवाडी केन्द्रों की संख्या	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	मकतब /मदरसे	–	–	–	40	16	56	40	16	56	–	18	18

16	संस्कृत पाठशालायें	–	–	–	4	–	4	4	–	4	–	–	–
17	विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाऐं	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	बालश्रमिक विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	68	5	73	–	–	–	28	5	33	–	–	–
20	विद्याकेन्द्र	57	–	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	डायट	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	फार्मेसी कालेज	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

जनपद में प्राथमिक शिक्षकों के सृजित पद 1845 हैं इन पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 1667 हैं वर्ष 2000–2001 में 15 शिक्षा मित्र विद्यालयों में कार्ययोजित किये जा चुके हे वर्ष 2001–2002 में 170 तथा 2003–2004 में 11 शिक्षा मित्र । इस प्रकार कुल स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या 196 है इनमें से 185 विद्यालयों में कार्ययोजित हैं तथा 11 शिक्षा मित्र विद्यालयों के संचालन के बाद कार्ययोजित किये जायेंगे।

जनपद में परिषदीय उच्च प्राथमिक शिक्षकों के सृजित पद 370 हैं इनके सापेक्ष वर्तमान में 285 अध्यापक कार्यरत हैं 85 अध्यापकों की रिक्तता को अगले वर्ष में समायोजित करते हुए भरा जायेगा

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय) तालिका–2.6

	सृजित	कार्यरत	रिक्त ३०.९.०३	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	1845	1667	178	196
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	370	285	85	–

कुल ग्रामों की संख्या तथा राज्य सरकार के मानक के अनुसार असेवित ग्रामों की संख्या (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) कुल बस्तियों की संख्या राज्य सरकार के मानक के अनुसार असेवित बस्तियों की संख्या,(प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता।

जनपद बागपत में ग्रामों की संख्या 287 है कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर 300 से अधिक आबादी वाले 273 ग्रामों में एक किलो मीटर से कम दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध है 300 से अधिक आवादी वाले 14 ग्राम ऐसे है जहां पर बच्चों को एक किलो मीटर से अधिक चलने पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है इन ग्रामों / मजरों (बडी जनसंख्या के गांव) में प्राथमिक विद्यायों की सुविधा की आवश्यकता होगी 300 से कम आबादी वाली एक बस्ती ऐसी है जहां पर भी बच्चों को प्रथमिक विद्यालय के लिए एक किलो मीटर से अधिक जाना पडता है । जनपद में सभी बस्तियां प्राथमिक विद्यालयों से सेवित हैं वर्ष 2003–2004के स्वीकृत 11 प्राथमिक विद्यालय संचालित होने के वाद सभी बस्तियां शत प्रतिशत सेवित हो जायेंगी।

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता तालिका–2.7

	1 किलोमीटर से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 कि0मी0 से अधिक किन्तु 1.5 कि0मी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
ऐसी बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी 300 से अधिक है	273	14	–
ऐसी बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी 300 से कम है	–	01	–
6 खानों की कुल बस्तियों की संख्या			287

जनपद में 252 ग्राम ऐसे है जिनकी आबादी 800 से अधिक है इन गांवों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा 3किलो मीटर से कम पर उपलब्ध है । 34 गांव ऐसे है जिनकी आबादी 800 से अधिक है इन गांवों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलो मीटर से अधिक दूरी पर उपलब्ध हैं एक गांव ऐसा है जिसकी आबादी 800 से कम हे तथा यहां भी उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा 3 किलो मीटर से अधिक दूरी पर उपलब्ध है जनपद में वर्ष 2003–2004 में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत 25 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है स्थल चयन की कार्यवाही चल रही है इन विद्यालयों के संचालित हो जाने के बाद जनपद की सभी 287 बस्तियां उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सेवित हो जायेंगी इसलिए नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की मांग नहीं की गयी।

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

तालिका–2.8

	3 कि0मी0 से कम दूरी पर परिषदीय मान्यता प्राप्त उच्च प्रा0वि0 उपलब्ध	3 कि0मी0 से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्रा0वि0 उपलब्ध	उच्च प्रा0 तथा प्रा0वि0 अनुपात 1:2 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्रा0वि0 की संख्या
ऐसी बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी 800 से अधिक है	252	34	–
ऐसी बस्तियों की संख्या जिसकी आबादी 800 से कम है	–	01	–

जनपद बागपत में 6–11 वयवर्ग के बच्चों की कुल संख्या 179008 है इन बच्चें में से 82212 बच्चे परिषदीय विद्यालयों में नामांकित हैं तथा 55702 बच्चे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित है तथा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 39963 बच्चे नामांकित है इस प्रकार कुल 175202 बच्चे नामांकित हैं बालगणना के अनुसार 3806 बच्चे विद्यालय से बाहर हैं इन बच्चों को विद्यालय में लाया जायेगा बालक बालिका का नामांकन अनुपात 1:31:1 है

छात्र नामांकन

प्राथमिक स्तर

तालिका–2.9

6–11 आयु वर्ग में बच्चों की संख्या			नामांकन														
			परिषदीय			मान्यता प्राप्त			गैर मान्यता प्राप्त अनुमानित			योग			नामांकन अनुपात		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
10126	77748	179008	41187	38350	82212	35492	20210	55702	22581	17382	39963	99261	75941	175202	1.31	1	1.31:1

जनपद की 11–14 वयवर्ग की संख्या 86077 है इसमें 48195 बालक तथा 37882 बालिकायें हैं परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 4007 बालक 2834 बालिका नामांकित है मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29010 बालक, 21005 बालिका, कुल 50015 पंजीकृत है गैर मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 15078 बालक , 13943 बालिका, कुल 29021 पंजीकृत है इस प्रकार सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 85877 बच्चे पंजीकृत हैं जनपद में बालक/बालिका नामांकन अनुपात 1.27:1 है। हा0स्कूल/इण्टर कालिजों की उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या भी इसमें सम्मिलित हैं।

उच्च प्राथमिक स्तर

(राजकीय हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट के साथ सम्बद्ध 6–8 को भी सम्मिलित करें)

तालिका–2.10

11–14 आयु वर्ग में बच्चों की संख्या			नामांकन														
			परिषदीय			मान्यता प्राप्त			गैर मान्यता प्राप्त अनुमानित			योग			नामांकन अनुपात		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
48195	37882	86077	4007	2834	6841	29010	21005	50015	15078	13943	29021	48095	37782	85877	1.27	1	1.27:1

तालिका–2.11

जनपद का शुद्ध नामांकन अनुपात प्राथमिक स्तर			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
99261	75941	175202	17548	14010	31558

जनपद के प्राथमिक स्तर के बालकों की शालात्याग दर 20.24 तथा बालिकाओं की ड्राप आउट दर 27.12 है कुल मिलाकर यह दर 23.68 है अनुसूचित जाति के बालकों की ड्राप आउट दर 26.48 तथा बालिकाओं की दर 31.87 है कुल मिलाकर अनुसूचित जाति की दर 29.17 है। तुल्नात्मक रुप में शालात्याग दर में कमी आयी है।

तालिका–2.12

जनपद का ड्राप आउट दर प्राथमिक स्तर			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
20.24	27.12	23.68	26.48	31.87	29.17

जनपद में प्राथमिक स्तर पर , 2 कक्षीय विद्यालयों की संख्या 151, 3 कक्षीय विद्यालयें की संख्या 180, चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या 75, पांच कक्षीय विद्यालयें की संख्या 43 तथा पांच से अधिक कक्षीय विद्यालयों की संख्या 25 है जनपद में बढती गयी छात्र संख्या के अनुसार उनके बैठने के लिए अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता होगी

जनपद में प्राथमिक स्तरपर लघु मरम्मत 115 तथा वृहत मरम्मत हेतु 84 विद्यालय हैं प्राथमिक विद्यालयों के लिये 150 शौचालयों की आवश्यकता होगी पेयजल हेतु 30 हैन्ड पम्प विद्यालयों में लगवाये जायें 252 विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर चाहर दीवारी की आवश्यकता है

उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी 75 विद्यालय भवनयुक्त हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर 20 विद्यालयों की लघु मरम्मत तथा 7 विद्यालयों की वृहत मरम्मत की आवश्यकता है । दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या 1, तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या 68, चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या 34, पांच कक्षीय विद्यालयों की संख्या 10, पांच से अधिक कक्ष वाले विद्यालयों की संख्या 3 है उच्च प्राथमिक स्तर पर 62 विद्यालयों में शौचालय, 15 विद्यालयों में हैन्ड पम्प, तथा 19 विद्यालयों में चाहर दीवारी की आवश्यकता होगी।

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकडे प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं(परिषदीय विद्यालय 30 सितम्बर 2003 की स्थिति)

तालिका–2.13

क0 स0	प्राथमिक स्तर	ग्रामीण	नगर	योग
1	प्राथमिक विद्यालय भवन	विकास खण्ड क्षेत्रवार	नगर क्षेत्रवार	योग
2	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	–	–	–
	दो कक्षीय वि0 की सं0	151	–	151
	तीन कक्षीय वि0 की सं0	152	08	160
	चार कक्षीय वि0 की सं0	69	06	75
	पांच कक्षीय वि0 की सं0	43	–	43
	5 कक्ष से अधिक वाले विद्यालय	25	–	25
3	मरम्मत योग्य विद्यालय	लघु मरम्मत योग्य–115	वृहत मरम्मत योग्य–84	
4	शौचालय	शौचालय युक्त 324 विद्यालय	शौचालय विहीन वि0–150	शौचालयों की आवश्यकता–150
5	हैण्डपम्प	हैण्डपम्पयुक्त –444	हैण्डपम्प विहीन–30	हैण्डपम्प की–30 आवश्यकता
6	चाहर दीवारी	चाहर दीवारी युक्त–202	चाहर दीवारी विहीन–252	चाहर दीवारी की आवश्यकता–252

उच्च प्राथमिक स्तर				
7	उच्च प्रा0वि0 भवन	कुल वि0की सं0–75	भवनयुक्त–75	जर्जर (पुर्ननिर्माण योग्य) –20
8	मरम्मत योग्य		लघु मरम्मत–20	वृहत मरम्मत–7
9	एक कक्षीय विद्यालय			
	दो कक्षीय विद्यालय	01		
	तीन कक्षीय विद्यालय	68		
	चार कक्षीय विद्यालय	34		
	पांच कक्षीय विद्यालय	10		
	5 से अधिक कक्ष वाले विद्यालय	03 योग–116		
10	शौचालय	शौचालय युक्त– 54	शौचालय विहीन–62	आवश्यकता–62
11	हैण्डपम्प	है0युक्त–101	है0विहीन–15	आवश्यकता–15
12	चाहर दीवारी	युक्त–56	विहीन–19	आवश्यकता–19

जनपद की सभी 287 बस्तियां प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों से वर्ष 2003–2004 में सेवित हो जायेंगे । इस लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किसी भी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय की मांग नहीं की गयी है।

अजेर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय विवरण

विद्यालय प्रकार	बागपत	बड़ौत	बिनौली	छपरौली	खेकड़ा	पिलाना	योग
प्राथमिक	8	10	10	7	6	4	45
उच्च प्राथमिक	2	3	4	4	4	3	20

वर्तमान में भैातिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता तालिका–2.14

क0 सं0	आइटम/सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	डी0पी0ई0पी0 I I I/ I I वित्त आयोग में प्रावधान जिलायोजना/अन्य स्रोत	मांग	कमी	डी0पी0ई0पी0 I I I/ I I वित्त आयोग में प्रावधान जिलायोजना/अन्य स्रोत	मांग
1	नवीन विद्यालय	–	20	–	–	41	–
2	विद्यालय पुर्ननिर्माण	105	60	45	20	–	20
3	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष (प्रति शिक्षक/प्रति कक्षा–कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि के आधार पर)	727	577	150	84	69	15
4	पेयजल सुविधा	130	100	30	34	19	15
5	शोचालय	450	300	150	76	14	62
6	चाहर दीवारी	[illegible]	–	[illegible]	[illegible]	–	[illegible]

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकडे व इंडीकेटरर्स

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आकडों के अनुसार 2000–2001,2001–2002,2002–2003 की स्थिति

प्राथमिक स्तर

तालिका–2.15

क0सं0	कक्षा–1	कक्षा–2	कक्षा–3	कक्षा–4	कक्षा–5	योग
1	28163	17503	13456	11134	10100	80536
2	35649	22402	17909	14736	14422	105120
3	23718	18396	14597	12280	9115	78116

जनपद में ई0एम0आईएस0 आंकडों के अनुसार कक्षा–1 से कक्षा–5 तक का नामांकन (मान्यता प्राप्त प्रा0वि0 सहित) 78116 है

तालिका–2.16

क0सं0	विवरण	अनुपात
1	छात्र अध्यापक अनुपात	46:1
2	जी0ई0आर0	बालक–70 बालिका–62 योग–66
3	नामांकन अनुपात(छात्र/छात्रा)	1.2:1
4	एकल अध्यापकीय विद्यालय (प्रतिशत)	–

जनपद में प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों का छात्र अध्यापक अनुपात 46:1 रहा बालकों का जी0ई0आर0 70 प्रतिशत तथा बालिकाओं का 62 प्रतिशत रहा कुल मिलाकर जी0ई0आर0 66 रहा छात्र/छात्राओं का अनुपात 1.2:1 था जनपद में एकल अध्यापकीय विद्यालयों का प्रतिशत शून्य रहा

प्राथमिक स्तर नामांकन तालिका–2.17

क0सं0	वर्ष 1999–2000			वर्ष 2000–2001			वर्ष 2001–2002		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	41753	33389	75142	42187	33557	75744	40159	36844	77003

क0सं0	वर्ष 2002–2003		
	बालक	बालिका	योग
2	42568	37618	80186

वृद्धि प्रतिशत तालिका–2.18

क0सं0	वर्ष 2000–2001में वृद्धि प्रतिशत	वर्ष 2001–2002में वृद्धि प्रतिशत	वर्ष 2002–2003में वृद्धि प्रति0
1	0.79	1.63	3.96

विद्यालयों की संख्या तालिका–2.19

वर्ष	परिषदीय	मान्यता प्राप्त	योग
2000–2001	450	185	635
2001–2002	454	200	654
2002–2003	459	200	659

2003–2004	470	200	670

अध्यापकों की संख्या तालिका–2.20

वर्ष	परिषदीय
2000–2001	1688
2001–2002	1779
2002–2003	1667

जनपद में डी0पी0ई0पी0 का प्रारम्भ अप्रेल 2000 से हुआ वर्ष 2002–2003 के आंकडों को देखने से ज्ञात होता है कि जनपद में परियोजना की शुरुआत होने के बाद छात्र नामांकन में 3.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई विद्यालयों की संख्या भी पूर्व में 635 थी जो प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में 20 बढी है इसी प्रकार अध्यापकों की संख्या भी 1688 से बढकर 1779 हुई थी जो अब 1667 है ।

उच्च प्राथमिक स्तर तालिका–2.21

क0सं0	र्ष 1999–2000			वर्ष 2000–2001			वर्ष 2001–2002		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	3574	2694	6268	3893	2789	6682	4072	2830	6902

वर्ष 2002–2003		
बालक	बालिका	योग
7224	5778	13002

वृद्वि प्रतिशत तालिका–2.22

क0सं0	वर्ष 2000–2001में वृद्वि प्रतिशत	वर्ष 2001–2002में वृद्वि प्रतिशत	वर्ष 2002–2003में वृद्वि प्रति0
1	6.1	3.18	46

विद्यालयों की संख्या तालिका–2.23

वर्ष	परिषदीय	मान्यता प्राप्त	योग
2000–2001	74	74	148
2001–2002	75	76	151
2002–2003	78	76	154

अध्यापकों की संख्या तालिका–2.24

वर्ष	परिषदीय
2000–2001	273
2001–2002	261
2002–2003	285

ट्रांजीशन दर (कक्षा–5 से कक्षा–6) तालिका–2.25

वर्ष	कक्षा–5	कक्षा–6	टी आर0 प्रतिशत
2000–2001	10100	–	–
2001–2002	–	7087	70.16
2002–2003	14422	11537	80

प्रपत्र संख्या–3 परिवार सर्वेक्षण – संकलन प्रपत्र सार वर्ष–2003–2004

जिले का नाम– बागपत

जाति	कुल बच्चों की संख्या				स्कूल जाने वाले बच्चे				स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या						विकलांग बच्चों की संख्या			
	बालक		बालिका		बालक		बालिका		बालक			बालिका			बालक		बालिका	
	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	5+से 6+	7+से 10+	11 से 14	5+से 6+	7+से 10+	11 से 14	6–11	11–14	6–11	11–14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
सामान्य	17926	9567	13538	7798	17250	9482	12985	7569	1035	540	135	572	521	229	56	23	45	21
अ.जा.	15948	7302	12748	5208	15199	6958	12063	5175	9011	724	344	3715	661	33	144	55	82	35
अ.ज.जा.																		
पिछड़ी जाति	42439	18887	32057	15500	41223	18479	31063	15016	2571	1216	406	1417	974	484	217	163	209	127
अल्पसंख्यक	24947	12339	19405	9376	23294	11637	17630	8375	4393	1642	702	1241	1780	1001	230	133	207	85
योग	101260	48195	77748	37882	96966	46556	73741	36135	17010	4112	1639	6945	3936	1747	577	384	543	268

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

कारण	5+से 6+		7 से 10+		11 से 14	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1. अपने घर के कामों में लगे रहना					1112	1417
2. मजदूरी में लगे रहना					527	330
3. भाई बहनों की देखभाल			2106	1836		
4. विद्यालय दूर होने के कारण						
5. अन्य	17010	6945	2006	2100		
योग	17010	6945	4112	3936	1639	1747

विकलांग बच्चों के कारण

कारण	बालक		बालिका	
	6–11	11–14	6–11	11–14
1. दृष्टि	53	19	52	18
2. सुनना	45	24	27	23
3. चलना	73	41	28	29
4. अधिगम अक्षमता	8	3	17	19
5. मानसिक मंदता	115	33	68	23
6. शारीरिक अक्षमता	346	250	309	120
7. अन्य	37	14	42	36
योग	577	384	543	268

विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले /विकलांग बच्चों की संख्या भरी जायेगी

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्वि होने से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी बच्चों की संख्या बढी है 2002–2003 में बच्चों की संख्या में 46 प्रतिशत की वृद्वि हुई है जनपद में प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर पर जाने वाले बच्चों की टी0आर0 दर 80 प्रतिशत रही है

परिवार सर्वेक्षण 2003–2004

जनपद में वर्ष 2003–2004 में कराये गये परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 5–6 वर्ष , 7–10 वर्ष तथा 11–14 वर्ष के विद्यालय न जाने वाले बालक बालिकाओं की संख्या 35399 चिन्हित हुई इन बालक बालिकाओं में से मास अगस्त 2003 तक विभिन्न प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 31593 बच्चों का नामांकन कराया जा चुका है यह कार्य स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत कराया गया । कुल चिन्हित बालक बालिकाओं में से 89.24 प्रतिशत का नामांकन हो चुका है अवशेष 3806 बालक बालिकाओं के लिए विद्या केन्द्र व उच्च प्राथमिक शिक्षा केन्द्र, ब्रिज कोर्स आदि का संचालन कराया जा रहा है. इस प्रकार वर्ष 2003–2004 के शतप्रतिशत नामांकन के लक्ष्यको पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

स्कूल चलो अभियान अन्तर्गत प्रगति परिवार सर्वेक्षण के संदर्भ में वर्ष 2003–2004

हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार चिन्हित बच्चे   हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार नामांकित बच्चे

ब्लाक	कुल बच्चे	5–6 वर्ष		7–10 वर्ष		11–14 वर्ष		योग	5–6 वर्ष		7–10 वर्ष		11–14 वर्ष		योग
		बा0	बालि0	बा0	बालि0	बा0	बालि0		बा0	बालि0	बा0	बालि0	बा0	बालि0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
बागपत	52406	2530	1275	575	541	403	585	5909	2401	1160	505	495	330	530	5421

बडौत	74910	3442	1997	686	1051	223	266	7847	3115	1860	785	915	207	203	7085
बिनौली	49912	2483	1036	989	732	350	4163	6006	2290	901	811	511	305	375	5193
छपरौली	31690	2865	1316	483	504	100	166	5434	2710	1201	407	461	75	114	4968
खेकडा	41068	4170	742	2017	355	262	139	5875	3950	635	180	302	201	101	5369
पिलाना	39054	1520	579	990	753	301	175	4318	1390	456	807	530	275	105	3563
योग	289040	17010	6945	4122	3936	1639	1747	35399	15856	6213	3489	3214	1393	1428	31593

स्रोत – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत

विकास खण्डवार छात्र संख्या व अध्यापक संख्या 2003

जनपद–बागपत

क0सं0	विकास खण्ड	प्राथमिक स्तर पर				उच्च प्राथमिक स्तर पर			
		बालक	बालिका	योग	अध्यापक	बालक	बालिका	योग	अध्यापक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बागपत	7051	6550	13601	270	489	386	875	33
2	बडौत	8516	7729	16245	369	730	585	1315	62
3	बिनौली	10665	8298	18963	368	1005	458	1463	57
4	छपरौली	5244	4568	9812	219	788	533	1321	60
5	खेकडा	5634	5091	10725	203	418	487	905	36
6	पिलाना	6752	6114	12866	238	577	385	962	37
	योग	43862	38350	82212	1667	4007	2834	684	285

जनपद बागपत के छः विकास खण्डों की छात्र संख्या व अध्यापक संख्या को तुलनात्मक रुप से देखने पर ज्ञात होता है कि जनपद में अध्यापक व छात्रों का अनुपात 49.3:1 है । जनपद में इस अनुपात के बढने का कारण अध्यापकों का अधिक संख्या में सेवा निवृत होना, छात्र संख्या बढना तथा नवीन अध्यापकों का चयन कम होना है ।इस कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा मित्रों के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है।

जनपद–बागपत की ड्रापआउट दर /जी.ई.आर./एन.ई.आर.–प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर

क0सं0	जनपद	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		ड्रापआउट	जी.ई.आर.	एन.ई.आर	ड्रापआउट	जी.ई.आर.	एन.ई.आर
1	बागपत	20 प्रति0	95	93	8	95	91

जनपद बागपत के प्राथमिक स्तर पर शालात्याग दर 20 प्रतिशत,जी.ई.आर. 95प्रतिशत,एन.ई.आर. 93 प्रतिशत है तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शालात्याग दर 8 प्रतिशत,जी.ई.आर. 95 प्रतिशत,एन.ई.आर. 91 प्रतिशत है। इन आंकडों से ज्ञात होता है कि जनपद में प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत नामांकन की ओर बढा जा रहा है ।

अध्याय–3

नियोजन प्रकिया

सर्व शिक्षा अभियान राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को जन–जन तक पहुंचानें सम्बन्धी चिर अभिलक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है । सर्व शिक्षा अभियान जिससे देश के प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गयी है का उददेश्य 2010 तक 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल पद्धति से कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन के रुप में प्रदान करने सम्बन्धी जरुरत को पूरा करने सम्बन्धी एक प्रयास है इस कार्यकम में स्त्री–पुरुष असमानता तथा सामाजिक अंतर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है ।

इस कार्यकम के माध्यम से शिक्षा सम्बन्धी इन सभी प्रयासों में एक सूत्रता लानें का प्रयास किया गया है। ऐसे प्रयास किये जायेंगे जिनसे सामुदायिक सहभागिता बढाने के उददेश्य से स्कूल स्तर से निचले स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सकें। पंचायती राज्य संस्थाओं, निर्धारित क्षेत्रों में जनजातीय परिषदों जिनमें ग्राम पंचायतें भी सम्मलित हैं की स्वीकृति प्रदान करने के अलावा राज्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा व गैर सरकारी संगठनों, शिक्षकों,स्वयंसेवकों,कलाकारों,महिला संगठनों आदि को शामिल करके अपनी जबाबदेही के क्षेत्र का विस्तार करें ।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियाजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रकिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6–11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उददेश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गयी बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है इस जनपद मे सर्वप्रथम 2000–2001 में तथा दूसरा चरण 2001–2002 तक सभी ग्रमवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बन्धित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार की गयी थी एकत्र किया गया तथा एकत्रित सूचनाओं/आंकणों का विश्लेषण करके समस्याओं /आवश्यकताओं की पहचान की गयी।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा ग्राम सभाओं से सूचनाओं का संकलन

- ग्राम में 6–11 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/विद्याकेन्द्रों/शिक्षा केन्द्रों में पढने वाले बच्चो की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/विद्याकेन्द्रों /शिक्षा केन्द्रों में न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/विद्या केन्द्र/शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोलने की आवश्यकता है ?

- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नही है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय भवन एवं भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में हैं ?
- यदि नहीं तो इनके सुधार के लिए ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं ?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र अध्यापक अनुपात क्या है ?
- क्या अध्यापक नियमित रुप से विद्यालय आते हैं ?
- शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये

1 परिवार सर्वेक्षण

2 स्कूल का मानचित्र/शैक्षिक मानचित्र

3 सूचनाओं का विश्लेषण

4 ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण,विश्लेषण,ग्रामशिक्षा योजना निर्माण की तैयारी–

ग्रामप्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों उत्साही युवक युवतियों /शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–2 अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गयी समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्र के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्र के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गांव की उत्तम व्यवस्था के लिए ग्राम शिक्षा योजना बनायी गयी।

शैक्षिक मानचित्र द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनाऐं एकत्र की गयीं।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री पुरुष की जनसंख्या
4. पढने व न पढने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचारविमर्श के दौरान उभरे हुए बिन्दुओं को सम्मलित करते हुए ग्राम सभाओं से प्राप्त आकडों को संकलित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी इस योजना को अत्यधिक प्रभावी बनाने के उददेश्य से 2001–2002 तथा 2002–2003 में पुनः सारी प्रकिया दोहरायी जायेगी ग्राम शिक्षा योजना को ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय के न0–1 में रख दी गयी है ताकि इसका उपयोग ग्राम स्तर पर

आसानी से हो सके शेष ग्राम सभाओं से भी आंकडे प्राप्त किये गये इन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया।

विकास खण्डवार प्राप्त आंकडों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया 6–8 तथा 6–11 है इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की भी संख्या ज्ञात की गयी जो कामकाजी है

सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों के आधार पर उन बथ्स्तयों की सूची भी तैयार की गयी जिसमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थपित किया जाना सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का कार्य प्रथम वार्षिक योजना 2002–2003 के कियान्वयन के दोरान पूर्ण किया जायेगा इसके द्वारा प्राप्त आकडों /सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना 2003–2004 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकम तैयार करने हेतु किया जायेगा

नगरीय क्षेत्रों के शैक्षिक आकडों को प्राप्त करने हेतु सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया गया है इस सर्वेक्षण से प्राप्त आकडां का संकलन किया जायेगा तथा निषकर्षों का उपयोग वर्ष 2003–2004 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करने हेतु जायेगा।

स्कूल चलो अभियान–

जनपद बागपत में जुलाई 2003 में बालक बालिकाओं के नामांकन वृद्धि एवं ड्राप आउट समाप्त करने के उददेश्य से स्कूल चलो अभियान चलाया गया ।जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के तहत जनपद में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया तथा शत प्रतिशत नामांकन कराने हेतु शिक्षा विभाग एवं प्रशासन ने संकल्प लिया प्रथम चरण 01.07.2003 से 15.07.2003 तक आयोजित किया गया ।

2. दिनांक 28.06.2003 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी,जिला समन्वयकों,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा डी0पी0ई0पी0 के अन्य कर्मचारियों की बैठक की गयी तथा स्कूल चलो अभियान की रुपरेखा त्यार की गयी।

3. 2 जुलाई 2003 को सभी शिक्षक गणों ने उपस्थित होकर उत्तीर्ण हुए छात्रों का अगली कक्षा में नामांकन किया तथा ग्राम शिक्षा समिति की बैठक की ।

4. कार्यक्रम की सफलता हेतु विद्यालय के सेवित क्षेत्रों में 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की बालगणना करायी गयी।

5. तीन जुलाई 2003 को समस्त विद्यालययों के शिक्षकों एवं शिक्षा समिति के सहयोग से दीवारी पर स्कूल चलो अभियान के नारे लिखे गये जैसे

चलो चलें स्कूल अनपढ नर पशु समान,

घर घर शिक्षा दीप जलाऐं भावी पीढी सजग बनाऐं,

6. चार जुलाई 2003 को जिला मुख्यालय पर स्कूल चलो अभियान का शुभारम्भ किया गया इसी तरह विकास खण्डों में भी स्कूल चलो अभियरन का शुभारम्भ किया गया इस कार्यक्रम में अध्यापक,अभिवापक,समाजसेवी संस्थाओं,गैर सरकारी अभिकर्मियों द्वारा भी स्कूल चलो अभियान में सहयेाग दिया गया विकास खण्ड बडौत में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में सायकिल रैली निकाली गयी।

7. 5 से 9 जुलाई 2003 तक प्रतिदिन प्रातः प्रत्येक ग्राम सभा में प्रभातफेरियां निकाली गयीं तथा यह रैलियां जनपद स्तर पर भी निकाली गयीं इन रैलिओं के द्वारा जन–जन तक स्कूल चलो अभियान का संदेश पहुंचाया गया।

8. 9 जुलाई 2003 को जनपद स्तर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें मननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतन्त्र प्रभार श्री बालेश्वर त्यागीजी ने मशाल जलाकर रैली का शुभारम्भ किया तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जग्रति उत्पन्न करने पर विशेष बल दिया गया

9. 10 से 11 जुलाई 2003 को वातावरण सृजन के उपरान्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक प्रधान अध्यापक बी0आर0सी0 समन्वयकों एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों ने क्षेत्रों में भ्रमण कर स्कूल चलो अभियान सफल बनाने हेतु प्रयास किया।

10. 14 से 15 जुलाई 2003 को विद्यालय के अध्यापकों द्वारा विद्यालय के सेवित क्षेत्र अन्तर्गत निवास करने वाले समस्त बच्चों का चिन्हांकन किया गया तथा ऐसे बच्चों का चिन्हांकन किया गया जो स्कूल जाने योग्य हैं तथा जिन्होंने विद्यालय बीच में ही छोड दिया है ऐसी समस्त जानकारी एकत्र कर निर्धारित प्रपत्र पर बाल गणना पूर्ण की गयी तथा सूची विकास खण्ड को प्रेषित की गयी ।

द्वितीय चरण–

1. 16 जुलाई 2003 के सर्वे के माध्यम से की गयी अद्यतन बाल गणना के अनुसार स्कूल न जाने वाले बच्चों का नामांकन किया गया।
2. सर्वे के आधार पर ऐसे बच्चों को पुनः प्रवेश दिलाया गया जिन बच्चों ने किसी कारणवश विद्यालय बीच में ही छोड दिया था।

3. नामांकन हो जाने के पश्चात जनपद स्तर पर उपसमिति का गठन किया गया जिसके द्वारा प्रत्येक बच्चे के नामांकन व ठहराव की समीक्षा की गयी। सतत सम्पर्क (सप्ताह में एक बार) के माध्यम से स्कूल छोडने की प्रवृत्ति पर प्रभावी ढंग से रोक लगायी जा सके इस कार्य हेतु अध्यापक एवं बच्चों की एक टोली बनाकर नामांकन के बाद लगातार विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया गया ।

विद्यालयों को भौतिक संसाधनों उपलब्ध कराना–

प्रत्येक विद्यालय एक आदर्श विद्यालय के रुप में विकसित हो इसके लिए निम्न विवरण के अनुसार धनराशि उपलब्ध करायी गयी–

1. 450 प्राथमिक विद्यालयों को रंगाई पुताई एवं साजसज्जा हेतु 2000/– प्रति विद्यालय की दर से ग्राम शिक्षा निधि के खाते में सीनान्तरित किया गया ।
2. 300 प्राथमिक विद्यालयों को खेल कूद एवं अन्य उपयोगी उपकरण कय करने हेतु 5000/– प्रति विद्यालय की दर से ग्राम शिक्षा निधि खाते में सीनान्तरित किया गया।
3. अध्यापकों को सहायक सामग्री निर्माण कर बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा देने हेतु सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 500/– प्रति अध्यापक की दर से उपलब्ध कराया जायेगा।

इस प्रकार दिनांक 31 जुलाई 2003 को स्कूल चलो अभियान का समापन किया गया एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर बच्चों को प्राथमिक विद्यालय/पूर्व माध्यमिक विद्यालय में नामांकित कराने हेतु प्रोत्साहित किया गया। स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है ।

सर्व शिक्षा अभियान के स्वरुप को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रणाली दुबारा अपनायी गयी जिसमें बस्ती स्तर पर शैक्षिक योजनाऐं बनाने की दिशा में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

बागपत जिले में सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना तैयार करने हेतु निम्नांकित प्रयास किये गये:

1. नियोजन टीम का गठन-किसी भी कार्य को आरम्भ करने के लिए किसी न किसी स्तर पर कोई पहल करता है इतने बढे सार्थक उददेश्य (सर्व शिक्षा अभियान) के लिए 6 सदस्य नियोजन टीम का गठन किया गया ।

    - विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी
    - प्राचार्य डायट
    - प्रवक्ता डायट
    - सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी
    - सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी
    - जिला समन्वयक प्रशिक्षण

2. <u>बस्ती/ग्राम</u> स्तर पर विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की गयी सर्व शिक्षा अभियान को आरम्भ करने से पूर्व समुदाय की शिक्षा के प्रति क्या सोच है उसकी शिक्षा से क्या--2 उपेक्षाऐं हैं तथा वह इंसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकता हे इन विषयों पर समुदाय की राय जानना अति आवश्यक है बिना इनके यह शिक्षा सर्व शिक्षा हो ही नहीं सकती एफ0जी0डी0 प्रकिया से उन क्षेत्र विशेष की समस्याओं को ध्यान में रख कर सर्व शिक्षा का परिप्रेक्ष्य प्लान तैयार किया जा सके समाज में कुछ व्यक्ति होते हैं जो इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं जिनको कार्यकम चलाने पर सम्पर्क व्यक्ति (कान्टेक्ट परसन) सोसल एक्अीविस्ट के रुप में सहयोग ले सकते हैं संदर्भ व्यक्तियों की पहचान स्वयं सेवी संस्थाओं की पहचान पंचायती राज्य संस्थाओं के पदाधिकारियों की

सोच उनके सहयोग आदि की जानकारी एफ0जी0डी0 से ही हो सकती है यह कार्य एक उत्तम कोटि का पर्सपेक्टिव प्लान बनाने में सहायक सिद्ध हुआ।

3. परियोजना पूर्व की गतिविधियों के अन्तर्गत जिले में एफ0जी0डी0 टीम का गठन किया गया उसमें वे अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मलित है जिन्होंने प्लान बनाने के लिए सीमेट इलाहाबाद के तत्वाधान में आयोजित कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया है इनके अतिरिक्त डी0पी0ई0पी0 के जिला समन्वयक,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,प्रति उप विद्यालय निरीक्षक,बी0आर0सी0,एन0पी0आर0सी0,प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि तमाम विभाग के अधिकारियों तथा इन प्रतिनिधियों से सहयोग मिला

नियोजन प्रकिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण तालिका–3.1

क0 स0	जनपद स्तर/ब्लाक स्तर/ग्राम स्तर	दिनांक	स्थान	प्रतिभागियो का विवरण एव स0	बैठक /विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	सीमेट इलाहाबाद	01.02.09.03	सीमेट	बी0एस0ए0,ए0ए0ओ0,डी0सी0,ए0बी0एस0ए0	कोर टीम का प्रशिक्षण किया गया सर्व शिक्षा हेतु कार्ययोजना तैयार की गयी
2	जनपद स्तर	12.11.2001	बागपत	वि0वे0शि0अधिकारी–1रामाराव 2 जि0समन्वयक–4 स0 वि0एवं लेखा0–1 कम्प्यूटर प्रभारी–1 ए0बी0एस0ए0–3 बहुददेशिय कर्मी –1 अध्यापक–8 अभिभावक–8 एन0पी0आर0सी0–46 शिक्षा समिति सदस्य–3 बी0आर0सी0सी0–6ए0बी0आर0सी0सी0–12	1.समुदाय को शिक्षा से जोडा जाय2. शिक्षा में गुणवत्ता परख सुधार अपेक्षित 3.मकतव मदरसों का सुद्धीकरण 4. विद्यालयों में चाहर दीवारी करायी जाय 5.जिन बस्तियों में विद्यालय नहीं हैं वहां वै0 केन्द्र/विद्या केन्द्र स्थापित किये जायें 6.अध्यापक समय से विद्यालय

					जायेंअभिभावक सहयोग करें 7.. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 8. पढने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 9. लडकियों को घर का काम करना पढता। 10. शिक्षक के व्यवहार व व्यक्तित्व में कमी। 11. भटटों पर बाल श्रमिकों को पढाने की व्यवस्था की जाये
3	ग्राम स्तर	12.11..2001	निवाडा	अधिकारी–2 महिला प्रधान–1 बहुददेशिय कर्मी –1 अध्यापक–2 अभिभावक–7 एन0पी0आर0सी0 -1	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. पर्दा प्रथा हाने के कारण महिलाऐं अपनी बात कहने में संकोच करती है 3 माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. विद्यालय में चाहर दीवारी की व्यवस्था हो।
4	ग्राम स्तर	12.11.2001	सरुरपुर	अधिकारी–2 पुरुष प्रधान–1 बहुददेशिय कर्मी –1 अध्यापक–2 अभिभावक–7 एन0पी0आर0सी0–1	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करें 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4 विद्यालय प्रांगढ मे पानी भर जाता है।
5	ग्राम स्तर	12.11.2001	बडागाव	अधिकारी–2 महिला प्रधान–1 बहुददेशिय कर्मी –1 अध्यापक–2 अभिभावक–7 एन0पी0आर0सी0–1	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2 पर्दा प्रथा हाने के कारण महिलाऐं अपनी बात कहने में संकोच करती है 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाय। 5. अध्यापक शिक्षण कार्य ठीक से नही करते हैं।

6	ग्राम स्तर	19.11.2001	मुबारिकपुर	अधिकारी–2 पुरुष प्रधान–1 बहुददेशिय कर्मी –1 अध्यापक–2 अभिभावक–7 एन0पी0आर0सी0–1 शिक्षा समिति सदस्य–3	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करें 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. पढने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 5. लडकियों को घर का काम करना पढता।
7	ग्राम स्तर	19.11.2001	बड.का	अधिकारी–2 प्रधान–1 बहुददेशिय कर्मी –1 अध्यापक–2 अभिभावक–7 एन0पी0आर0सी0–1 शिक्षा समिति सदस्य–3	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करें 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. विद्यालय प्रांगढ मे पानी भर जाता है।
8	ग्राम स्तर	20.11.2001	कोताना	अधिकारी–2 पुरुष प्रधान–1 बहुददेशिय कर्मी –1 अध्यापक–2 अभिभावक–7 एन0पी0आर0सी0–1 शिक्षा समिति सदस्य–3	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करें 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. पढने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 5. लडकियों को घर का काम करना पढता।
9	ब्लाक स्तर	20.11.2001	बिनौली	अधिकारी–2 पुरुष प्रधान–1 बहुददेशिय कर्मी –1 अध्यापक–2 अभिभावक–7 एन0पी0आर0सी0–1 शिक्षा समिति सदस्य–3	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करें 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. पढने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 5. लडकियों को घर का काम करना पढता।
10	ब्लाक स्तर	20.11.2001	छपरौली	अधिकारी 2सभासद 2 बहुददेशिय कर्मी –1 अध्यापक–2 अभिभावक–7	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करें 3. माता पिता

				एन0पी0आर0सी0–1 शिक्षा समिति सदस्य–3	में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. पढने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 5. लडकियों को घर का काम करना पढता।
11	ब्लाक स्तर	20.11.2001	बडौत	अधिकारी–2सभासद –2 बहुददेशिय कर्मी –1 अध्यापक–2 अभिभावक–7 एन0पी0आर0सी0 1 शिक्षा समिति सदस्य -3	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करे 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. पढने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 5. लडकियों को घर का काम करना पढता।
12	ब्लाक स्तर	20.11.2001	पिलाना	अधिकारी–2सभासद –2 बहुददेशिय कर्मी –1 अध्यापक–2 अभिभावक–7 एन0पी0आर0सी0–1 शिक्षा समिति सदस्य–3	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2. अभिभावक सहयोग करें 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. पढने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 5. लडकियों को घर का काम करना पढता। 6. शिक्षक के व्यवहार व व्यक्तित्व में कमी।
13	ब्लाक स्तर	22.11.2001	बागपत	अधिकारी–2सभासद –2 बहुददेशिय कर्मी –1 अध्यापक–2 अभिभावक–7 एन0पी0आर0सी0- 1 शिक्षा समिति सदस्य 3 बी0आर0सी0सी0--1 ए0बी0आर0सी0सी0- 2	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2 अभिभावक सहयोग करे 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. पढने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 5. लडकियों को घर का काम करना पढता। 6. शिक्षक के व्यवहार व व्यक्तित्व में कमी।
14	ब्लाक स्तर	22.11.2001	खेकडा	अधिकारी–2सभासद –2 बहुददेशिय कर्मी	1.विद्यालय में सफाई नहीं है 2

				–1 अध्यापक –2 अभिभावक –7 एन0पी0आर0सी0–1 शिक्षा समिति सदस्य–3 बी0आर0सी0सी0–1 ए0बी0आर0सी0सी0–2	अभिभावक सहयोग करें 3. माता पिता में बालिकाओं के लिए असुरक्षा की भावना 4. पढने लिखने के बाद नौकरी न मिलना 5. लडकियों को घर का काम करना पढता। 6. शिक्षक के व्यवहार व व्यक्तित्व में कमी। 7. भटटों पर बाल श्रमिकों को पढाने की व्यवस्था की जाये
15	ब्लाक स्तर	01.12.01	छपरौली	ब्लाक प्रमुख बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0,सभासद, अन्य	प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु प्रयास किया जाय बालिका शिक्षा पर बल, भटटों पर बाल श्रमिकों को पढाने की व्यवस्था की जाय
16	ब्लाक स्तर	06.12.01	खेकडा	अधिकारी–1, बी0डी0सी0 सदस्य–5,बी0, आर0सी0, एन0पी0आर0सी0सी0, सभासद व अन्य	समुदाय को शिक्षा से जोडा जाय मदरसों में भी अध्यापकों की व्यवस्था की जाय माता पिता में लडकियों के लिए असुरक्षा की भावना
17	बस्तीवार	10.12.01	बालमीकी बस्ती बडौत	सभासद–2,अधिकारी–1,ब्लाक प्रमुख–1, अध्यापक–5,अन्य–10	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था की जाय. बस्ती में सफाई का अभाव
18	इलाहाबाद	10.11दिस0001	सीमेट इलाहाबाद	ए0पी0ओ0, डी0सी0, ए0बी0एस0ए0, सीमेट अधिकारीगण	परिमेनिक प्लान का फोलोअप, विशेषज्ञों द्वारा प्लान के बारे में निर्देशन

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है।

- आई0सी0डी0एस0. के साथ समन्वय– जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी एन0जी0ओ0 आदि को सम्मलित कर जिला सदर्भ समूह तथा विकास खण्ड समूह का गठन किया जाता हैं और निम्नवत आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है

1. आंगनबाडी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता हैं ।
2. आंगनबाडी केन्द्र की स्थापना विद्यालय प्रांगड में या उसके निकट की जाती है ।
3. आंगनबाडी केन्द्र को शिक्षण सहायक समग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4. केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5. केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु अनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

- स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय– स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय सीापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्यनरत छात्र छत्राओं का स्वास्थ्य परिक्षण कराया जायेगा जिससे चिन्हित रोगी छात्र छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावको को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हो सके।स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाय विद्यालय स्तर पर किया जाता है स्वास्थ्य परिक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सायों की सेवा ली जाती है चिकित्सकों के आने जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

- समाज कल्याण विभाग से समन्वय–समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

- ग्राम पंचायतों से समन्वय– असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है जहां पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय– खाद्य व आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80 प्रति0 मासिक उपस्थिती वाले छात्र छात्राओं को तीन कि0ग्रा0 प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजना के अन्तर्गत खाद्यान वितरित किया जाता है।

- विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय– विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र छात्राओं को उपकरण (टायसायकिल,बैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है बच्चों के चिन्हीकरण से सहयोग किया जाता है शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों /संयंत्रों के वितरण में छात्र छात्राओं को प्राथमिकता दी जाती है।

- उत्तर प्रदेश जल निगम/यू0पी0 एग्रो से समन्वय– इन दानों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैंन्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

- युवा कल्याण विभाग से समन्वय– युवा कल्याण विभाग से समन्वय सीपित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता करायी जाती है ताकि इनमें खेल भावना का विकास हो सके नेहरु युवा केन्दों तथा युवक मण्डल दल के कार्यकर्ताओं के

सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाऐ जाते है शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

- पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग से समन्वय–इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछडी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति वितरित की जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।
- जिला ग्राम विकास अभिकरण विभाग से समन्वय–शिक्षा के उन्नयन हेतु ग्राम विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए0) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर से 60 प्रति0 धनराशि ग्राम विकास से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आछादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा उपरोक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

ब्लाक वार स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 2003

आधार–परिवार सर्वेक्षण 2003

31.08.2003 की स्थिति

जनपद–बागपत

विकास खण्ड	चिन्हित बच्चे	नामांकित बच्चे	अवशेष बच्चे
बागपत	5909	5421	488
बडौत	7847	7085	762
बिनौली	6006	5193	813
छपरौली	5434	4968	466
खेकडा	5875	5369	506
पिलाना	4318	3563	755
योग	35399	31593	3806

स्रोत– कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत।

अवशेष 3806 बच्चों के नामांकन हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र ब्रिज कोर्स, एवं विद्या केन्द्रों के माध्यम से नामांकित किया जा रहा है।

अध्याय--4

सर्व शिक्षा अभियान के उददेश्य एवं लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के राष्टीय स्तर पर उददेश्य–

भारत सरकार द्वारा कक्षा–1 से 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिक हेतु राज्यों में रार्वशिक्षा अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिर्धारित योजना के रुप में चलाया जायेगा नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85.15 दशम पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75.25 तथा इसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50.50 रहेगा।

र्स्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा–1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनिक हेतु राष्टीय स्तर पर मुख्य लक्ष्य निम्नवत हैं:–

- वर्ष 2003 तक 6–11 वयवर्ग के सभी बच्चों को स्कूल शिक्षा गारन्टी योजना में विद्याकेन्द्रों वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों वापिस स्कूल चलो शिविर में प्रवेश दिलाया जायेगा अर्थात शत–प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को पूर्ण किया जायेगा।
- वर्ष 2007 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा–5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक राभी बच्चों द्वारा कक्षा–8 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।

- जीवनोपयोगी एवं प्रारम्भिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा।
- वर्ष 2007 तक 6–11 वयवर्ग तथा वर्ष 2010 तक 11–14 वयवर्ग के शिक्षा बीच में छोडने वाले बच्चों की दर को शून्य पर लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये है जिनका विवरण निम्नप्रकार है:–

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनयी गयी विधा

जनगणना 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आंकडे प्राप्त हो गये हैं जनगणना 1991 की जनसंख्या के आंकडों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में वृद्धि हुई है यह नीपा नयी दिल्ली की माडयूल से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गयी जनपद बागपत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.53 प्रतिशत है इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002–2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या अपेक्षित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकडे अभी उपलब्ध नहीं हैं अतः जनगणना 1991 की आयुवर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की अपेक्षित जनसंख्या में 6–11 वर्ष की बाल संख्या ज्ञात करने के लिए 14.9 प्रति0 तथा 11–14 वर्ष की बाल संख्या ज्ञात करने के लिए 6.2 प्रति0 का अनुपात लिया गया है नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी0ई0आर0 को आधार मानते हुए नीपा नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित इनरोलमेंट रेश्यो मैथड से 2002–2010 तक का जी0ई0आर0 प्रक्षेपित किया गया है वर्ष विशेष के लिए प्रक्षेपित जी0ई0आर0 तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से

उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है प्राथमिक स्तर पर 6–11 वर्ष के लिए 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 2004 तक शतप्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2004 के बाद जी0ई0आर0 में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6–11 वर्ष व 11–14 वर्ष में बढेंगे उतने नामांकन में भी बढेंगे।

जनपद बाबपत में 6–11 वयवर्ग के बालगणना के अनुसार 169244 हैं जिसके सापेक्ष परिषदीय विद्यलयों काकुल नामांकन 77003 तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों का कुल नामांकन 42421, अनुसूचित जाति के बच्चों की कुल जनसंख्या 30090 है।

जनपद में 2001 की बालगणना के अनुसार कुल बच्चों की संख्या 169244 हैं इसमें से कुल नामांकित बच्चों की संख्या 166890 है 89887 बच्चे मान्यता प्राप्त/ गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में पंजीकृत हैं । इसी प्रकार 77003 छात्र/छात्रा जनपद के परिषदीय विद्यालय में नामांकित हैं। सारिणी 4.1 के अनुसार कुल 2354 बच्चे विद्यालय से बाहर है वर्ष 2001 का एन0ई0आर0 98.60 है । इन बच्चों के विद्यालय में लाने के प्रयास किये जायेंगे। वर्ष 2002–2003 में छात्रों का एन0ई0आर0 शतप्रतिशत करने के प्रयास होंगे। फिर निरन्तर इस एन0ई0आर0 को बनाये रखा जायेगा।

तालिका संख्या 4.2 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालगणना के अनुसार 11–14 वयवर्ग के बच्चों की संख्या 72398 है जिसमें से मान्यता प्राप्त तथा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 70310 बच्चे नामांकित है । 2088 बच्चे उच्च प्राथमिक विद्यालयों से बाहर इन बच्चों को विद्यालयों की सुविधा प्रदान करके विद्यालयों में लाया जायेगा । वर्ष 2001 में एन0ई0आर0 97.11 है जिससे वर्ष 2002–2003 में 98.63 करने हेतु प्रयास किये जायेंगे। वर्ष 2003–2004 में इस एन0ई0आर0 को शतप्रतिशत प्राप्त करके 2009–2010 तक इसे शतप्रतिशत बनाये रखा जायेगा।

प्राथमिक /उच्च प्राथमिक की ड्रापआउट प्रतिशत

(वर्ष 2001–2007 तक ड्रापआउट शन्यू करते हुए) सारिणी–4.3

वर्ष	ड्रापआउट प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर	उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रापआउट प्रतिशत
2001–2002	28.36	14
2002–2003	24	10
2003–2004	20	8
2004–2005	13	6
2005–2006	8	4
2006–2007	4	2.5

जनपद के तीन ब्लाकों के पांच–पांच उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आंकडे एकत्र किये गये उनके विश्लेषण के उपरान्त उच्च प्राथमिक का ड्रापआउट प्राप्त किया गया है।

उच्च प्राथमिक का ड्रापआउट

जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2000–2001 में कक्षा–6 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 2031 थी जिनमें से वर्ष 2002–2003 में कक्षा–8 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 1747 रही अतः तालिका में वर्णित आंकडों के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर की ड्रापआउट दर 14 प्रतिशत रही । इस दर को प्रतिवर्ष कम करते हुए वर्ष 2006–2007 तक शून्य करने का प्रयास किया जायेगा ।

प्राथमिक विद्यालय सारिणी–4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	6–11 वर्ग के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर (जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं)	एम0ई0आर0
1	2	3	4	5	6	7
2001–2002	169244	166890	89887	77003	2354	98.60
2002–2003	171837	171837	92361	79476	–	100
2003–2004	174521	174521	93703	80818	–	100
2004–2005	177247	177247	94703	22544	–	100
2005–2006	180015	180015	95403	84612	–	100
2006–2007	182829	182829	95403	87426	–	100
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	–	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	–	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	–	[illegible]

11--14 वयवर्ग उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नामांकन के लक्ष्य– तालिका -4.2

2001–2002	72398	70310	63408	6902	2088	97.11
2002–2003	73478	72478	651492	7986	1000	98.63
2003–2004	74595	74595	65551	9044	–	100
2004–2005	75729	75729	66118	9611	–	100

2005–2006	76881	76881	66694	10187	–	100
2006–2007	78052	78052	67279	10773	–	100
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	–	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	–	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	–	[illegible]

(वर्ष 2001–2007तक ड्राप आउट शून्य करते हुए) सारिणी–4.3

वर्ष	नामांकन	ड्राप आउट	प्रभावी परिषदीय
2001–2002	77003	28.36	55164
2002–2003	79476	24	60401
2003–2004	80818	20	64654
2004–2005	82544	13	71813
2005–2006	84612	8	77843
2006–2007	87426	4	83928
[illegible]	[illegible]	–	[illegible]
[illegible]	[illegible]	–	[illegible]
[illegible]	[illegible]	–	[illegible]

अध्याय–5

समस्याऐं व रणनीतियां

सर्व शिक्षा अभियान एक राष्टीय कार्यकम है इस अभियान को 2001–2002 से 2009–2010 तक चलाया जाना है यह एक दीर्घकालिक कार्यकम है जिसके अन्तर्गत पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निम्न प्रयास किये जायेंगे .

1. विद्यालय से बाहर 6–14 वयवर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाना
2. बच्चों को विद्यालय एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में प्रवेश के बाद स्कूली शिक्षा को पूर्ण कराने हेतु ठहराव सुनिश्चित करना
3. शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए अध्यपक प्रशिक्षण/शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण,निर्धारित पैरामीटरों के आधार पर विद्यालयों का निरीक्षण/पर्यवेक्षण कराया जाना

जनपद में अलग अलग समूहों में किये गये विचारों का व्यवहारिक एवं सन्तुलित रणनीति बनायी गयी है इनमें छात्र नामांकन अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति ,नवीन भवनों का निर्माण जीर्ण भवनों की लघु व वृहत मरम्मत हैन्डपम्पों की व्यवस्था, शौचालयों का निर्माण , विद्यालयों का आकर्षीकरण,विद्यालय का सुदृढीकरण हेतु प्रयास किये जायेंगे।

समस्याएं रणनीति

1. <u>(अ)पहुंच के विस्तार सम्बन्धी</u>

आर्थिक एंव सामाजिक पिछडापन बच्चो और अभिभावको की सोच मे परिर्वतन लाने के लिये प्रयास किये जाएगे इस कार्य के लिये महिला मंगल दल, नेहरु युवा केन्द्र, ए0 एन0 एम0 (प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र), जन समपर्क,ग्राम शिक्षा समितियो की सकिय सहभागिता तथा जागरुक नागरिको के सहयोग से सुधार लाने के प्रयास किये जाऐगे ऐसा करने से बच्चो के नामांकन मे बढोतरी होगी और शालात्यागी बच्चो की सख्या मे कमी आएगी

शिक्षा की उपादेयता के सन्दर्भ मे समाज मे भ्रान्ति

1 समाजोपयोगी कार्यो का न होना

2 जीवन कौशल हेतु किशोरी केन्द्रों का अभाव

उच्च प्राथमिक विद्यालय मे व्यवसायिक शिक्षा के कार्यूमो को जोडा जायेगा जिससे विद्यार्थियो को स्वावलम्बन एंव करके सीखने की प्रवृति का विकास हो सके ।विशेष्कर ग्रामीण अंचल की बालिकाओं के लिये सिलाई, कढाई, फल संरक्षण, बुनाई, स्थानीय काफट,(टोकरी व आसन बनाना),नगर क्षेत्र के निकट मेंहदी,ब्यूटी पार्लर,रिलाई,कढाई,बुनाई,चटाई निर्माण,जूटकपडेके बैग आदि सिखाने का प्राविधान किया जायेगा।

असेवित एवं मलिन बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना

1 भटटों पर शिक्षा सुविधा का

1.5 कि0मी0 तथा 300 से अधिक की आबादी वाले ग्रामों /बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जायेंगे

न होना भटटों पर बच्चों के लिए मानक अनुसार ई0जी0एस0 केन्द्र

2 घुमन्तु परिवारें का खोले जायेंगे तथा 9–14 वयवर्ग तक के बच्चों के लिए ए0आई0ई0

एक स्थान पर न ठहर पाना केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। नगर क्षेत्रों में द्विपाली योजना एवं किराये के भवनों में चलने वाले विद्यालय जहां छात्र संख्या कम है उन्हें असेवित मलिन बस्तियों में स्थानान्तरित कर पुनर्स्थापित किया जायेगा। विद्यालय की पुर्नस्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए (डी0आर0डी0ए0) का सहयोग लिया जायेगा।

भौगौलिक कठिनाई जैसे नदी,नाले,जंगल आदि के कारण शिक्षा में अवरोध भौगौलिक कठिनाई को दूर करने के उददेश्य से मानक के अनुसार शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक /नवाचार शिक्षा के केन्द्र खोले जायेंगे तथा कालान्तर में शिक्षा की मुख्य धारा से उन्हें जोडा जायेगा

विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का अभाव छात्रों की संख्या के आधार पर विद्यालय में वांछित अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा जिन विद्यालयों में पेयजल,शौचालय

1 चाहर दीवारी का न होना चाहर दीवारी की व्यवस्था करायी जायेगी उच्च प्राथमिक विद्यालयों

2 शौचालय का अलग–2 न होना में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्स्वस्था की जीयेगी

3 उच्च प्राथमिक विद्यलयों की कमी

<u>(ब) नामांकन सम्बन्धी</u> 6–11 वयवर्ग तथा 11–14 वयवर्ग के नये बच्चों को सम्बन्धित

1 आर्थिक कारण प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के

2 प्रचलित सांस्कृतिक कारक माध्यम से नामांकित कराया जायेगा बालिकाओं के नामांकन पर

व अन्ध विश्वास	विशेष बल दिया जायेगा
3 बालिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार	शालात्यागी एवं कामकाजी बच्चों को विद्याकेन्द्रों के माध्यम से वापस विद्यालयों में लाया जायेगा
4 बालिकाओं का घरेलु कामकाज में लगे रहना	बालिकाओं को कार्य अनुभव सम्बन्धी कोर्स विद्यालय में कराये जायेंगे

(स) <u>ठहराव सम्बन्धी</u>

1 विषयदक्ष अध्यापकों की कमी	महिला अध्यापकों (विषय दक्ष) को रखा जायेगा
2 शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरुकता का अभाव	ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा व्यापक जनसम्पर्क करके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरुक बनाया जायेगा जिससे कि अभिभावक जान सके कि प्राथमिक शिक्षा को अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है इसके अभाव में अभिभावक के विरुध की जाने वाली किसी भी कार्यवाही का दायित्व स्वं अभिभावक का होगा
विद्यालय का शैक्षिक वातावरण का दूषित होना	बच्चों को विद्यालय में पढाई रोचक लगे इसके लिए विद्यालय का शैक्षिक वातावरण शिक्षणअधिगम सामग्री के माध्यम से आसान व बोधगन्य बनाया जायेगा
शिक्षक का व्यवहार सम्बन्धी	
1 अभिभावकों के साथ व्यवहार अच्छा न होना	विद्यालय में अध्यापकों का व्यवहार अभिभावक व समाज के प्रति सौम्य हो इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा

2 छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार	अध्यापकों को जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण दिया जायेगा।
अध्यापकों की कमी सम्बन्धी	विद्यालयों में अध्यापकों की छात्र संख्या के अनुसार कमी दूर की
1 विषयदक्ष अध्यापकों का न होना	जायेगी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों की कमी
2 उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक	दूर की जायेगी
अभाव सम्बन्धी	
<u>(द) गुणवत्ता सम्बन्धी समस्या</u>	अध्यापकों को पाठयवस्तु को कक्षा में प्रभावपूर्ण तरीके से छात्रों के
1 समयासारिणी के अनुसार शिक्षण	समक्ष प्रस्तुत करने के लिए गहन प्रशिक्षण दिया जायेगा
का न होना	
2 सहपाठोत्तर कियाकलापों के	अध्यापक को अधिकतम शैक्षिक कार्यदिवसों में कार्य करने के लिए
समयसारिणी में स्थान कम देना	प्रेरित किया जायेगा तथा अध्यापक डायरी अध्यापन के अनुसार
3 शिक्षण प्रगति का नियमित रिकार्ड	लिखना अनिवार्य बनाया जायेगा तथा अधिक से अधिक शैक्षिक
न रखना	कार्य करने वाले अध्यापकों को शिक्षा समिति के माध्यम से पुरुस्कृत
4 अभिभावकों को बच्चों की प्रगति से	कराया जायेगा
अवगत न कराना	
5 सतत मूल्यांकन का अभाव	अध्यापकों को मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा
<u>(ध) संस्थागत क्षमता सम्बन्धी समस्या</u>	एन0पी0आर0सी0,बी0आर0सी0 के समन्वयकों को ,प्रति विद्यालय
1 एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का	निरीक्षक,स0बेसिक शिक्षा अधिकारी,डायट मेन्टर एवं अन्य विभागीय
दक्ष न होना	अधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों को उच्च श्रेणी में वर्गीकृत कर

2 विद्यालयों का 'ए' श्रेणी में न होना	निरन्तर उसी श्रेणी में बनाय रखा जायेगा ताकि विद्यालयों में शैक्षिक
3 सतत मूल्याकन हेतु अध्यापकों का	सम्प्राप्ति का स्तर अच्छा बना रहे अन्त में यह भी गृाय्य है कि
अप्रशिक्षित होना	जनपद की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरुप इसमें समय के
	साथ परिवर्तन किया जायेगा

अध्याय–6

शिक्षा की पहुॅच का विस्तार

जनपद में शिक्षा की पहुॅच का विस्तार करने के लिये शैक्षिक प्रावधान करना आवश्यक होता हैं जनपद में डी0पी0ई0पी0 के माध्यम से वर्ष 2000–01 में चार नवीन प्राथमिक विद्यालय का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा चालीस जर्जर विद्यालयो का जीर्णो द्धार कराया जा चुका है । वर्ष 2001–2002 में तीन प्राथमिक विद्यालय तथा वर्ष 2002–03 में पांच प्राथमिक विद्यालय खोले गये है। वर्ष 2003–04 में 11 प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु स्थल चयन किया जा रहा है।

नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना – जनपद में सभी 287 बस्तियां प्राथमिक विद्यालयों से सेवित हो चुकी है इसलिए वर्ष 2003–04 के बाद कोई नवीन प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला जायेगा

तालिका–6.2

वर्ष	2002–2003	2003–2004	योग
प्राथमिक विद्यालय	5	11	16
उच्च प्राथमिक विद्यालय	13	25	38

नवीन उच्च विद्यालय स्थापना

मानक के अनुसार ऐसे असेवित ग्राम/बस्तियों जहां की आबादी 800 से अधिक तथा दूरी 3 कि0मी0 से अधिक है पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे जनपद में माईकोप्लानिंग के आधार पर 38 बस्तियां ऐसी हैं जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों

की सुविधा उपलब्ध नहीं है सर्व शिक्षा अभियान के मानक के अनुसार कक्षा–8 तक की शिक्षा सुलभ कराने के उददेश्य से दो प्राथमिक विद्यालयों में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है जनपद में कुल 38 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना प्रस्तावित है । इनमें से वर्ष 2002–03 के 13 विद्यालयों का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है तथा वर्ष 2003–04 के 25 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्थल चयन हेतु कार्यवाही की जा रही है। सभी बस्तियां सेवित हो जाने के कारण नवीन उच्च विद्यालयों की मांग नहीं की गयी है।

विद्यालय स्थल चयन के साथ ही भूमि की व्यवस्था उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण सर्वशिक्षा अभियान के मानक के अनुसार दो प्राथमिक विद्यालयों में से एक प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में कराया जायेगा जिसमें भूमि उपलब्ध होगी जहां बच्चे सुविधानुसार पहुंच सकें निर्माण हेतु धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी भवन के साथ–साथ विद्यालय के प्रांगण में शौचालय हैन्ड पम्प चाहर दीवारी की व्यवस्था भी की जायेगी

शिक्षक व्यवस्था

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक व एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित है जो छात्र संख्या के अनुपात में बढाई जायेगी

प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यपक तथा चार सहायक अध्यपक सहित कुल पांच अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है इन अध्यापकों में से विषय अध्यापक व दो महिला अध्यापिका होंगी।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में शिक्षकों की आवश्यकता

तालिका–6.4

क0सं0	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक		योग (3+4)	40:1 दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
	1	2	3	4	5	6	7
1	2001–2002	77003	1845	0	1845	1925	80
2	2002–2003	80081	1885	40	1925	2002	77
3	2003–2004	82563	1924	78	2002	2064	62
4	2004–2005	84214	1955	109	2064	2105	41
5	2005–2006	85899	1976	129	2105	2147	42
6	2006–2007	87617	1997	150	2147	2190	43
7	2007–2008	89369	2019	171	2190	2234	44
8	2008–2009	91156	2041	193	2234	2279	45
9	2009–2010	92979	2063	216	2279	2324	45

तालिका–6.5

क0सं0	वर्ष	कुल आवश्यकता	नवीन प्रा0वि0 के शिक्षक (प्र0अ0+शिक्षा मित्र)	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र	क्रमागत शिक्षक	क्रमागत शिक्षा मित्र
	1	2	3	4	5	6	7

1	2001–2002	80	0	40	40	40	40
2	2002–2003	77	20	29	28	79	78
3	2003–2004	62	10	26	26	110	109
4	2004–2005	41	0	21	20	131	129
5	2005–2006	42	0	21	21	152	150
6	2006–2007	43	0	22	21	174	171
7	2007–2008	44	0	22	22	196	193
8	2008–2009	45	0	22	23	218	216
9	2009–2010	45	0	23	22	241	238

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में शिक्षकों की आवश्यकता

तालिका–6.6

क0स0	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
	1	2	3	4	5	6
1	2001–2002	75	0	375	370	5
2	2002–2003	75	10	425	375	50
3	2003–2004	85	10	475	425	50
4	2004–2005	95	10	525	475	50

5	2005–2006	105	12	585	525	60
6	2006–2007	117	0	585	585	0
7	2007–2008	117	0	585	585	0
8	2008–2009	117	0	585	585	0
9	2009–2010	117	0	585	585	0

तालिका–6.7

क0सं0	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:4 शिक्षक	वर्तमान कक्षा–कक्ष	आवश्यक कक्षा–कक्ष
	1	2	3	4	5	6
1	2001–2002	75	0	300	284	16
2	2002–2003	75	10	340	300	40
3	2003–2004	85	10	380	340	40
4	2004–2005	95	10	420	380	40
5	2005–2006	105	12	468	420	48
6	2006–2007	117	0	468	468	0
7	2007–2008	117	0	468	468	0
8	2008–2009	117	0	468	468	0
9	2009–2010	117	0	468	468	0

विद्यालय साजसज्जा

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के लिएमानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी इस धनराशि से निम्न सामग्री को कय किया जायेगा मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, टाट पटटी, अलमारी, संदूक, श्यापट, कूडादान, म्यूजिकल ईक्यूपमेंट, खेल सामग्री, क्लास रुम, अध्यापन सामग्री उपरोक्त की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के लिए मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी इस धनराशि का उपभोग उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना की भांति ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा इसी प्रकार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साजसज्जा एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा करायी जायेगी इस धनराशि से निम्न सामग्री को कय किया जायेगा मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, टाट पटटी, अलमारी, संदूक, श्यापट, कूडादान, म्यूजिकल ईक्यूपमेंट, खेल सामग्री, क्लास रुम, अध्यापन सामग्री उपरोक्त की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में काष्टोपकरण शिक्षण सामग्री खेल सामग्री पुस्तकालय, हेतु पुस्तकों की व्यवस्था सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

पेयजल, शौचालय एवं चाहरदीवारी

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्क–11 हैन्डपम्प स्थापित कराया जायेगा प्रत्येक विद्यालय में बालक व बालिकाओं के लिए प्रथक–प्रथक निर्माण कराया जाएगा बालिकाओ

की सुरक्ष को दृष्टिगत रखते हुऐ विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित रखने के उददेश्य से चहार दीवारी का निमार्स्ण कराया जाएगा इन सुविधो की लागत नवीन विद्यालयो की यूनिट काष्ट में शामिल किया गया है।

निर्माण कार्यदायी संस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विद्यालय का सम्पूर्ण निमाण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराया जाएगा इसके अतिरिक्त भी सामूदायिक सहभागिता एंव विद्यालय के प्रति स्व की भावना को जागृत करने के उददेश्य से विद्यालय भवनो के निमार्ण के उददेश्य से ग्राम शिक्षा समिति को दायित्व सौपा जाऐगा । प्रतिवर्ष सर्वेक्षण करा कर कम लागत के भवनों के निर्माण को वरीयता देकर पूर्ण कराया जायेगा। नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही कराया जायेगा। ऐसा करने से निर्माण लागत में कमी आयेगी

वर्ष 2005-06 में ....04.... प्राथमिक एवं ....04.... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। २००२-०३ में १५ शौचालय प्राप्त हो चुके है कुल लक्ष्य २१५ का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	100	
2005-06	50	
2006-07	50	
योग	२00	

अध्याय –7

शिक्षा की पहुॅच का विस्तार– ।।

शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिंक्षा योजना एंव शौक्षिक नवाचार

सर्व शिक्षा अभियान में अनौपचारिक शिक्षा के स्वरुप को परिवर्तित करते हुये शिक्षा गारण्टी योजना/वैकलिप्क शिक्षा एंव नवाचार शिक्षा को संचालित किया जा रहा हैं ।

अनौपचारिक शिक्षा की संक्षिप्त रुपरेखा

प्राथगिक शिक्षा के रार्वव्यापीकरण करने के लक्ष्य को शतप्रतिशत प्राप्त करने के लिये पिछले कई वर्ष से सरकार ने विशेष प्रयास किये थे तथा देश की बढती हुई जनसख्या के फलस्वरुप प्राथमिक शिक्षा की बढती हुई आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु औपचारिक प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ वर्ष 1997–80 से पूरे देश में अनौपचारिक शिक्षा कार्यकम भी चलाया गया इसके अन्तर्गत 6–11 आयु वर्ग के ऐसे बच्चो को जो विद्यालय नहीं जा पाऐ है या उनके क्षेत्र में विद्यालय उपलब्ध नही हैं या किन्ही कारण वश विद्यालय छोड देना (ड्राप आउट होना) पडा हो तथा कुछ बाधओ वश विद्यालय न जा सकी बालिकाओ को और कामकाजि बच्चो को औपचारिक शिक्षा के समतुल्य शिक्षा उपलब्ध करायी गयी । यह योजना शैक्षिक दृष्टि से पिछडे राज्य में , शहरी मलिन बस्तियो ,पर्वतीयो जन जातियो और रेगिस्तानी क्षेत्रो में विशेष रुप से चलाई गई। अनौपचारिक शिक्षा योजना सहशिक्षा वाले अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो हेतु 60 :40 तथा बालिकाओ के लिये केन्द्रो को संचालित करने हेतु 10:10 के अनुपात में केन्द्र और समबन्धित राज्य द्वारा प्रदत आर्थिक सहायता से चलाई गयी

उ0 प्र0 में यह कार्यक्रम सभी जनपदो में संचालित किया गया प्रदेश में कुल 591 परियोजनाऐ संचालित रही। प्रत्येक परियोजना में 100 अनौपचारिक प्रतिवर्ष संचालित कियें गयें । जिसको पूरा करने के पश्चात बालक कक्षा 5 की परिक्षा उत्तीण करके कक्षा 6 में प्रवेश ले कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा गया । प्रत्येक केन्द्र पर 25 बच्चे नामांकित किये गये जिनमें बालिकाओ के पंजीकरण पर विशष ध्यान दिया ।

जनपद बागपत के 6 विकास खण्डो में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये ।

उपलब्धि–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दृष्टि से अनौपचारिक शिक्षा कार्यकम से उपलब्धिया रही है परन्तु जिस आशा से यह कार्यकम संचालित किया गया था उतनी उपलब्धिया नही रही ।

विश्लेषण–

प्रति योजना 100 केन्द्र संचालित किये गये। प्रत्येक केन्द्र में 25 बच्चो के नामंकन का लक्ष्य था। इस प्रकार एक परियोजना में 2500 छात्रों का नामकंन 2 वर्षो के लिये किया गया । इस कार्यकग का मुख्य उददेश्य ड्रापआउट बालक को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडना था । जो कि इतने व्यय के बाद भी सम्मभव नही हो सका ।

जनपद में संचालित डी.पी.ई.पी. ।।। /सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित ई.जी.एस. केन्द्र

जनपद में डी.पी.ई.पी. ।।। में स्वीकृत केन्द्रों की संख्या 130 है जिनमें से ई.जी.एस. के 57 केन्द्र तथा ए.आई.ई. उच्च प्राथमिक स्तर के 18 केन्द्र स्वीकृत हैं वर्ष 2003–04 में 57 ई.जी.एस. केन्द्र तथा 73 ए.एस. प्राथमिक स्तर के हैं इनमें मकतव/मदरसा भी सम्मिलित हैं। संचालित केन्दों का विवरण निम्नवत है।

विद्या केन्द्र वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र एवं ए.आई.ई. केन्द्र की स्थिति वर्ष 2003–04

क0स0	वर्ष	स्वीकृत सख्या			संचालित संख्या			कार्यरत संख्या	
		विद्या के0	वै0शि0के0	ए.आई.ई.	विद्या के0	वै0शि0के0	ए.आई.ई.	आचार्य	अनुदेशक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2000–2001	33	7	–	33	7	–	33	7
2	2001–2002	24	66	–	24	66	–	24	66
3	2002–2003	57	73	–	57	73	–	57	73
4	2003–2004	57	73	18	57	73	18	57	73+18

नोट– 18 ए.आई.ई. केन्द्र उच्च प्राथमिक स्तर के हैं।

माइक्रोप्लानिंग–

जनपद बागपत के ग्रामीण क्षेत्रो में सर्वे के द्वारा ज्ञात हुआ की बागपत में ईट भट्टो की संख्या लगभग 300 हैं जिनमें बाल श्रमिको की संख्या अधिक है तथा अल्पसंख्यक समुदाय में भी अधिकत्तर बच्चे विद्यायल नही जातें । नियोजन हेतु निम्न विवरण के अनुसार प्राथमिकता दी जाऐ।

1 अनुसूचित जाति **बाहुल्य क्षेत्र**

2 ऐसे क्षेत्र जहां बालिकाओ के नामाकंन का प्रतिशत कम हो

3 ऐसे क्षेत्र जहॉ पर ड्रापआउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चो की सख्या अधिक हो

4 ऐसे क्षेत्र जहॉ स्ट्रीट चिल्र्डन ,बाल श्रमिक ,घुमंतू एंव खतरनाक /गैर खतरनाक उद्योगो में लगें बच्चो की संख्या सर्वा अधिक हो ।

शिक्षा गारण्टी योजना ;म्लैद्धरू.

इस योजना के अन्तर्गत 6–8 वयवर्ग में पंजीकृत कराया जायेगा । ऐसे ग्राम/बस्ती/मजरो/ टोले/मुहल्ले जो विद्यालय से 1 किमी 0की परिधि के बाहर है तथा 6–8 वय वर्ग के 30 बच्चे उपलब्ध हों । वहॉ पर इस प्रकार के केन्द्रो की स्थापना की जाऐगी । इन केन्द्रों मे कक्षा 01 से कक्षा 02 तक की पढाई होगी । इन केन्द्रो का संचालन 'सर्वशिक्षा अभियान' के अन्दर चिन्हित 'स्टेट सोसाइटी' उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद निशंतगंज लखनउ द्वारा किया जायेगा । इन केन्द्रो पर 01 अनुदेशक प्रति केंद्र प्रस्तावित है ।

वर्ष–2003–2004 में विद्याकेन्द्रों वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, मकतव/मदरसा की स्थापना की गयी जिनमें लाभान्वित होने वाले 6–11 वयवर्ग के बच्चों की संख्या

वर्ष 2003–2004 में 6–14 वयवर्ग के केन्द्रों में नामांकित बच्चों का विवरण

क0सं0	केन्द्र का प्रकार	स्वीकृत संख्या	संचालित संख्या	नामांकित बच्चों का विवरण		
				बालक	बालिका	योग
1	ई.जी.एस.	57	57	876	791	1662
2	वै.शि.केन्द्र	38	38	416	425	841
3	मकताव	35	35	824	790	1614
4	ए.आई.ई.	18	18	–	–	–

स्रोत–बी0एस0ए0 कार्यालय बागपत

ब्लाक वार स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 2003

आधार–परिवार सर्वेक्षण 31.08.2003 की स्थिति जनपद–बागपत

विकास खण्ड	चिन्हित बच्चे	नामांकित बच्चे	अवशेष बच्चे
बागपत	5909	5421	488
बडौत	7847	7085	762
बिनौली	6006	5193	813
छपरौली	5434	4968	466
खेकडा	5875	5369	506
पिलाना	4318	3563	755
योग	35399	31593	3806

विद्यालय न जाने वाले बच्चों तक शिक्षा की पहुंच के लिए ब्रिज कोर्स, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र ,विद्या केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

वैकल्पिक एंव नवाचार शिक्षा ; ।प्म्द्ध कार्यक्रम –

ड्रापआउट होने के पलस्वरुप् तथा अधिक आयु हो जाने के कारण झेंप/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे विशेषकर काम काजी तथा बालश्रमिक एव नवाचार शिक्षा की मुख्यधारा से जोडने के लिये वैकल्पिक एंव नवाचार शिक्षा केन्द्रो की स्थापना की जायेगी ।जिन ग्राम/बस्ती/मजरो/टोले मुहल्ले में 15 वालक/बालिका शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित होंगे वहीं पर ए0 आइ0 ई0 केन्द्रो की स्थापना की जाऐगी । ये केन्द्र प्राथमिक

एंव उच्च प्राथमिक दोनो स्तरो पर चलाये जायेगें । प्राथमिक स्तर के केन्द्र में 01 अनुदेशक एंव उच्च प्राथमिक स्तर पर 02 अनुदेशकों की व्यवस्था प्रस्तावित हैं

शिक्षा गारंटी केन्द्र (ई0 जी0 एस0) ,वैकल्पिक एंव नवाचार केन्द्रो का स्वरुप –

उपरोक्त असेवित बस्तियाँ एंव शालात्यागी छात्र/छात्राओं के लिएं शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र चरणबद्ध रुप से खोले जाने प्रस्तातिव हैं ।

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एंव नवाचार शिक्षा केन्द्रो का संचालन समय विशेष परिस्थितियो को छोडकर केन्द्रो के संचालन का समय देर शाम एंव रात्रि में नहीं रखा जायेगा । ये केन्द्र प्रतिदिन 04 घंटे संचालित किये जायेगें ।

बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र –

जिन ग्राम/बस्ती/मजरो/टोले मुहल्ले में बालिका साक्षरता दर न्यूनतम है । ऐसे ग्रामों में बालिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेगें तथा महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी । इसमें सामुदायिक सहभगिता, कलाजत्था, महिला मंगल दल माँ–बेटी मेला, किशोरी संघ, आदि के सहयोगी से चेतन जागृति एंव बालिका शिक्षा में रुचि को बढाने का प्रयास किया जायेगा तथा न्यूनतम महिला साक्षरता के आधार पर शिक्षण केन्द्र खोले जाऐगे ।

अल्पसंख्यकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र–

जनपद का अधिकांश 6–14 वर्ग का निरक्षर बच्चा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित है जो केवल मकतव में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है । इस कार्यक्रम में मकतवें मदरसों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है । इन मकतवें/मदरसो में उसी धर्म का व्यक्ति यदि हाईस्कूल उत्तीर्ण है तो उसे अनुदेशक के रुप चिहिन्त किया जाऐ और वहां पर निःशुल्क बेसिक शिक्षा की पाठय पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जायेगा । इनका चयन

मकतव कमेटी/ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से किया जायेगा । अल्पसंख्यक आबादी वाले विकास खण्डों में केन्द्र खोले जायेगे । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002–2003 में 40 तथा 2003–2004 में 10 मक्तव/मदरसा का सुद्धीकरण किया जाना प्रस्तावित है विकास खण्डवार सूची इस प्रकार है

मक्तव/मदरसों की सूची तालिका–7.5

क0सं0	विकास खण्ड	मक्तव/मदरसों का नाम
1	बागपत	मसीहुल उलूम बागपत
2	बागपत	जामी उलूम अशरफियां बागपत
3	बागपत	पीरवाला मदरसा बागपत
4	बागपत	राजपूतों वाला मदरसा बागपत
5	बागपत	मदरसा निवाडा
6	बागपत	मदरसा दोझा
7	बागपत	मदरसा सरुरपुर
8	बागपत	मदरसा टटीरी
9	खेकडा	इस्लामिया मदरसा खेकडा
10	खेकडा	बडी मस्जिद मक्तव खेकडा
11	खेकडा	मक्तव काठा
12	खेकडा	मक्तव ललियाना
13	खेकडा	हरचन्दपुर मक्तव
14	खेकडा	मदरसा मुबारिकपुर

15	खेकडा	मदरसा सरफाबाद
16	खेकडा	मदरसा विनयपुर
17	बडौत	मदरसा नूरिया बडौत
18	बडौत	मदरसा कासिम उलूम बडौत
19	बडौत	मदरसा इदारा बडका रोड बडौत
20	बडौत	मदरसा इदरीशपुर
21	बडौत	मदरसा ओसिका
22	बडौत	मदरसा पठानकोट
23	बडौत	मदरसा हरीमस्जिद बडौत
24	बडौत	मदरसा स्टेशन बडौत
25	बिनौली	मदरसा बिनौली
26	बिनौली	मदरसा बिनौली पलडा
27	बिनौली	मदरसा बरनावा
28	बिनौली	मदरसा दाहा
29	बिनौली	मदरसा टीकरी
30	बिनौली	मदरसा दोघट
31	बिनौली	मदरसा फौलाद नगर
32	बिनौली	मदरसा मिलाना
33	बिनौली	मदरसा बोपुरा
34	बिनौली	मदरसा पिचौकरा
35	बिनौली	मदरसा शेखपुरा

36	खेकड़ा	मदरसा मालमाजरा
37	पिलाना	मदरसा बिलौचपुरा
38	पिलाना	मदरसा बसौद
39	पिलाना	मदरसा डौला
40	पिलाना	मदरसा गौसपुर
41	पिलाना	मदरसा अमीनगर सराय
42	पिलाना	मदरसा ढिकौली
43	पिलाना	मदरसा लुहारा
44	पिलाना	मदरसा दौलतपुर
45	पिलाना	मदरसा सिंघावली
46	छपरौली	मदरसा आदर्श नगला
47	छपरौली	मदरसा छपरौली
48	छपरौली	मदरसा बराल
49	छपरौली	मदरसा असारा
50	छपरौली	मदरसा टांडा

विकलांग बच्चो के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र–

जनपद बागपत में न पढने वाले विकलांग बच्चों की संखा ज्ञात करनें के लिये सर्वे कराया जा रहा है इसके ऑकडे कुछ ही समय में प्राप्त हो जायेगे तथा उनके लिये विकास खण्डवार चिन्हांकन कर प्राथमिकता के आधार पर ई0 जी0 एस0 एवं ए0 आई0 ई0 केन्द्र की स्थापना की जायेगी ।

विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र पर अधिकतम 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की आयु तक रखने का प्रावधान है । इसमें न्यूनतम छात्र संख्या को 15 से कम भी किया जाने का प्रस्ताव है । जिस ग्राम/बस्ती/मजरे/टोले/मुहल्ले में विकलांग बच्चे हैं उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर छात्रा संख्या एंव उम्र में पूरी छूट दिया जाये प्रस्तावित है कोई भी विकलांग शिक्षा से वंचित न रह जाय असं बात का पूर्ण प्रयास किया जायेगा । चलने में यदि असमर्थ है तो या तो उसके घर पर केन्द्र खोला जायेगाा अथवा साइकिल अथवा वैसाखी उपकरणो की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करना प्रस्तावित है ।

ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र आधारित कोर्स :–

ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन/क्षेत्रा आधारित शिविरः–

सडक/प्लेटफार्म, मलीन बस्तियों, दुकानों, धुमान्तू बच्चो, नौकरी पेशा, कुलीगिरी करने वाले बच्चो तथा ऐसे बच्चों जिनके अनिभावक जेल में है अथवा बाल श्रमिको/खतरे के उद्योगो में लगे बच्चे जिनका वय वर्ग 9–14 है, के ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन/क्षेत्र विशिष्ठ आधारित शिविर संचालित किये जायेगें । जनपद बागपत में भट्टो की संख्या सर्वाधिक है अतः 42 ब्रिज कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है । जनपद बागपत के 6 विकास खण्डों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003–2004 में प्रत्येक विकास खण्ड की प्रत्येक न्यायपंचायत में एक–एक ब्रिज कोर्स वर्ष 2006 तक संचालित किया जायेगा।

प्रस्तावित ब्रिज कोर्स की सूची–　　　　तालिका–7.6

क0 सं0	विकास खण्ड	प्रस्तावित संख्या
1	बागपत	7
2	बडौत	9

3	बिनौली	10
4	पिलाना	8
5	खेकडा	7
6	छपरौली	5

इन ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र विशिष्ठ आधारित शिविरो का मुख्य उददेश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित रहे इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जायेगा ।

प्रत्ये ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन/क्षेत्रा विशिष्ठ आधारित शिविर में 9–14 वर्ष तक के न्यूनतम 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेगें तथा ये शिविर आवासीय होगें । इन शिविरो में बच्चो के रहने,खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी । जनपद की वार न्यायपंचायतों में ब्रिज कोर्स हेतु छात्र/छात्राऐं उपलब्ध नहीं हैं इस लिए 42 न्यायपंचायतों में ब्रिज कोर्स संचालित किये जा रहे हैं।

निर्धारित मानकों के अर्न्तगत ब्रिजकोर्स/शिविरो के लिए एक (01) केयर टेकर, दो (02)पैरा टीचर, एक (01) कुक तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होंगी और इस पर चयन मानक प्रकिया के अनुसार किया जायेगा । जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि–हेतु संविदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जायेगी। केयर टेकर/अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, छात्र/छात्रा के लिये निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिये वित्तीय मानक प्राइमरी एंवअपर प्राइमरीकी भांति रखी जायेगी । केवल आवासीय व्यवस्था, खाने–पीने की निःशुल्क व्यदस्था एंव राज–राज्जा आदि के लिये [illegible]िरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी । अतिरिक्त धन की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति/जन समुदाय का सहयोग/कुछ अंशदान प्राप्त करने का प्रयास किये जायेगे । ब्रिज कोर्स खोलने हेतु उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी

जायेगी जहॉ पर निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध हो सके यह भी घ्यान रखा जायेगा कि ब्रिज कोर्स विकास खण्ड/जनपद मुख्यालय में स्थापित हों ।

ब्रिज कोर्स का संचालन ग्रामीण/नगर क्षेत्र के मुख्यालय में किया जायेंगा । आवासीय व्यवस्था यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाये तो उस क्षेत्र/स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी ।

ब्रिज कोर्स/शिविरो की अवधि 2 माह से 18 माह तक रखी जायेगी । इस हेतु 3,000/–रु0प्रति छात्र/छात्रा अनुमन्य होगी और इसी मानक धनराशि से सम्पूर्ण व्यवस्था की जायेगी ।

परिवार सर्वेक्षण में नामांकन से छूटे छात्रों हेतु ब्रिज कोर्स

क0सं0	विकास खण्ड	न्यायपंचायत	ग्राम/मजरा
1	बागपत	नौरोजपुर गुर्जर	निवाडा
2	बागपत	सरुरपुर	सरुरपुर
3	बागपत	बागपत नगर	माता कालोनी
4	बागपत	बागपत नगर	पुराना कस्बा
5	बागपत	बागपत नगर	वार्ड –14,15
6	पिलाना	पिलाना	दौलतपुर
7	पिलाना	ढिकौली	ढिकौली
8	पिलाना	खटटा प्रहलादपुर	खटटा प्रहलादपुर
9	पिलाना	अमीपुर बालैनी	बस स्टेंड अमीपुर
10	पिलाना	डौला	गौसपुर
11	खेकडा	फुलेरा	छोटी सिंघैली

12	खेकडा	रटौल	शीशमहल रटौल
13	खेकडा	ललियाना	गौना
14	खेकडा	फिरोजपुर	फिरोजपुर
15	खेकडा	खेकडा नगर	वार्ड –5,6
16	खेकडा	काठा	हरिजन बस्ती काठा
17	खेकडा	बडा गांव	बडा गांव
18	छपरौली	रमाला	रमाला
19	छपरौली	चांदन हेडी	आर्य समाज बदरखा
20	छपरौली	सूप	सूप
21	छपरौली	रठौडा	शिव मन्दिर रठौडा
22	छपरौली	छपरौली टाउन	पानी की टंकी
23	बिनौली	बिनौली	पिचौकरा
24	बिनौली	टीकरी	टीकरी
25	बिनौली	बामनौली	सिरसली
26	बिनौली	दोघट	हरिजन बस्ती दोघट
27	बिनौली	बिनौली	हरिजन बस्ती बिनौली
28	बिनौली	मुलसम	हरिजन बस्ती मुलराम
29	बिनौली	बिजवाडा	बिजवांडा

30	बिनौली	गांगनौली	सूजती
31	बडौत	बरवाला	बरनावा
32	बडौत	लुहारी	जौनमाना
33	बिनौली	मवीकला	मवीकला
34	पिलाना	अमी0 सराय	अमी0 सराय हरि0बस्ती
35	पिलाना	मुकारी	मुकारी
36	पिलाना	बुढसैनी	पुरा महादेव
37	पिलाना	हिसावदा	खिदौडा
38	बडौत	बिजरौल	वाजिदपुर
39	बडौत	अंगदपुर	बढावद
40	बडौत	बडका	बडौली
41	बडौत	लुहारी	जागौस
42	बागपत	मीतली	महनवा

नोट . इन ब्रिज कोर्स के आयोजन से 2520 छात्र। छात्रा लाभान्वित होंगे

अनुसूचित छात्र छात्राओं हेतु ७ाठ मासिक ब्रिज कोर्स स्थल चयन सूची

क0सं0	विकास खण्ड	स्थल चयन
1	बागपत	टटीरी
2	बागपत	फैजपुर निनाना

3	पिलाना	अमीनगर सराय
4	खेकडा	खेकडा
5	खेकडा	मवीकला
6	खेकडा	मवीकला
7	बिनौली	मुल्सम

उक्त ब्रिज कोर्सो के माध्यम से लगभग 280 बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जोडे जायेंगे।

विद्यालय वापस चलो शिविर (समर कैंम्प)

इस प्रकार के शिविरों का प्रमुख उददेश्य शालात्यागी बच्चों विशेषकर अनसूचित जाति की बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडना है यह शिविर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दानों के लिये ही चलाये जाने हैं शिविरों का संचालन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोंनों विद्यालयों में होगा इन शिविरों के माध्यम से शालात्यागी बच्चों को शिक्षित करके उनके स्तर के अनुसार औपचारिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिये प्रौतसाहित किया जायेगा शिविर की अवधि 10 दिन की होगी इन शिविरों में ऐसे बच्चों को भी प्रवेश दिया जायेगा जो विद्यालय से बाहर हैं और अभिप्रेरणा के अभाव में शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रहे है इन शिविरों में बालक बालिकाओं के अभिभावकों भी आमन्त्रित किया जायेगा और साहत्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा जगपत बागपत में कुल 24 समर कैम्प प्रस्तावित थे वर्ष 2001–2002 में 25 समर कैम्पों के माध्यम से 1007 बच्चे तथा वर्ष 2002–2003 में 8 समर कैम्पों के माध्यम से 288 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा गया

विद्यालय वापस चलो समर कैम्प विवरण–

क0 स0	समर केम्प	वर्ष 2001–02	वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04
1	समर केम्प	25	8	–

वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 तक लगातार 6–6 समर केम्प आयोजित किये जायें

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन–

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा जो कालान्तर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाली समिति भी कही जायेगी । जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे–

1 जिलाधिकारी अध्यक्ष

2 मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष

3 विशेषज्ञ बे0 शि0 अ0/जि0 बे0 शि0 अ0 सदस्य सचिव

4 डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आफिसर (ई0 जी0 एस0) सदस्य

5 प्राचार्य जिला एंव प्रशिक्षण संस्थान सदस्य

6 जिला स्तरीय श्रम विभाग का अधिकारी सदस्य

7 जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य

8 वित्त एंव लेखाधिकारी (कार्यालय बे0 शि0 अ0) सदस्य

9 स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि सदस्य

(जिलाधिकारी द्वारा नामित)

ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका–

प्रस्तावित शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा योजना (ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0) के लियें ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्त्तव्य एवं दायित्व प्रस्तावित है ।

6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चो की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उन्हें चिन्हित करना ।

- कार्यकमो के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना ।
- अनुदेशकों का चयन करना ।
- केन्द्रो का समय निर्धारित करना ।
- केन्द्रो की साज–सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार मूल्यो पर नियमानुसार कय कर केन्द्रो का संचालन हेतु अनुदेशको को उपलब्ध कराना ।
- अनुदेशको को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्र का दायित्व सौपना ।
- अनुदेशको की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति एंव केन्द्र का प्रबन्धन एंव प्रतिदिन निरीक्षण करना ।
- केन्द्रो में पढने वाले बच्चो को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिये लगातार प्रोत्साहित करना ।
- नियमित रुप से अनुदेश के मानदेय का भुगतान करना ।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका–

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विकासखण्ड स्तर पर समिति की निम्न भूमिका प्रस्तावित है ।

- ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना ।
- ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग कराना, समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार करना ।
- कलस्टर रिसोर्स पर्सन/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक की सहायता से केन्द्रों/शिविरों का भ्रमण एंव पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुक्षण की व्यवस्था करना ।
- जनपद एंव विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण केन्द्र आयोजित कराना

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एंव दायित्व :–

जनपद में सफल (ई0 जी0 एस0 और ए0 आई0 ई0) हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति को निम्नांकित दायित्व प्रस्तावित है ।

शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र एंव नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावो को ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर से तैयार करा कर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना ।

केन्द्र/ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन क्षेत्राविशिष्ट सेमिनार/शिविर के प्रस्ताव को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना ।

कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराना।

अन्य विभागीय अधिकारियों एंव प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कर बपदअगतहगदवग कार्यक्रमों का संचालन करना ।

कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एंव प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशलाओं का आयोजन करना।

स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मदवार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रमों से संचालनार्थ अग्रिम रुप में उपलब्ध कराना ।

अनुदेशक चयनः–

अनुदेशक यथासम्भव उसी स्थान एंव समुदाय का होगा जहां पर शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है । उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गॉव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है ।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी । इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी । अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंको को प्रतिशत को ध्यान में रखते हुय वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात् अनुदेशक को आमन्त्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा । किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता हैं । ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा ।

नगरक्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगरक्षेत्र, सभासद सम्बन्धित वार्ड एंव नगर क्षेत्र के वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा ।

आवश्यकतानुसार मकतव/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में मकतवो/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता दी जायेगी अन्यथा सम्बधित मकतव की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो को मकतवों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रुप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमन्त्रित किया जायेगा ।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जनसमुदाय के अनुदेशक की आवश्यकता एंव उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायी जायेगी ।चयन प्रकिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मलित किया जायेगा । उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिये अनुदेशक की न्यूयनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी । जहॉं पर स्नातक अभ्यार्थी उपलब्ध न हो वहा पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यार्थी का चयन किया जा सकता है

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एंव ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारुप पर एनेक्चर के साथ सलंग्न किया जायेगा ।

बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा ।

नगरक्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशैषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगरक्षेत्र,सभासद सम्बन्धित वार्ड एंव नगर क्षेत्र के वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा ।

आवश्यकतानुसार मकतव/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक योग्यता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में मकतवों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रो को प्राथमिकता दी जायेगी अन्यथा सम्बंधित मकतव की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो , को मकतवों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रुप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमन्त्रित किया जायेगा ।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जनसमुदाय के अनुदेशक की आवश्यकता एंव उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है । ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रो का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायी जायेगी । चयन प्रकिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षातकार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मलित किया जायेगा ।उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी। जहां पर स्नातक अभ्यार्थी उपलब्ध न हो वहां पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यार्थी का चयन किया जा सकता है ।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एंव ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारुप पर एनेक्चर के साथ सलंगन किया जायेगा ।

अनुदेशक का प्रशिक्षण:—

अनुदेशक का 30 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिसोर्स सेंटर पर आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक चयनित अनुदेशक का एक माह का प्रशिक्षण का जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायट के प्रवक्ताओं,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0 डी0 आई0/ब्लाक प्रोग्राम आफीसर/ ब्लाक रिसोर्स पर्सन तथा योग्य अध्यापक, संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराया जायेगा । प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रु0

1500/– प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण को उपलब्ध कराया जायेगा । प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रुप में कोई धनराशि देय नहीं होगी ।

अनुदेशक मानदेय वितरण :–

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक को मान देय की धनराशि रु0 1000/– प्रति अनुदेशक की दीर से सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी । जिसे अध्यक्ष एंव सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारां अनुदेशक को चैक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दिया जायेगा । मानदेय की एक बार में 6 माह की अग्रिम धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातों में स्थानान्तरित कर दी जायेगी ।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के अनुदेशक के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर/प्रोग्राम आफीसर/प्रोग्राम पर्सन एंव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से अनुदेशक के संतोष जनक कार्य किये जाने पर किया जायेगा । इस प्रकार की धनराशि कार्यकम से सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी । यह धनराशि नगरक्षेत्र के सम्बन्धित सभासद/प्रधानाध्यापक के संयुक्त खातें में स्थानान्तरित की जायेगी तत्पश्चात् चैक द्वारा अनुदेशक को भुगतान किया जायेगा ।

पर्यवेक्षण :–

शिक्षा गारंटी एंव वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0 डी0 आई0 /ब्लाक प्रोग्राम आफीसर/ब्लाक रिसोर्स पर्सन/ब्लाक रिसोर्स सैक्टर/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा/नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक/नगर प्रोग्राम आफीसर/नगर रिसोर्स पर्सन/सहायक शिक्षा अधीक्षक/जनपद नगरीय अधिकारियों द्वारा किया जाऐगा। न्याय

पंचायत संसाधन – केन्द्र प्रभारी/बी0 आर0 सी0 प्रभारी द्वारा अनुदेशको की वार्षिक बैठकें भी ली जायेंगी । जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्लाक आफीसर/रिसोसर्स पर्सन/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी भी समय समय पर इन बैठकों में अनुश्रवण करेगें । निकटस्थ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एंव अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रो का पर्यवेक्षण करते रहेंगे । न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारीयों को अपनी आख्याओं से अवगत कराते रहेंगे ।

ग्राम शिक्षा समिति भी नियमित रुप से इन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी और समय–समय पर अपने सुझाव अनुदेशक/अनुदेशिका को देगी । डायट में डी0 आर0 यू0 प्रभारी एंव उनके अधीनस्थ सभी अभिकर्मी भी इन केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण करेगें । पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारीयों द्वारा एक रोस्टर प्रणाली के द्वारा किया जायेगा ताकि सार्वभौमिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सकें ।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री :–

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एंव शिक्षण सामग्री हेतु धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे सीन्तरित की जायेगी । ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र अनुदेशकों को उपलब्ध करायी जायेगी । शिक्षा केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद (रु0 845/– प्राथमिक तथा 1200/– उच्च प्राथमिक) से किया जायेगा । शिक्षण सामग्री मद का 5 प्रतिशत राज्य/जनपदीय प्रबन्धन हेतु क्रय किया जायेगा ।

शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में राज्य, सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तके ही सम्प्रति उपयोग में लाई जायेगी !

छात्र–छात्राओं का मूल्यांकन :–

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक एंव शिक्षा गारंटी केन्द्रों में पढनें वालें बच्चों का सतत् एंव नियमित मूल्यांकन किया जायेगा । इसके लिये अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी । बच्चों का तिमाही, छमाही, वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधर पर किया जायेगा । तथा यह प्रयास किया जायेगा की वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में पढने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसकें लिये वह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा जायें। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र पर पढने वाले बच्चे शीघ्र अति शीघ्र एंव अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें । इसी परिपेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति/विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा ।

अनुदेशको से बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनकें व्यावहारिक स्तर में आये सुधार से अभिभावको एंव ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा । केन्द्रो में अध्यनरत बच्चें जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्य क्रम पूर्ण कर लेगें, उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी ।

प्रबन्धन लागत :–

उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत राज्य एंव जिला/विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक/प्रबंधन पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित हैं ।

विकास खण्ड स्तर पर प्रबंधन की अधिकतम लागत निम्नवत् रखी जायेगी ।

तालिका–7.8

80–100 केन्द्रों के मध्य	2॰50 लाख रु0 प्रति वर्ष
50–80 केन्द्रों के मध्य	2॰00 लाख रु0 प्रति वर्ष
25–50 केन्द्रों के मध्य	1॰5 लाख रु0 प्रति वर्ष
25 केन्द्रों के कम	रु0 100॰00 प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष

अध्याय –8

ठहराव में वृद्धि

प्रथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की लक्ष्य प्राप्ति में अबतक के अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बालक बालिकाओं का विद्यालय में पंजीकरण तो हो जाता हैं कतिपय कारणों से ठहराव में वृद्धि न होने के कारण ड्राप आउट की समस्या आती हैं । सर्व शिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि के लिये प्रयास किये जा रहें है, जिनमें मुख्य प्रयास निम्नलिखित हैं ।

तालिका–8.1

क्रम सं0	सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	विद्यालय पुनर्निमाण	45	20
2	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	150	15
3	पेयजल सुविधा	30	15
4	शौचालय	150	62
5	चहारदीवारी	–	–

निर्माण कार्य :–जनपद में 11 प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2003–04 में संचालित किये जायेंगे तथा 13 उच्च प्राथमिक विद्यालया वर्ष 2002–03 में निर्माण हो रहे हैं तथा वर्ष 2003–04 के 25 उच्च प्राथमिक विद्यालय शीघ्र ही निर्मित करा कर संचालित किये जायेंगे ।पूर्व में डी0 पी0 ई0 पी0 द्वारा 328 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया गया । जनपद में वर्ष

2004–05 से 2006–07 तक 45 प्राथमिक जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण 20 उच्च प्राथमिक जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण कराया जायेगा प्राथमिक स्तर पर छात्रों की संख्या में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए 150 अधिक कक्षा कक्ष तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 15 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा 30 प्राथमिक विद्यालयों में तथा 15 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी प्राथमिक विद्यालयों में 150 शौचालय,तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 62 शोचालय बनवाये जायेंगे ।

अतिरिक्त शिक्षको की आवश्यकता:–

सर्व शिक्षा अभियान में 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों में शतप्रतिशत नामांकन तथा 2007 तक ड्रापाउट दर 0 करने के लिये 40 :1 के छात्र–अध्यापक अनुपात पर अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी । जों निम्न सारणी में दी गयी है

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की गणना

(वर्ष 2001–2007 तक

वर्ष	नामांकन	प्राभावी परीषदीय	सृजित पद (1845)			
	परीषदीय	नमांकन	40:1 के आधार पर आवश्यकता			
					एस.एस.ए. में प्रस्तावित	
					अध्यापक	शिक्षा मित्र
				....	....	....

			स्वीकृत शिक्षक	शिक्षा मित्र	योग	40:1 से आवश्यकता	अति. आवश्यकता	अति. शिक्षक	शिक्षा मित्र
2003–04		82212	1845	196	2041	2055	14	7	7
2004–05	82544	84267	1852	203	2055	2107	52	26	26
2005–06	84612	86374	1878	229	2107	2159	52	26	26
2006–07	87426	88533	1904	225	2159	2213	54	27	27
					–	–			
					–	–			
					–	–			

उक्त तालिका के अनुसार विद्यालयों में अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की तैनाती की जायेगी ।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क0स0	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक		योग (3+4)	40:1 दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक एस. एस.ए. में प्रस्तावित
	1	2	3	4	5	6	7
1	2001–2002	77003	1845	0	1845	1925	–
2	2002–2003	80081	1885	40	1925	2002	17
3	2003–2004	82563	1924	78	2002	2064	78

4	2004–2005	84214	1955	109	2064	2105	21
5	2005–2006	85899	1976	129	2105	2147	21
6	2006–2007	87617	1997	150	2147	2190	22
7							–
8							–
9							–

क0सं0	वर्ष	कुल आवश्यकता	नवीन प्रा0वि0 के शिक्षक (प्र0अ0+शिक्षा मित्र)	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र	कमागत शिक्षक	कमागत शिक्षा मित्र एस.एस.ए. में प्रस्तावित
	1	2	3	4	5	6	7
1							–
2	2002–2003	77	20	29	28	79	17
3	2003–2004	62	10	26	26	110	77
4	2004–2005	41	0	21	97	131	20
5	2005–2006	42	0	21	21	152	21
6	2006–2007	43	0	22	21	174	21
7							–
8							–
9							–

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़ें प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक** विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क0सं0	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक **शिक्षक**
	1	2	3	4	5	6
1						
2	2002–2003	75	10	425	375	50
3	2003–2004	85	10	475	425	50
4	2004–2005	95	10	525	475	50
5	2005–2006	105	12	585	525	60
6	2006–2007	117	0	585	585	0
7						
8						
9						

क0सं0	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:4 शिक्षक	वर्तमान कक्षा–कक्ष	आवश्यक कक्षा–कक्ष
	1	2	3	4	5	6
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	2003–2004	85	10	380	340	40
4	2004–2005	95	10	420	380	40
5	2005–2006	105	12	468	420	48
6	2006–2007	117	0	468	468	0
7						
8						
9						

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु अतिरिक्त शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान 2002–2007 में प्रस्तावित नहीं हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता

क0सं0	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	40:1 दर से कक्षाकक्ष	वर्तमान कक्षाकक्ष	नवीन विद्यालय के कक्ष	योग (4+5)	आवश्यक कक्षा कक्ष एस.एस.ए. में प्रस्तावित

1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	–
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	2003–2004	82563	2064	2002	10	2012	222
4	2004–2005	84214	2105	2064	0	2064	250
5	2005–2006	85899	2147	2105	0	2105	79
6	2006–2007	87617	2190	2147	0	2147	43

प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों हेतु वर्ष 2000–2001 में 228 तथा वर्ष 2001–2002 में 100 इस प्रकार डी.पी.ई.पी. ।।। द्वारा कुल 328 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जा चुका है 2003 की छात्र संख्या तथा उपरोक्त तालिका में प्रोजेक्टिड संख्या के अनुसार 2004–2005 से 2006–2007 तक कुल 150 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी। इस हेतु 2004–2005 से 2006–2007 तक 50–50 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्मित कराने का प्रस्ताव किया गया है।

विद्यालय सुविधाएँ

प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक

जनपद में प्रत्येक प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय को विद्यालय की मरम्मत /रख रखाव हेतु अनुदान रु0 5000 प्रतिवर्ष दिया जायेगा ।

जनपद में प्रत्येक प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय कों विद्यालय विकास हेतु अनुदान रु0 2000 प्रतिवर्ष दिया जायेगा । जनपद के सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं वाले विद्यालयों ,राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी विद्यालय विकास हेतु अनुदान रुपये 2000 प्रति विद्यालय दिया जायेगा।

जनपद में आवश्यकता वाले प्रत्येक विद्यालय कों विद्यालय की लघु मरम्मत के लियें रु0 20000 तथा वृहत मरम्मत के लिये रु0 70000 दिया जायेगा । इन विद्यालयों की संख्या 76 है।

जनपद में टी.एल.एम. निर्माण हेतु परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 3–3 शिक्षकों को (अधिकतम) भी 500 रु0 प्रति अध्यापक के रुप में दिया जायेगा जिससे विद्यालय में शिक्षण कार्य व अधिगम अधिकतम हो सके ।

रखरखाव टी.एल.एम. अनुदान

वर्ष	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
रखरखाव – 5000 परि. उ.प्रा.	75	92	116	प्रा0–454 उ0 प्रा0 – 116 योग–570	प्रा0–454 उ0 प्रा0 – 116 योग–570
विद्यालय विकास अनुदान 2000 परि.उ.प्रा.	75	92	प्रा0–454 उ0 प्रा0 – 116 स0प्रा0– 76 कुल – 646	प्रा0–454 उ0 प्रा0 – 116 स0प्रा0– 76 कुल – 646	प्रा0–454 उ0 प्रा0 – 116 स0प्रा0– 76 कुल – 646
टी.एल.एम. अनुदान परि.उ.प्रा.- " प्रा0	75 454	92 454	192 470	192 470	192 476
लघु मरम्मत				–	–
वृहत मरम्मत				–	–

टी.एल.एम. अनुदान वितरण – अध्यापक विवरण

क्र.सं.	परिषदीय प्रा0 अध्यापक	परि0 उच्च प्रा0 अध्यापक	सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापक	योग
1.	1667	285	228	2180

नोट– जनपद में सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं वाले विद्यालयों की संख्या 76 है इस प्रकार 76 विद्यालयों को विद्यालय विकास अनुदान तथा टी.एल.एम. अनुदान 76 गुना 3 – 228 अध्यापकों को दिया जायेगा।

बालिका शिक्षा

पृष्ठभूमि

प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होना किसी भी राष्ट्र की उन्नति का प्रमुख स्त्रोत आंका जाता है । भारत के संविधान में इसी महत्व पूर्ण विचार धारा को स्वीकार करते हुए 6–14 वय वर्ग के बालक बालिकाओं हेतु अनिवार्य एंव निशुल्क शिक्षा कर दी गयी हैं । संविधान में दिये गये मौलिक अधिकार नागरिकों के हर प्रकार के भेद भाव एंव धर्म जाति लिंग या जन्म के स्थान पर आधारित उत्पीडन की रक्षा करतें हैं । पंचवर्षीय योजनाओं में संविधान में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति बचन बद्धता का समर्थन किया है । बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेश एंव रणनीतियो में समय के साथ साथ बदलाव आया हैं उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर राष्ट्रीय दर 52.2 प्रतिशत के विपरीत 41.6 है महिला एवं पुरुषों की राष्ट्रीय साक्षरता दर 64.8 प्रतिशत और 25.3 प्रतिशत है ।

उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर (प्रतिशत में)

तालिका–8.4

क0 स0	वर्ष	महिला	पुरुष
1	1991	25.31	70.23
2	2000	42.38	75.55

साक्षरता दर सारणी

साक्षरता दर   तालिका–8.5   अनुसूचित जाति

क्र सं0	विकास क्षेत्र	पु0	महिला	योग	पु0	महिला	योग
1	छपरौली	61.20	32.55	46.87	40.24	27.55	33.89
2	बडौत	63.45	37.99	50.72	42.52	29.45	35.98
3	बगपत	66.43	42.40	54.41	42.12	30.98	36.45
4	पिलाना	63.23	40.24	51.73	40.73	29.76	35.27
5	खेकडा	66.47	41.95	54.21	41.54	30.23	35.88
6	थ्बनौली	61.47	34.45	47.93	41.45	28.72	35.08
	नगर क्षेत्रवार साक्षरता						
1	छपरौली	65.25	48.23	56.74	45	30.2	37.6
2	टीकरी	62.78	45.46	52.12	47.28	30.47	38.87
3	दोघट	63.76	44.37	54.06	44.34	31.23	37.78
4	बडौत	64.74	47.48	56.11	47.24	32.73	39.98

5	बागपत	63.47	46.27	54.87	46.28	31.24	38.76
6	टटीरी	64.75	47.34	56.04	47.38	30.45	38.91
7	सराय	61.76	45.73	53.74	46.54	31.23	38.88
8	खेकडा	63.78	44.27	54.25	45.23	30.46	37.84

इस बात से यह बात स्पष्ट रुप से उभर कर आती है। कि साक्षरता तथा नामांकन दोनो दृष्टि से महिला वर्ग पुरुष वर्ग की तुलना में पीछें हैं। किसी भी राष्ट का विकास वहॉ की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता हैं। एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा एक महत्वपूर्णलक्ष्य है ओर बालको का नामांकन शत प्रतिशत करने के साथ सभी वर्ग की शत प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी करना। नामांकन हेतु चलायें गयें विभिन्न अभियानों और गॉव स्तर पर बैठक में आए विभिन्न स्तर के जनों से चर्चा के दौरान कई ऐसी समस्याएं उभर कर आयी हैं जिनके समाधान के लिए बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक हैं। महिला निरक्षरता कों दूर करने एंव प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुॅच में आने वाली कठिनाइयों कों दूर करने की प्राथमिकता दी जायेगीं।

इसको दृष्टि गत रखते हुये बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तगर्त बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये गयें हैं। इसमें 3–6 वय वर्ग के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। जिसकें परिणाम स्वरुप इन विद्यालयों में बालिका शिक्षा से नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई। क्योकि बालिकाए प्रायः इस वय वर्ग को अपने छोटे भाई बहनो की देखभाल करने के करण विद्यालय नही जाती थी। कक्षा 5 पास करने के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं

के लिए कार्यानुभव प्रशिक्षिण की व्यवस्था की जायें जिससें बालिकाऐं भविष्य में स्वालम्बी बन सकें । इससें बालिकाओं की उपस्थति में वृद्धि होगी एंव ड्राप आउट की दर में कमी आयेगीं

बालिका शिक्षा में आनें वाली समस्याएं:–

बालिकाओं की सबसें जटिल समस्या नामांकन एंव शलात्याग की हैं । इसका विशेष कारण महिला शिक्षिकाओं का अभाव, आर्थिक समस्या, समाज में प्रचलित सांस्कृतिक एंव अन्ध विश्वासिता मुख्य कारण हैं । बालिकाओं के लिये शिक्षा कि मॉग न होना कम नामांकन होना प्रमुख कारण है । साथ ही बालिका के लिये शैक्षिक सुविधाओं की भी कमी हैं । साथ ही साथ बालिकाओं के अभिभावकों और जन समूह में इनकी शिक्षा के लिए सोच नकारात्मक हैं ।

एफ0जी0डी0

जनपद में अल्प संख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति एंव पिछडें वर्ग की लडकियों का पंजीकरण कम पाया जाता हैं । तथा जनसंख्या में कुछ भाग में शिक्षा कों व्यर्थ मानतें है क्योंकि शिक्षा रोजगार को सुनिश्चित नहीं करती है । इसकें अतिरिक्त शिक्षक एंव अभिभावक के बीच सम्पर्क एंव सहयोग के अभाव सें समस्या और जटिल हो जाती हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी बालिकाओं को मदरसों में पढाना ही अधिक बेहतर समझते हैं। जेण्डर भेद भाव के कारण बालिकाओं के नामांकन एंव धारण में गिरावट आयी है । यही नही शिक्षित बालिकाओं कों विवाह सम्बन्धीउ मुद्धों में एक बोझ समझा जाता हैं। बालिका की शिक्षा का महत्व केवल उसके विवाह के सम्बन्ध में ही नापा जाता हैं स्कूल का वातावरण भी ऐसा है जो बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित नहीं करती हैं । और न ही उनकी विशेषताओं को उभारता है । कटाई,शादी,त्यौहार ,मेलों के अवसर पर भी इनको घर पर रोक लिया जाता हैं ।

प्राकृतिक रुकावटें जैसे स्कूल की दूरी अकेले रास्तें,जंगल नदी ,नहर तथा बाढ की अनियमितता की स्थिति समस्याओं कां और भी उत्प्रेरित कर देती हैं ।

बालिका शिक्षा हेतु अब तक किये गये कार्यक्रमः–

जनपद बागपत में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से मीना फिल्म का प्रदर्शन किया गया। वर्ष 2000–01 में पॉच माडल कलस्टर की 29 ग्राम सभाओं में फिल्म का प्रदर्शन किया गया हैं । 2001–02 में दस और नये माडल कलस्टर का चयन किया गया हैं । ये माडल कलस्टर अनुसूचित जाति, अल्प–संख्यक, और कम नामांकन अधिक शालात्याग वाले क्षेत्रों की न्याय पंचायत पर किया गया हैं । डी0 पी0 ई0 पी0 ससस में अन्य कलस्टरों का भी चयन किया जायेगा

मॉ बेटी मेलों का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जा रहा हैं । नामांकन वृद्धि हेतु शिक्षा के प्रति जागरुकता उत्पन्न करना हैं ।

ग्रीष्म कालीन 10 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया गया जिससे में जिसमें वातावरण निर्माण, स्वास्थ शिक्षा ,सिलाई,कढाई,बुनाई आदि के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा कबाड से जुगाड बनाने में विशेष ध्यान दिया गया । साथ ही साथ छूट गई पढाइ का अभ्यास कर पुनः योग्यतानुसार कक्षाओं में नामांकित कराये । प्रत्येक विकास खण्ड के उन ग्राम सभाओं में आयोजित किये गये जहॉ पर शालात्यागी बालिकाओं की संख्या 30 से 40 तक थी । 10दिवसीय प्रशिक्षण के उपरान्त इन बालिकाओं का नामांकन कराया गया इससे अभिभावक इतने प्रभावित हुयें कि विद्यालय में छात्राओं का अपेंक्षा कृत अधिक नामांकन हुआ । 25 ग्रामों 2001–02 में प्रशिक्षण कराया गया तथा 1007 बालक/बालिकाओं का नामांकन हुआ । वर्ष 2002–2003 में 8 ग्रीष्म कालीन शिविर लगाये गये जिससे 288 बालक बालिकाओं का नामांकन विद्यालय में हुआ।

ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जिससे बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिया गया उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में गृह विज्ञान विषय बालिकाओं को पढया जा रहा हैं तथा कार्यानुभव का कार्यक्रम अनौपचारिक ढंग से प्रदान किया जा रहा हैं । ताकि बालिकाऐं स्वालम्बी बन सकें तथा शिक्षा के प्रति इनमें सम्मान उत्पन्न हो

सकें । ग्राम शिक्षा समितियों एम0 टी0 ए0,महिला प्रेरक समूह,अभिभावक शिक्षक संघ का गठन हो चुका हैं । तथा वर्ष 2002–03 में 23 एम.टी.ए. समूहो का प्रशिक्षण कराया गया है । इन समूहों की बैठके हो चुकी हैं।

दूरियां(गैप्स)

अनेक प्रयास करके शालात्यागी बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करा दिया जाता है किन्तु महिला शिक्षिकाओं के अभाव में बालिकायें बीच में ही विद्यालय छोडने लगती है अतः ठहराव की समस्या उत्पन्न होती है इसके निदान के लिए भविष्य में महिला शिक्षा मित्रों को प्राथमिकता दी जायेगी

बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु सामुदायिक सहभागिता/गतिशीलता के कार्यकम–

मीना कैम्पेन:–

इसके माध्यम से प्रत्येक गॉव स्तर पर गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, फिल्म प्रदर्शन , बैनर चार्ट पोस्टर आदि के माध्यम से माता पिता अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा मीना कैम्पेन के आरम्भ में पूर्व परियोजना अधिकारीयो एंव क्षेत्रीय कार्य कर्त्ताओ को मीना फिल्म से अवगत कराया जायेगा ।

मीना कैम्पेन के कार्यकम विवरण– तालिका–8.7

क0सं0	वर्ष	चयनित न्यायपंचायत
1	2000–2001	–
2	2001–2002	29
3	2002–2003	10
4	2003–2004	40

5	2004–2005	46
6	2005–2006	46
7	2006–2007	46

उपरोक्त क्रमांक 1 से 4 तक के केम्पेन कराये जा चुके हैं तथा 5 से 7 तक के कराये जाने प्रस्तावित हैं

मॉ बेटी मेला आयोजन :–

ग्राम स्तर पर मॉ बेटी मेला आयोजन किया जायेगा । बालिकाओ की शिक्षा के विशेष में महिलाओ को संगठित होना आवश्यक है । इस उददेश्य से मॉ बेटी मेलो और महिला संसदो का आयोजन किया जाता है इन मेलों का आयोजन करने का मुख्य उददेश्य स्कूल न जाने वाली बालिकाओ को उनकी माताओं के साथ लाना एवं उन्हें बालिकाओ की शिक्षा, स्कूल में की गई गतिविधियो एंव बच्चे स्कूल में क्या करते है , से जुडे हूये विभिन्न मुददो के बारे मे जानकारी देना है इस आयोजन के प्रमुख निम्न उददेश्य है :–

- नामांकन वृद्धि हेतु शिक्षा के प्रति जागरुक किया जाना तथा बालिकाओं की पहॅुच तथा ठहराव में वृद्धि करना ।
- बालिकाओ की शिक्षा के महत्व के बारे में माताओं को जानकारी देना ।
- बालिकाओ द्वारा अनुभव की गई समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट करना ।
- शिक्षको एंव अभिभावको के बीच क्रिया शील सम्बन्ध की स्थापना करना ।
- स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को स्कूल जाने के लिये प्रोत्साहित करना ।
- बेटें और बेटी के प्रति लोगो के विचारो को जानने के लिए जेण्डर आधारित वाताओं का आयोजन करना।
- वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर वाताओं का आयोजन करना

मां–बेटी मेले का आयोजन निम्न प्रकार से होगा–   तालिका–8.8

क0सं0	वर्ष	चयनित न्यायपंचायत
1	2000–2001	–
2	2001–2002	–
3	2002–2003	2
4	2003–2004	44
5	2004–2005	46
6	2005–2006	46
7	2006–2007	46

उपरोक्त न्यायपंचायतों की प्रत्येक ग्राम सभा में मां–बेटी मेला कराया जायेगा

ग्राम शिक्षा समितियो को न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशाला प्रशिक्षण :–

प्रत्येक स्तर पर एम0 टी0 ए0 , आर0 टी0 ए0 महिला प्रेरक समूह ब्लाक तथा एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक केन्द्रो के लिये सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे । माडल न्याय पंचायत केंन्द्र सामुदायिक गतिविधियो के केंन्द्र तथा शिक्षा केन्द्र के रुप मे विभाजित किये जायेगे वर्ष 2002–2003 में 23 एम.टी.ए. का गठन किया गया 2003–2004 में 23 तथा वर्ष 2004–2005 से 2006–2007 तक लगातार एम.टी.ए. समूहो का गठन किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियो एम0 टी0 ए0 महिला प्रेरक समूहो का गठन तथा प्रशिक्षण :–

बालिकाओं को शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं और उनके नामांकन विद्यालय में ठहराव एंव सम्प्रष्टि स्तर में वृद्धि हेतु वी0 ई0 सी0, एम0 टी0 ए0, डबयू0 एम0 जी0 को संवेदनशीलता बनाना विद्यालय में एंव विद्यालय से बाहर की गतिविधियो में उनका

योगदान सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । वर्ष 2002–2003 में 10 महिला प्रेरक समूहों का गठन किया जा चुका है।

सेवारत अध्यापक बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयको का प्रशिक्षण :–

जनपद के समस्त अध्यापको एंव बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयको को बा0 शि0 को प्रोत्साहित करने वाली कक्षा कक्ष प्रकियाओं को गतिविधियो हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

विशेष नामांकन अभियान :–

चयनित कलस्टर में पी0 आर0 ए0 (पार्टीसिपेटरी रुरल एप्रैजल) के आधार पर सूक्ष्म नियोजन किया जायेगा । प्राप्त आंकडों के आधार पर नामांकन अभियान चलाया जायेगा ताकि सभी लक्ष्य गत समूह की बालिकाओं का विद्यालय मे नामांकन हो सके सम्बन्धित दृश्य श्रव्य सामग्री एंव कुछ विशिष्ट उपाख्यान से परिचित करया जाता है ताकि बालिकाओं के लिए शिक्षा कें संदेश को विकसित कर दर्शन फिल्म को देखने के बाद मुददो पर अर्थ पूर्ण वार्ता कर सकें ।

कला जत्था:–

जनपद में प्रचलित रागनियॉ, लोक गीत का आयोजन किया जायेगा स्वैच्छिक संगठनो एंव कला जत्थो के सहयोग से पोपेट शो का आयोजन किया जायेगा और इसके द्वारा महिलाओं के शिक्षा को प्रति जागरुगक किया जायेगा । प्रत्येक वर्ष 46 न्यायपंचायतों पर कलाजत्थों का आयोजन किया जायेगा। वर्ष 2002–2010 तक

रैलियां तथा नारे लेखन

बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु प्रत्येक गांव में रैलियां तथा नारे लेखन कराये जायेंगे

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन :–

ब्चो की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करनें हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गॉव स्तर पर निकाली जा रही है जिसमें स्कूल के बच्चे ,अध्यापक व अभिभावक शामिल होगें । ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थिति रहतें है उनके घर के बाहर थोडी देर तक खडे होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय जाने के लिए दबाव बनाया जायेगा ।

ब्च्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावको एंव बच्चों को सचेत करने के लिए बच्चों का हरा,पीला, एंव लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा उपस्थिति के आधार पर ताराकंन किया जा रहा हैं ।

माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति ------------------------------ हरा निशान
माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति ------------------------------ पीला निशान
माह में 6 दिन या उसकी कम उपस्थिति ------------------------------ लाल निशान

बाल मेला

बाल मेला प्रतिवर्ष 46 न्यायपंचायतों पर आयोजित किया जायेगा।

बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्द्धन के कार्यक्रम :–

जिला संदर्भसमूह का गठन एवं प्रशिक्षण

जनपद स्तर पर समुदाय को शिक्षा से जोडने हेतु जिला संदर्भ समूह के 8 सदस्यों का गठन किया जायेगा एवं 8 सदस्यीय टीम को डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा।

1. दो प्रवक्ता डायट
2. दो सेवानिवृत अध्यापक

3. चार स्वयं सेवी संस्थाओं के सक्रिय सदस्य

ब्लाक संदर्भ समूह का गठन एवं प्रशिक्षणः–

प्रत्येक विकास खण्ड में सामुदायिक सहभागिता बढाने हेतु 25 से 30 सवयं सेवी सदस्यें की एक टीम गठित की जायेगी जिसका प्रशिक्षण जिला सदर्भसमूह के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा डायट स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा प्रशिक्षण की व्यवस्था डायट द्वारा की जायेगी

ग्राम संदर्भसमूह का गठन एवं प्रशिक्षणः–

प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में 25 सदस्यों की एक शिक्षा समिति गठित की जायेगी।

ग्राम शिक्षा समितियों का गठन एवं प्रशिक्षणः–

जनपद बागपत में 237 ग्राम शिक्षा समितियों एवं अन्य नगरीय शिक्षा समितियों का गठन कर प्रशिक्षित किया जायेगा प्रशिक्षण त्रिदिवसीय होगा तथा प्रशिक्षण के तृतीय दिवस विद्यालयीय छात्रों द्वारा ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में सांस्कृतिक कार्यकम प्रस्तुत किये जायेंगे।

परिवार सर्वेक्षणः–

सर्व शिक्षा अभियान के प्रथम वर्ष 2002–2003 में 50 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण सम्पन्न होने के पश्चात उनका परिवार सर्वेक्षण कराया जायेगा तथा आकडों को संकलित कर कम्प्यूटरीकरण होगा शेष समितियों का प्रशिक्षण अग्रिम वर्ष सम्पन्न होगा।?

ग्राम शिक्षा योजना का पंजिका का निर्माणः–

परिवार सर्वेक्षण के पश्चात प्रत्येक ग्राम सभा एवं नगरक्षेत्र में ग्राम शिक्षा योजना पंजिका तैयार की जायेगी इस पंजिका में बच्चे के पूरे परिवार का विवरण होगा तथा गांव की शिक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जानकारी अंकित रहेगी और यह

पंजिका ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय–1 में उपलब्ध रहेगी समस्त आंकडों को संकलित कर प्राथमिक विद्यालय के भवन पर अंकित किया जायेगा। जनपद में 237 ग्राम शिक्षा समितियों तथा 28 नगरवार्ड शिक्षा समितियों का गठन एवं प्रशिक्षण कराया जा चुका है।

वी0ई0सी0 पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण

समिति प्रकार	2000–2001	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
ग्रा0शि0स0	150	87	–	150	87	–	–
नग0वार्ड समि	–	28	–	28	–	–	–

वर्ष 2002-03 में सभी ग्राम शिक्षा समितियों तथा 28 नगर वार्ड शिक्षा समितियों का सूक्ष्म नियोजन भी कराया जा चुका है

ग्राम शिक्षा समितियों की बैठके

- जिले की समस्त ग्राम शिक्षा समितियो को बालिका शिक्षा हेतु संवेदन शील बनाने के लिये प्रशिक्षण प्रदान कियें जायेगे ।
- महिला प्रेरक समूह का गठन हो चुका है तथा प्रशिक्षण प्रस्तावित है ।
- जनपद के समस्त विद्यालय के सेवारत अध्यापकों, अध्यापिकाओं का बालिका शिक्षा संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण प्रस्तावित है । उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मदर टीचर ऐसोसिएसन :–

प्रत्येक ग्राम मे मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की जायेगी जिसमें प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा के प्रति जागरुक अधिकतम 10 महिलायें इसकी सदस्या होगीं । ब्लाक/न्याय पंचायत/स्कूल स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रस्तावित है । इस कार्यशाला में बालिकाओं में शिक्षित होने के लाभ तथा हानियों से अवगत कराया जायेगा ।

अभिभावक अध्यापक संघ :–

अभिभावकों को शिक्षा विशेषकर बालिकाओं के प्रति सजग करने के उददेश्य से प्रत्येक विद्यालय मे अभिभावक संघ की स्थापना की जायेगी तथा प्रत्येक माह पी0 टी0 ए0 की बैठक ग्राम शिक्षा समिति के साथ की जायेगी । जिससे बालिका शिक्षा तथा विद्यालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श कर उसका निराकरण किया जायेगा । प्रति कक्षा के 2 बालिकाओ के अभिभावक जिसमें से एक गत परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले एंव 1 कम अंक उत्तीर्ण करने वाले बालिका के अभिभावक सदस्य होगें । इन अभिभावको को दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित है ।

एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 का प्रशिक्षण– तालिका–8.9

क0स0	वर्ष	चयनित विद्यालय
1	2000–2001	–
2	2001–2002	–
3	2002–2003	–
4	2003–2004	92

5	2004–2005	108
6	2005–2006	562
7	2006–2007	562
8	2007–2008	–
9	2008–2009	–

कैसेट/वी0डी0ओ निर्माणः–

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यकमों को प्रत्येक विकास खण्ड में प्रति वर्ष एक–2 कैसेट/वी0डी0ओ तैयार की जायेगी ।

माता शिक्षक संघ :–

ऐसे गॉव जहॉ प्राथमिक विद्यालय हैं । उन गॉवों की 10–11 सकिय माताओं तथा शिक्षको के समूह का निर्माण कर उनके कार्य एंव दायित्व के प्रति संवेदन शील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है ये माता शिक्षक संघ विशेष रुप से बच्चो की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

महिला प्रेरक दलः–

ऐसे गॉव तथा मजरें जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होगें वहॉ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र विद्या केन्द्र तथा विद्यालय की विभिन्न गति विधियो का अनुश्रवण कर समुदया तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेगें ।

शिक्षा अभियान के अनतर्गत बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु प्रस्तावित रणनीतियॉः–

बालिकाओं के अभिभावक दूरस्थ विद्यालय में अपनी बालिकाओं को भेजनें से कतराते हैं । अतः कमशः 3/2 किमी0 की परिधि से कम प्रत्येक 300 आबादी पर नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत की गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालय पर 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित हैं । प्रत्येक विद्यालय में बालिका केन्द्र के ठहराव हेतु शौचालय तथा पेय जल की व्यावस्था की जायेगी । सुरक्षा की दृष्टि में रखते हुये प्राथमिकता पर विद्यालय की चहारदीवारी की जायेगी । प्रा0 वि0 में बालिकाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा अभिभावको को भरोसा दिलाने की दृष्टि से कम से कम 1 महिला शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । जिसको धीरे धीरे बढाकर 50 प्रतिशत

का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा ।

30 प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से तथा विशेष कर अल्प संख्यक अभिभावक की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में चिन्हित उच्च प्रा0 वि0 में द्विपाली योजना बनाने का प्रस्ताव रखा गया है । इसके अन्तर्गत केवल बालिकाओं को शिक्षा दी जायेगी । इस पाली में अधिकाधिक शिक्षिकाओं की व्यवस्था की जायेगी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान प्रा0 वि0 के भौतिक संसाधनो को लाभ लेते हुये दोपहर के समय उ0 प्रा0 वि0 की कक्षाएं संचालित की जायेगी । इस व्यवस्था का लाभ बालिकाओं की शिक्षा पर अवश्य होगा

बालिका शिक्षा की वृद्धि के लिये माडल कलस्टर विकसित करने की रणनिति अपनायी जायेगी इन सब स्कुलो में माता शिक्षा संघ अभिभावक शिक्षक समूह तथा महिला प्रेरक समूह का गठन कर बालिका शिक्षा में वृद्धि लाने के की सम्पूर्ण रणनीती अपनायी जायेगी । इस वयवस्था के अन्तर्गत समुदाय एंव अभिभावक को प्रेरित करना तथा विद्यालय में अध्यापको को प्रेरित करना तथा विद्यालय में अध्यापको व शिक्षण विधियों में बालिकाओं के प्रति शिक्षा मे सजगता उत्पन्न करना उल्लेखीय है

बालिकाओं के नामांकन एंव ठहराव हेतु कक्षा 1 से 8 तक निःशुलक पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था की जायेगी बालिका शिक्षा की रणनीति के विशेष क्रियान्वयन एंव अनुश्रवण हेतु एक पूर्ण कलिक जिला समन्वयक (बे0 शि0) की व्यवस्था जि0 परि0 कार्यालय में की जायेगी । इस विशेषाधिकारी का दायित्व होगा कि बालिका शिक्षा सम्बन्धी सभी कार्यो तथा प्रस्तावित रणनीतियो का क्रियान्वयन करायें तथा जनपद में प्रारम्भिक शिक्षा कि विभिन्न गतिविधियो मे बालिका शिक्षा सम्बन्धी बालिकाओ के प्रति संवेदन शीलता का वातावरण सृजित करें । समन्वयक (बा0 शि0) कों वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था सामुदायिक सहभागिताओं तथा शिक्षण अधिगम कार्य कमों से

जुडना भी आवश्यक होगा जिससे कि (बा0 शि0) की आवश्यकताओं का समावेश उन कार्यकमों में भी पूर्ण रुप से कर सकें ।

सामुदायिक सहीागिता के कार्यकमों में ग्राम शिक्षा समिति तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड समिति सदस्यो को बा0 शि0 हेतु विशेष रुप से अभिकेन्द्रित कराया जायेगा । इस कार्य में विशेष कर महिला सदस्यों/महिला प्रधानो /महिला वार्ड सदस्यों को लिंग संवेदन शीलता के प्रति अभिकेन्द्रित किया जायेगा । यही यही महिला समाख्या से इस लगातार समपर्क रखा जायेगा और उनके अनुभवों के मार्गदर्शन का लाभ लेते हुये सामुदायिक सहभगिता एंव अध्यापक प्रशिक्षणों में सहयोग प्राप्त किया जायेगा ।

बालिका शिक्षा पर वैकल्पिक शिक्षा कार्यकमों का सीधा प्रभाव होगा क्योकि घरेलू जिम्मेदारियों में जकडी हुयी बालिकाओं कों लचीली क्षेक्षिक प्रणालियो से जुडने में आसानी होती हैं ।और लचीली समय सारणी से शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकती हैं । समय समय पर होने वाले विशेष कार्य कमों मे बालिका शिक्षा कों प्रचार प्रसार से प्रभावी बनाया जायेगा । बालिकाओं की शिक्षा वृद्धि के लिये सर्व शिक्षा अभियान मे शिशु शिक्षा केन्द्रो को खोलने का प्रस्ताव है । अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्र एंव अनु जाति के क्षेत्र तथा जहां पर बालिकाओं का नामांकन कम है ओर बालिकाए औपचारिक प्रा0वि0 में नही हैं के लिय प्रतिमाह एक जन जागरण अभियान चलाया जायेगा

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का गठन** किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :–

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलनें तथा उन्हें संवेदनशील बनानें हेतु मुख्य रुप से बच्चों बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड देने के कारणेां ,उनके निराकरण संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जाना प्रस्तावित है ।

रेमेडियल टीचिंग एवं उपचारात्मक शिक्षण:–

2002–2010 तक 46 न्यायपंचायतों का शिक्षण प्रतिवर्ष। इसके साथ–2 अनुसूचित जाति के 70 बच्चों को प्रति वर्ष रेमेडियल टीचिंग दी जायेगी।

बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी प्रशिक्षण:–

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों को सुचारु रुप से संपादित करने हेतु प्रति वर्षएन0पी0आर0सी0 /बी0आर0सी0 को प्रशिक्षित किया जायेगा।

निःशुल्क पाठयपुस्तक वितरण:–

बालिकाओं का विद्यालयों में शतप्रतिशत नामांकन एवं ठहराव हेतु निःशुल्क पाठयपुस्तक वितरित की जा रही है ।

सामुदायिक गतिशीलता की बैठकें :–

सामुदायिक गतिशीलता बढाने हेतु जनपद स्तर पर जिला संदर्भ समूह ब्लाक स्तर पर ब्लाक संदर्भ समूह एवं ग्राम स्तर ग्राम शिक्षा समितियों की प्रत्येक माह में एकबार बैठक आयोजित की जायेगी।

पुरस्कार:–

प्रत्येक वर्ष दो ग्राम शिक्षा समितियों को उनके अच्छे कार्य के लिए पुरुषकृत किया जायेगा इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष एक–2 शिक्षा मित्र को उनके अच्छे योगदन के लिए पुरुषकृत किया जायेगा।

ई0जी0एस/बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र

जिन ग्राम/बस्ती/मजरो/टोले मुहल्ले में बालिका साक्षरता दर न्यूनतम है । ऐसे ग्रामों में बालिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेगें तथा महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी । इसमें सामुदायिक सहभगिता, कलाजत्था, महिला मंगल दल मॉ–बेटी मेला, किशोरी संघ, आदि के सहयोगी से चेतन जागृति एंव बालिका शिक्षा में रुचि को बढाने का प्रयास किया जायेगा तथा न्यूनतम महिला साक्षरता के आधार पर शिक्षण केन्द्र खोले जाऐगे ।

महिला अध्यापकों/शिक्षामित्रों की व्यवस्था:–

विद्यालयों मे बालिकाओं के नामाकन के पश्चात ठहराव हेतु प्रत्येक विद्यालय मे एक महिला शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी

स्कूल पूर्व शिक्षा/शिशु शिक्षा केन्द्र :–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण में स्कूल पूर्व शिक्षा के महत्व पूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है । जनपद बागपत में नॉन सी0 डी0 एस0 के अन्तर्गत एक विकास खण्ड में 15 शिशु केंन्द्र खोले जाने प्रस्तावित है। ये केन्द्र उस विकास खण्ड में खोले जायेगें जहां की साक्षरता दर महिलाओं की सबसें कम होगीं । जनपद में स्कूल पूर्व शिक्षा/शिशु शिक्षा केन्द्र संचालित नहीं है।

विशेष आवश्यकता वाले क्षेत्रों की सम्स्याओं हेतु रणनीतियां–

माडल कलस्टरः–

2000–01 के माडल कलस्टर बडका, रमाला, मुलसम, ललियान ,गाधी

2001–02 में हिसावदा, डोला, खट्टा प्रहलादपुर, नॉरोजपुर, मीतली सूप , साकरौंध ,काठा, सूजरा, रटोल को चयनित किया गया है । वर्ष 2002–2003 में 10 माडल क्लस्टर 2003–2004 में 6 तथा 2004–2005 से 2006–2007 तक पांच–पांच माडल क्लस्टरों का चयन किया जायेगा।

माडल क्लास्टर डेवलपमेंट :–

विकास खण्ड की ऐसी न्याय पंचायत का चयन किया जायेगा जिसमें बालिकाएं अधिक निरक्षर हो । चयनित न्याय पंचायत को माडल क्लस्टर के रुप में विकसित किया जायेगा । इन क्लस्टर के अन्तर्गत कार्यकम संचालित किये जायेगे ताकि इन न्याय पंचायतो की समस्त ग्राम सभाओ मे 6–11 वय वर्ग की बालिकाओं की शत प्रतिशत नामांकन ठहराव सुनिश्चित हो सके । साथ ही साथ समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति स्वामित्व उनकी भागीदारी भी निश्चित हो सके चयनित न्याय पंचायतों मे बालिकाओं मे आत्मविश्वास को विकसित करके उनके नेतृत्वे गुण विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यकम प्रस्तावित है ।इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रीष्म कालीन शिविरो, किशोरी संघो के गठन आदि आयोजित होगें ।धीरे धीरे माडल क्लस्टर की संख्या में वृद्धि की जायेगी ।

ग्रीष्म कालीन शिविरः–

शालात्यागी बालिकाओं को पुनः विद्यालय से जोडने हेतु कार्यकमः–

शालात्यागी बालिकओं को पुनः विद्यालय की मुख्य धारा में लाने के लिये 10 दिन का ग्रीष्म कालीन शिविर चलाया जायेगा । उनकी रक्षा विशेष मे पुनः समेकित कराया जायेगा । वे नियमित रुप से विद्यालय आये और उनकी शैक्षिक समप्रष्टि में वृद्धि हो इसके लिये चिन्हित बच्चो के घर घर पहुँचना आवश्यक है । इस कार्य में स्थानीय शैक्षिक

संस्थाओं और समुदाय विशेष रुप से महिला समूह का सहयोग लिया जायेगा । इसी के साथ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित कियो जायेगें

सामूहिक जन जागृति /ब्रिज कोर्सः–

गीष्म कालीन शिविर एवं ब्रिज कोर्स सत्र चलाये जायेंगे । लिगं भेद समाप्ति एंव बालिका शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व बोध सुनिश्चित कराने हेतु सामुदायिक न जागृति के लिये चयनित विकास खण्ड में विशेष तौर पर अन्य जनपद में सामान्य तौर पर निम्न कार्यक्रम विभिन्न स्तरो पर आयोजित किये जायेगे ।

- नुक्कड़ नाटक/ग्राम/न्यायपंचायत स्तर पर
- प्रभात फेरी ग्राम स्तर पर
- मॉ बेटी मेला आयोजन ग्राम सभा/न्यायपंचायत स्तर पर
- प्रतियोगिताएँ – खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम

पद यात्रा :–

ग्राम सभा एंव न्याय पंचायत स्तर पर पद यात्रा का आयोजन किया जायेगा । इसमे मुख्य महिला सामाजिक कार्य कर्मियो को सम्मलित किया जायेगा इसका उददेश्य महिलाओ में सामाजिक चेतना का विकास करना होगा ।

किशोरी केन्द्रों की स्थापना–

बाल केन्द्र बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है किन्तु एसी किशोरियां जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड दिया है उनके ज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ण नहीं कर सके हैं संघ की महिलाओं, समुदायों एवं

किशोरियों से विचार विमर्श के पश्चात इस आयु वर्ग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किशोरी केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव–

सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं को स्वभिलम्भी बनाने के लिए विद्यालयों में प्रयोगात्मक कार्यक्रम कराये जायेंगे जिनके माध्यम से बालिकाओं में करके सीखने की प्रवृति का विकास होगा ताकि बालिकायें आत्मनिर्भर हो सकेगी। एवं उनका विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित किया जायेगा।

तालिका–8.13

क0सं0	वर्ष	ग्राम सभायें
1	2002–2003	12
2	2003–2004	24
3	2004–2005	24
4	2005–2006	24

निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण :–

जनपद बागपत के 454 प्राथमिक विद्यालयों मे अध्यनरत अनु0जाति के बालक एंव सभी वर्ग की बालिकाओं के निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण किया जायेगा । सर्व शिक्षा अभियान में भी यही प्रक्रिया दोहरायी जायेगी । वर्तमान में सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बानक बालिकाओं को भी निःशुल्क पाठयपुस्तकें उपरोक्तानुसार वितरित की जायेंगी।

नि:शुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण

क0सं0	वर्ष	अनुसूचित जाति के बालक एवं सभी बालिकायें					
		प्रा0वि0			उ0प्रा0वि0		
		परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग
1	2002–2003	–	–	–	5054	–	5054
2	2003–2004	–	–	–	5762	–	5762
3	2004–2005	48091	–	48091	3738	10025	13763
4	2005–2006	52900	–	52900	4141	10622	14763
5	2006–2007	58190	–	58190	4522	11241	15763

नोट– परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित बालक व सभी बालिकाओं की संख्या 3738 है अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के उच्च प्राथमिक कक्षाओं के अनुसूचित बालक व सभी बालिकाओं की संख्या 10025 है।

समेकित एंव सम्मिलित शिक्षा (विकलांग बच्चों के लिए) :–

विकलांगता से ग्रसित बच्चो की संख्या भारत की कुल जनसख्या का लगभग 10 प्रतिशत है । सभी के लिये शिक्षा या सर्व शिक्षा का लक्ष्य तब तक प्राप्त नही किया जा सकता जबतक इन विकलांग बच्चों को भी समुचित शिक्षा , प्रदान नही की जाए ।

विकलांगता का प्रभाव न केवल बच्चे के सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर पडता है बल्कि माता पिता , भाई बहन ,मित्र ,पडोसी ,सगे संबधी और अंतत्वोगत्वा पूरे समाज पर पडता है । जब ये सभी इससे प्रभावित है तो इन सबको इस कार्यक्रम में सम्मिलित किये बगैर सफलता नही मिल सकती ।

विद्यालय समाज की एक ईकाई है जहॉ प्रारम्भ से ही विकलांगता के प्रति स्वस्थ एंव आदर्श मानसिकता एंव दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है । ऐसे बच्चो को शिक्षा प्रदान करने के लिये मार्ग मे आने वाली बाधाओ को भी दूर करना एक महत्वपूर्ण कार्य है । सर्व शिक्षा अभियान का उददेश्य यही है कि समाज के उपेक्षित इस वर्ग को मुख्य धारा में लाया जाय तथा एक स्वस्थ एवं समान अवसरवादी समाज का विकास हो । अंततः एक प्रभावी विद्यालय की स्थापना है, जिसमें विकलांग बच्चे भी समुचित शिक्षा प्राप्त कर सके । इस प्रकार की शिक्षा विकलांग बच्चो के मन मे आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान को बढता है ।

राष्टीय शिक्षा नीति (1986) मे भी विकलांग बच्चों की सम्मलित शिक्षा पर बल दिया गया है अनुभव तथा अनुसंधान यह दर्शाता है कि विकलांग बच्चो की विशेष विद्यालयो में शिक्षा देने से उनका सर्वागीण विकास होता है थोडी देर के लिये ऐसा अनुभव होता है कि विशेष विद्यालय से उनका अधिक विकास होगा लेकिन यह लाभ अल्प कालीन है । दीर्घ कालीन लाभ सामान्य विद्यालय मे ही सम्भव है

अतः ऐसे बच्चो का सामान्य स्कूल में रहना तथा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है स्कूल तथा शिक्षकों को निरन्तर सहयोग करते रहना ही हमारा प्रयत्न है ।

<u>विकलांगता/अक्षमता</u> के प्रकार :–

विकलांगता /अक्षमता मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है ।

- दृष्टि विकलांगता
- श्रवण विकलांगता
- अस्थि विकलांगता

- ❖ मानसिक विकलांगता
- ❖ अधिगम विकलांगता

विकलांगता/अक्षमता के प्रकार (समय आधारित):–

- ❖ जन्म के समय से ही विकलांगता होती है ।
- ❖ जन्म के बाद से ग्रहित यह विकलांगता जन्म लेने के बाद से किसी भी समय बीमारी, दुर्घटना या रासायनिक प्रभाव के कारण होती है । जैसे सडक दुर्घटना के बाद दृष्टिहीन होना ।

नेत्र/दृष्टि विकलांगता :–

अन्धापन तथा अल्प दृष्टि नेत्र विकलांगता के प्रकार है । कुछ बच्चे बिल्कुल नही देख सकते तथा जिनकी देखने की शक्ति 6/60 या 20/200 स्नेलन से कम है । जब सारे उपचार कर दिये हों तथा दृष्टि क्षेत्र 20^0 या कम हो । जब स्नेलन चार्ट उपलब्ध न हो, तो व्यक्ति अगर प्रकाश की संवेदना नही कर सकता तथा 3 मी0 की दूरी तक अंगूलियां नहीं गिन सकता है तो यह अन्धापन की अवस्था है। सहायक उपकरणों तथा उपचार के बाद ऐसे व्यक्ति जीवन निर्वाह के सभी काम कर लें तो यह अल्प दृष्टि की अवस्था है ।

श्रवण एंव वाणी किलांगता :–

यदि बच्चे में सुनने और बोलने में दोनो खामियॉ है तो उसे श्रवण एंव वाणी विकलांगता कहतें है । यदि बालक श्रवण विकलांग है तो वह स्वाभाविक रुप से वाणी विकलांग हो जाता है । अर्थात बधिर बच्चो को सुनने के साथ– साथ बोलने में भी कठिनाई आ जाती है । सामान्यः कोई भी बच्चा स्टोन डेफ नहीं होता अर्थात ऐसा नही होता कि बालक को बिलकुल भी सुनाई न दे और वो पत्थर हो । कुछ न कुछ सुनाई अवश्य देता है ।

अतः शेष बची हुई श्रवण शक्ति का विकास श्रवण विशेषज्ञों ,द्वारा जॉच करके तथा उचित श्रवण यंत्र की सहायता से श्रवण प्रशिक्षण द्वारा पुनः विकसित किया जा सकता है । लगातार 2–3 वर्ष के श्रवण प्रशिक्षण एंव वाणी चिकित्सा (स्पीच थैरेपी) के माध्यम से बालक सामान्य बालकों की तरह सुन बोल सकता है ।

अस्थि विकालांगता :–

अस्थि ,जोड या मांसपेशियों के विकार जो हाथ पैर की सामान्य गति में निश्चित रुप से रूकावट पैदा करते है अस्थि विकलांगता के अर्न्तगत आता है । इसमें शरीरिक प्रारुप में असामान्यता या वक्रता, जन्म संबन्धी असमान्यता, दुर्घटनाएं जो हाथ पैर को अलग करती है अथवा रुप मे परिर्वतन करती है। ,बीमारी के करण या पोलियो के कारण व्यक्ति की रोजगार कार्य में बाधा डालती है ये सभी इस विकलांगता के अन्तर्गत आतें है । सामान्यतः ऐसे बच्चो का दिमाग औसत बच्चों की तरह होता है । ऐसे बच्चों की स्थनांतरण के लिए उपकरण तथा यंत्र लेख यंत्र तथा अन्य सहायक यंत्रों की मदद से सहायता मिलती है ।

मानसिक मंदता :–

कुछ बच्चो का मानसिक विकास अपूर्ण होता है इसका प्रभाव मानसिक तीव्रता ,सामाजिक व्यवहार तथा . अन्य व्यवहारों पर पडता है । जन्म से पहले ,जन्म के समय तथा जन्म के बाद के कारणों से यह अवस्था 18 वर्ष तक ही मान्य है जिसे विकास की आयु कहतें है । ऐसे बच्चो को बोलने ,चलने ,अपना काम करने तथा सोचने समझने में परेशानी आती है । ऐसे बच्चे अपनी उम्र के बच्चो की तुलना में बहुत धीमी गति से सीखते है । ऐसे बच्चो की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता

का विशेष रुप से योगदान होता है । इस तरह शिक्षक के मार्गदर्शन मे ऐसे बच्चो को स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न किया जा सकता है ।

अधिगम विकलांगता :–

जिन बच्चो को लिखने, पढने ,बोलने, समझने तथा गणितीय किया करने में कठिनाई होती है। उसे अधिगम विकलांगता की अवस्था कहते है । यह मनोवैज्ञानिक प्रकिया के कारण होता है ।

सामान्यतः यदि बच्चे की तीव्रता तथा उसकी शैक्षणिक उपलब्धता में अधिक अंतर है तो वह इस विकलांगता की श्रेणी मे आता हैं ।

यह ध्यान में कमी ,संवेदना मे विकार, स्मरण में विकार आदि के कारण होता है । ऐसे बच्चो का उपचार कुछ सही निर्देशो का उपयोग कर कुछ हद किया जा सकता है ।

सर्वेक्षण –विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण :–

सर्व शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए तथा उसमे विकलांग बच्चों के शिक्षा को सुदृढ़ एंव समृद्ध करने के लिये सबसे पहली सीढी विकलांग बच्चों का चिहनीकरण है । सर्वेक्षण के द्वारा एसे विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित बच्चों की पहचान अति आवश्यक है । इसके लिए स्कूल के अंदर तथा स्कूल के बाहर अर्थात पूरे क्षेत्र में रहने वाले विकलांग बच्चों की पहचान किया जाना है ।

वातावरण सृजन :–

समाज तथा शिक्षकों में विकलांगता के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार माध्यमों का उपयोग किया जाता है इसके लिये समाचार पत्र, टी0 वी0, विडियो, रेडियो, पोस्टर, चार्टस, पम्पलेट, श्लोगन आदि का उपयोग किया जाता है । समाज में गोष्ठियो को सम्बोधित करना ,ग्राम पंचायत तथा ब्लाक स्तर पर संगोष्ठि

कर इसके बारे मे प्रचार एंव प्रसार दिया जाता है । विकलांगता के बारे में क्या ,कब,क्यो, कैसे तथा इससे सम्बन्धित भ्रम तथा भ्रातियो पर विचार– विमर्श किया जाता है । इसका उददेश्य समाज मे विकलांग बच्चो को शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों में समान अवसर प्रदान करने के लिये सभी को प्रेरित करना है ।

स्कूल के अन्दर विकलांग बच्चो की पहचान :–

यह कार्य शिक्षकों को थोडा प्रशिक्षण तथा विकलांगता की जानकारी देकर सम्पन्न दिया जाता है । इसके लिये विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण पत्र या चैक लिस्ट का प्रयोग किया जाता है तथा विभिन्न विकलांगता की पहचान की जाती हैं

स्कूल के बाहर विकलांग बच्चो की पहचान :–

इस कार्य के लिये शिक्षकों या स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर थोडे भत्ते देकर यह कार्य पूर्ण कराया जा सकता है । इस कार्य में क्षेत्र अन्वेषक की भी मदद ली जा सकती है जो घर घर जाकर ऐसे बच्चो की पहचान कर सकें ।

समुदाय में, विद्यालय जाने के योग्य उम्र के बच्चे को जो किसी विकलांगता से ग्रसित होने के कारण विद्यालय न जा रहे हो । ऐसे बच्चे अपने स्वयं के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण रखते है या वे विद्यालयें को अपने रुचि के अनुसार नही पाते अथवा स्कूल उनकी आवश्यकताओं को किसी कारण वश नही पूरा कर पा रहा है। ऐसे बच्चो की पहचान कर विद्यालय में उन्हे तैयार करके लाना जरुरी है ।

बहुविभागीय टीम के द्वारा विकलांग बच्चों का मूल्यांकनः–

शिक्षको द्वारा तथा सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त बच्चो का परीक्षण अनुभवी चिकित्सको, मनोवैज्ञानिकों, विशेष शिक्षक द्वारा दिया जाता हैं। एसे बच्चों की संख्या,प्रकार तथा इसकी प्रभाव का ज्ञान प्राप्त किया जाता है यह योजना के निर्माण तथा विकलांग बच्चो की सही व्यवस्था करने में सुविधा प्रदान करतें है ।

शिक्षको का संवेदीकरण/प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य पूरा हो इसके लिये यह बहुत जरुरी है कि शिक्षकों को अपने पढाने एंव सीखाने के तरीके, कक्षा की प्रणाली, योजना, अपनी जानकारी तथा कुशलता में बदलाव लायें । इसके साथ साथ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम वे अपने दृष्टिकोण में विकलांगता के प्रति बदलाव लाएँ जिससे कि शिक्षा प्रदान करने में अनेकों बाधाओं का निवारण हो सके । यह तभी सम्मभव है जब विकलांग बच्चो की शिक्षा से पहले हमें सभी शिक्षको को प्रशिक्षण दिलाया जाये । यह प्रशिक्षण 5 दिन का होगा तथा इसमें प्रति विकास खण्ड 3 मास्टर ट्रेनर बनाने होगे जा बाद में अन्य शिक्षको को प्रशिक्षण दे सके । स्वयं सेवी संगठनो से भी मास्टर ट्रेनर बनाये जाएगें ।

मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली, अमर ज्योति रिहेब्लिटेशन से रिसर्च सेण्टर कडकडडुम्मा विकास मार्ग दिल्ली में होगा ।

शैक्षिक सामग्री :–

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा सामग्री पहले से ही प्राप्त हो गई है। तथा सामग्री को सभी विद्यालयो को उपलब्ध कराना है ।

उपकरण तथा यंत्र :–

विभिन्न विकलांगता में उपयुक्त एवं उपयोगी उपकरण तथा यंत्र विकलांगतावार निम्नलिखित है।

नेत्र विकलांगता:–

लम्बी/मुडी केन, स्टाइलस, टेलर फ्रेम, एबकस,ज्यामिति सीखने की ब्लाक, गणित किट , मानचित्र, ब्रेल में किताब , टेप रिकार्डर एंव कैसेट, खिलौने, टॉकिगं बुक्स, टॉकिंग कैलकुलेटर,ब्रेल प्रिंटिग कम्पयूटर, आंशिक दृष्टि तथा अल्प दृष्टि विकलांगता :–

हस्त सूक्ष्म दर्शी, बडी छपाई की सामग्री , बहुरंगी चार्ट, खिलौने विभिन्न प्रकार की सतह ,बाईनाकुलर,दृष्टि परीक्षण चार्ट,केयन्स ।

वाक् एंव श्रवण विकलांगता :–

व्यक्ति श्रवण यंत्र, फलैश कार्ड , दर्पण , स्पीच ट्रेनर ।

मनसिक मंदता :–

रंगीन खिलौने, फलैश कार्ड ,बहुरंगी चार्ट, पोस्टर, शिक्षण खिलौने, खेल –कूद के सामान, टेप रिकार्डर एंव कैसेट, टी0 वी0 /वी0 सी0 आर0 ,अकुपेशनल चिरैपी उपकरण, कम्पयूटर

अस्थि विकलांगता –

आवश्यकता के अनुसार कलम के आकार मे बदलाव, कचेज, विशेष प्रकार के निर्मित जूता, तिपहिया , साइकिल, आवश्यकतानुसार फर्नीचर, स्पलीट ब्रेस, साईकिल कॉलर, फिजियोथिरेपी के यंत्र तथा उपकरण आदि ।

अधिगम विकलांगता :–

विभिन्न प्रकार की अभ्यास पुस्तिकाऐ ,शैक्षिक खिलौने, ब्लॉक , अक्षर ,सख्याऐ प्रोजेक्टर, टेप रिकार्डर , प्लास्टीसीन, रंगीन पेन्सिल ,पेन, कम्पयूटर ।

स्वैच्छिक संगठनो की सहायता :–

विशेष आवश्यकताओं वालां बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष शिक्षा तथा सम्बन्धित सेवा एंव तकनीकी सहायता तथा सहायक उपकरणो के लिये स्वयंसेवी संस्थाओ की सहायता एंव भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है। ऐसे संगठनो में विशेष प्रकार की विकलांगता के विभिन्न प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध रहती है । बहु विभागीय टीम के द्वारा ऐसे बच्चों का मूल्यांकन, परीक्षण, उपचार, थिरेपी, मार्गदर्शन इत्यादि प्रदान किया जाता है बहु विभागीय टीम के अन्तर्गत चिकित्सक, बाल चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक, नाक,–कान–गला विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, अस्थि चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, फिजियोथिरेपिस्ट, स्पीच थिरेपिस्ट एवं ओडियोलोजिस्ट, विशेष शिक्षा विशेषज्ञ एक साथ कार्य करते हैं तथा ऐसे बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं एवं सेवाओं की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा ये प्रशिक्षण कार्यकम, जागरुकता अभियान ,तथा अनुसंधान के भी कार्यो का निर्वाह करतें हैं, एंसी संस्था व्यवसायिक प्रशिक्षण का भी कार्यकम चलाती है । सेमीनार , कार्यशाला के आयोजन में भी ये मुख्य भूमिका निभाती है । सरकार की नीति निर्धारण करने में भी यह महत्व पूर्ण योगदान देती है ।

स्वैच्छिक संगठनो के निम्नाकितं प्रात्रता की शर्ते है :–

- संस्था विशेष बच्चो की आवश्यकताओं , शिक्षा एंव पुर्नवास के क्षेत्र मे कार्यरत हो ।
- संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत कम से कम 3 वर्ष का रजिस्टेशन हो या उसका नवीनीकरण हुआ हो ।
- संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता ।
- विकलांगता के क्षेत्र में काम करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो ।
- संस्था विकलांगता जन अधिनियम 1995 की धारा –5 के अधीन पंजीकृत हो ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चो की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है । विकलांग बच्चो को शिक्षा ग्रहण करने तथा प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है । इस कार्य क्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी सस्थाओ का योगदान महत्वपूर्ण एंव प्रभावी है । इस अभियान के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनो द्वारा सामुदायिक जागृति , अभिभावको तथा शिक्षकों का संवेदीकरण ,विकलांग बच्चो को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षको के कौशल तथा जानकारी विकसित करने ,छात्रो के स्वास्थ परीक्षण में अध्यापको के संसाधन एंव सहायता उपलब्ध कराने में विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर सहयोग दिया जा सकता है

स्वयं सेवी संगठनो के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था एंव मापदण्ड स्थापित है । जिसके तहत जनपद के अनुभवी ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संगठनो से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है । इन प्रस्तावो का डेस्क टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एंव अनुभवी संगठनो को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा ।

जनपद बागपत में समेकित शिक्षा का कार्यक्रमः–

नव सृजित जनपद बागपत में कुल 6 विकास खण्ड है —

- बिनौली
- बडौत
- बागपत
- छपरौली
- खेकडा
- पिलाना

जनपद में समेकित शिक्षा का कार्यक्रम विशेष चयनित ब्लाक बागपत एंव खेकडा में चलाया जा रहा है।

5 प्रकार की विकलांगताओं से युक्त 6–11 वय वर्ग के बच्चो का चिन्हीकरण किय गया।

कुल चिन्हीकरण

6–11वय वर्ग के प्राथमिक विद्यालयों के विकलांग बच्चो का चिन्हिकरण किया गया जिसमें 1212 विकलांग बंच्चो चिन्हित हुये। इसी प्रकार 11से 14 वय वर्ग के बच्चो का चिन्हीकरण किया जायेगा। क्याकि अभी तक डी0 पी0 ई0 पी0 में जूनियर हाईस्कूल को नही लिया गया था।

प्राप्त सूचना के आधार पर विकलांगता वाले 0–14 वर्ष की संख्या निम्नप्रकार से दर्शायी गयी है।

सम्पूर्ण जनपद सार प्राथमिक वर्ष–2003–2004

विकलांगता	बालक	बालिका	योग
दृष्टिअक्षमता	57	45	102
वाक–श्रवण अक्षमता	114	50	164
शारीरिक अक्षमता	523	492	1015
मानसिक मंदता	127	70	197
अधिगम अक्षमता	132	75	207
योग	953	732	1685

सम्पूर्ण जनपद सार उच्च प्राथमिक वर्ष–2003–2004

विकलांगता	बालक	बालिका	योग
दृष्टिअक्षमता	11	7	18
वाक–श्रवण अक्षमता	21	7	28
शारीरिक अक्षमता	131	79	210
मानसिक मंदता	12	5	17
अधिगम अक्षमता	20	12	32
योग	195	110	305

DETAILS OF INTEGRATED CHILDREN (DISABILITY WISE)

District- Baghpat year 2000-2001

Table-8-15

Name of Block	No. Of School	CLASS I		CLASS II		CLASS III		CLASS IV		CLASS V		Total		
	Covered	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	T
BARAUT	85	66	29	46	26	25	14	27	19	25	08	189	96	285
CHAPRAULI	61	27	15	19	10	15	11	09	10	15	03	85	49	134
KHEKRA	62	16	10	12	09	11	05	11	05	11	07	61	36	97
PILANA	68	45	30	55	37	55	35	55	50	50	30	260	182	442
BINOLY	87	32	12	31	06	14	02	16	03	10	05	103	28	131
BAGHPAT	77	38	15	20	10	08	05	05	07	10	05	81	42	123
TOTAL	450	224	111	183	98	128	72	123	94	121	58	779	433	1212

DETAILS OF INTEGRATED CHILDREN (DISABILITY WISE)

District- Baghpat year 2000-2001

Table-8-16

Name of Block	No. Of School Covered	V I		H I		O H		M R		L D		Total		
		B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	T
BARAUT	85	01	02	32	19	152	71	-	-	04	04	189	96	285
BINOLI	87	13	05	10	02	68	20	01	-	11	01	103	28	131
KHEKRA	62	01	02	06	01	51	33	-	-	-	-	61	36	97
PILANA	68	30	31	46	30	84	58	20	10	80	53	260	182	442
CHAPRAULI	61	10	06	08	03	60	36	02	01	05	03	85	49	134
BAGHPAT	77	06	05	15	06	40	23	20	08	-	-	81	42	123
TOTAL	450	64	61	117	61	455	241	43	19	100	61	779	433	1212

मैडिकल असेसमंट कैम्प:–

जनपद बागपत के विकास खण्ड खेकडा एंव बागपत में मैडिकल असेसमंट कैम्प मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत द्वारा नामित चिकित्सको द्वारा लागाया गया जिसमें विकलांग बच्चो का स्वास्थ परीक्षण किया गया। वर्ष 2002–2003 में 9 मेडिकल केम्प आयोजित कराये गये जिसमें 356 बालक तथा 205 बालिकायें कुल 561 बच्चों का मेडिकल एसेसमेंन्ट किया गया।

वर्ष 2002–2003 में विकलांग 206 छात्र छात्राओं को सहायक उपकरण स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये । जिनका विवरण निम्नवत है।

वर्ष 2002–2003/2003–2004

मेडिकल एसेसमेंन्ट केम्प का विवरण 2003-2004

जनपद –बागपत

विकास क्षेत्र			चिन्हित बच्चों का विवरण														
क्र0सं0	कैम्प की तिथि	आच्छादित न्यायपंचायतों की संख्या	दृष्टि			श्रवण			शारीरिक			मानसिक मंदता			कुल बच्चों की संख्या		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	17.07.03	3	1	1	2	2	2	4	35	10	45	1	–	1	39	13	**52**
2	18.07.03	3	2	1	3	4	2	6	96	44	142	6	2	8	108	52	**160**
3	19.07.03	3	–	–	–	6	4	10	86	32	118	3	1	4	95	37	**132**
4	31.07.03	3	–	–	–	5	2	7	55	25	80	6	2	8	66	29	**92**
5	04.08.03	3	–	–	–	3	1	4	43	20	63	5	1	6	51	22	**73**
		योग	3	2	5	20	11	31	315	131	446	21	6	27	359	153	**512**

मेडिकल एसेसमेंन्ट केम्प का विवरण 2002–2003

जनपद –बागपत

माह–

विकास क्षेत्र			चिन्हित बच्चों का विवरण														
क0सं0	कैम्प की तिथि	आच्छादित न्यायपंचायतों की संख्या	दृष्टि			श्रवण			शारीरिक			मानसिक मंदता			कुल बच्चों की संख्या		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	26.10.02	3	3	10	13	8	5	13	50	36	86	5	1	6	66	52	118
2	31.10.02	3	–	–	–	5	3	8	25	9	34	2	1	3	32	13	45
3	02.11.02	2	1	–	1	3	1	4	30	19	49	5	1	6	39	21	60
4	02.02.03	3	4	1	5	9	3	12	30	12	42	7	5	12	50	21	71
5	20.02.03	2	–	–	–	3	1	4	36	24	60	–	2	2	39	27	66
6	13.03.03	3	1	–	1	3	1	4	41	28	69	9	4	13	54	33	87
7	15.03.03	2	3	1	4	2	1	3	22	13	35	3	4	7	30	19	49
8	26.03.03	2	–	–	–	2	1	3	19	7	26	–	1	1	21	9	30
9	27.03.03	2	3	–	3	3	2	5	15	6	21	4	2	6	25	10	35
		योग	15	12	27	38	18	56	238	154	416	35	20	56	356	205	561

सहायक उपकरण वितरण

उपकरण का नाम	ट्राई साईकिल	व्हीलचेयर	कच	हियरिंग ऐड	वाकिंग स्टिक	ब्लाइंड स्टिक
लाभन्वित छात्र 2002–03	96	6	71	28	2	3
2003–2004	20	11	48	13	–	–

छात्र स्वास्थय परीक्षण:–

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है । मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ब्लाक के पी0 ए0 सी0 (प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र) में कार्यरत ए0 एन0 एम0 सप्ताह में एक बार विद्यालय में जाकर स्वास्थय परीक्षण किया जाता है । साधारण रुप से ग्रसित बच्चो को वहीं पर उपचार कर दिया जाता है। तथा गंभीर रुप से ग्रसित बच्चो को जिला अस्पताल को प्रेषित कर दिया जाता है । वर्ष 2002–2003 में 80186 बच्चों में से 60773 बच्चों का स्वरथ्य परीक्षण किया गया जो कुल छात्रों का 75.79 प्रतिशत था

भविष्य में विकलांग बच्चों के लिये किये जाने वाले कार्य–

विवरण	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007
विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान	1840	2392	2990	3588	4126
स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता	1840	2392	2990	3588	4126
विद्यालय स्वास्थ परीक्षण	84	93	101	578	586
पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (आई0ई0डी0)	2095	2138	2170	2202	2234
आर0सी0 का आई0ई0डी0 में 45 दिन का प्रशिक्षण	6	6	6	6	6

अध्याय –९

गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु नियोजन

एक समृद्ध व प्रगतिशील राष्ट्र की पहचान के मानकों में शिक्षा एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। शिक्षा नीति १९८६ के अन्तर्गत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की संकल्पना भी इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये की गई।

इसी क्रम में जनपद मेरठ के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की सीपना दिनांक २, मई १९८९ को उत्तर प्रदेश के बीस जनपदों में प्रथम चरण की डायट के रूप में स्थान छोटा मवाना में की गई। सीपना के उपरान्ह ही डायट अपने विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में संलग्न है। इसके लिए डायट जिले भर के शैक्षिक अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन करता है।

बागपत जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में अपेक्षित सुधार के लिए अप्रैल २००० में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (तृतीय चरण) का शुभारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत जनपद बागपत में १९९९ में बेस लाईन सर्वे किया गया। इसके लिए रेन्डम् सैम्पलिंग द्वारा जनपद के ५० विद्यालयों का चयन किया गया। सर्वे कराने हेतु डायट प्राचार्य एवं चार प्रवक्ताओं को प्रशिक्षित किया गया, इस कार्य मे सहयोग के लिए जनपद के १४ बी०एड०/एल०टी० प्रशिक्षित बेरोजगार उत्साही युवकों को डायट स्तर पर नयनित कर उन्हें दिनॉक ७.१.९९ से १३.१.९९ तक ७ दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कर्तव्यों और दायित्वों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। पूरी टीम द्वारा दिनॉक १२.१.९९ से २२.२.९९ तक जनपद के चयनित विद्यालयों में निर्धारित ७ प्रकार के टूल्स द्वारा सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान विद्यालय में कक्षा–२ के कुल ८४७ छात्रों तथा कक्षा–५ के ५८६ छात्रों का भाषा व गणित विषय का परीक्षण किया गया, जिसके परिणाम इस प्रकार थे–

डायट का उददेश्य

1. दक्ष एवं प्रभावी सेवापूर्ण शिक्षक तैयार करना
2. विभाग के अध्यापकों तथा समस्त अधिकारियोंको प्रशिक्षित करना
3. वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना
4. ग्राम शिक्षा समितियों , स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं तथा समुदाय के योग्य कार्यकर्ताओं को शैक्षिक क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रशिक्षण देना।
5. समस्त शैक्षिक सूचनाओं का समग्र विश्लेषण व समाधान करना।
6. बेसिक तथा प्रौढ शिक्षा की समस्याओं पर प्रयोग तथा क्रियात्मक शोध
7. जनपद में बेसिक शिक्षा , अनौपचारिक शिक्षा के मूल्यांकन केन्द्र के रुप में कार्य करना
8. जनपद के शैक्षिक अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन, प्रबन्धन एवं कियान्वयन करना।
9. जिले की आवश्यकता अनुरुप पाठयक्रम का ज्ञान एवं विकास

डायट के विभाग

1. सेवापूर्व विभाग --भावी प्राथमिक अध्यापकों को बी.टी.सी. का द्विवर्षीय प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. सेवारत विभाग-- सेवारत अध्यापकों का पुनर्स्थापन प्रशिक्षण, पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण, गुणवत्ता संवर्धन प्रशिक्षण
3. शैक्षिक तकनीकी विभाग-- शिक्षा के क्षेत्र में दूरसंचार के उपकरणों का शिक्षण में प्रयोग एवं प्रशिक्षण

4. कार्यानुभव विभाग– प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा हेतु मार्ग दर्शन एवं प्रयोगात्मक कार्य करना

5. पाठ्यक्रम मूल्यांकन विभाग– प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम का गुणवत्ता संवर्धन, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण एवं सर्वेक्षण का मूल्यांकन

6. जिला संसाधन एकक– स्थानीय महत्व के बिन्दुओं पर विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन

   अनौपचारिक शिक्षा अभिकर्मियों का प्रशिक्षण एवं केन्द्रों का अनुश्रवण

   समग्र साक्षरता कर्मियों का प्रशिक्षण एवं शैक्षिक मूल्यांकन

7. नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग– शैक्षिक शोध, शैक्षिक लक्ष्यों की सम्प्राप्ति हेतु आंकडे एकत्र करना तथा तर्किक रुप से कमबद्ध करना

   लैब एरियाके विद्यालयों में विभिन्न विधाओं का उपयोग, अनुश्रवण तथा शैक्षिक कियाकलापों पर दृष्टि रखना

मध्यावधि सर्वेक्षण अध्ययन

जनपद में डी.पी.ई.पी. ।।। के अन्मर्गत प्राथमिक शिक्षा में गुवत्ता संवर्धन हेतु विभिन्न निवेशों को लागू किया गया जैसे सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण (साधन माडयूल) अधारित, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रशिक्षण, जेण्डर समवेदीकरण प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा प्रशिक्षण, ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण, शिक्षा मित्रों का आधारभूत प्रशिक्षण, शिक्षा मित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण, ई.सी.सी. अभिकर्मियों का प्रशिक्षण, रुचिपूर्ण प्रशिक्षण, टी.एल.एम. निर्माण , टी.एल.एम.मेला, शैक्षिक सपोर्ट हेतु बी.आर.सी.,एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की पदरथापना व प्रशिक्षण, अनुदान, साजसज्जा हेतु अनुदान, निःशुल्क पाठयपुस्तकें, विद्यालयों को विद्यालयों को साधन समपन्न किया गया

इन विभिन्न निवेशों की प्रभावोत्पादकता के आकलन हेतु विश्व बैंक रिपोर्ट न. 13072, पृष्ठ पर पैरा 323 (1) नवम्बर 1994 के अनुसार परियोजना के तृतीय व छठे वर्ष में मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया जाना आवश्यक है अतः इस कार्यक्रम की उपलब्धि को जानने हेतु मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण आयोजित किया गया जिसमें कक्षा–2 के 863 और कक्षा–5 के 738 छात्रों का चयन हुआ।

परिणाम निम्नलिखित हैं

कक्षा	बालक	बालिका	ग्रामीण	शहरी	अनु0जाति	पि0 जाति	अन्य	योग
2 सं0	438	425	685	178	202	336	325	863
प्रति.	50.8	49.2	79.4	20.6	23.4	38.9	37.4	100
5 सं0	386	352	578	160	204	299	235	738
प्रति.	52.3	47.7	78.3	21.7	27.6	40.5	31.8	100

क्षा–2 के छात्रों की भाषा व गणित में औसत उपलब्धि कमशः 90.42 प्रतिशत व 91.07 प्रतिशत है कक्षा–5 के छात्रों की भाषा व गणित में औसत उपलब्धि कमशः 65.43 प्रतिशत व 71.08 प्रतिशत है । कक्षा–2 में 1.4 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तरअसम्प्राप्त, 4.4 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त, 12.2 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्ति की ओर अग्रसर, 82 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्त हैं ।

कक्षा–2 गणित में 0.93 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर असम्प्राप्त,3.24 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त, 10.44 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्ति की ओर अग्रसर, 81.69 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्त हैं । कक्षा–5 भाषा में 7 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर असम्प्राप्त, 37 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त, 33.3 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्ति की ओर अग्रसर, 22.6 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्त हैं । कक्षा–5 गणित में 5.77 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर असम्प्राप्त, 15.5 प्रतिशत छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त, 44.4 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्ति की ओर अग्रसर, 34.33 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्त हैं ।

Table 8.100.56: **Distribution of sample of caiss-i students by gender, area and caste-wise**

	Boys	Girls	Rural	Urban	SC/ST	OBC	Others	Total
N	443	365	662	146	169	411	228	808
%	54.8	45.2	81.9	18.1	20.9	50.9	28.2	100.0

Table 8.108.56: **Percentage distribution of class-I students on different levels of achievement on MLL scale in language (Gender-wise).**

Levels	**Boys(N=443)**	**Girls (N=365)**	**Total (N=808)**
No MLL	69 (15.6)	69 (18.9)	138 (17.1)
Achieveing MLL	80 (18.1)	73 (20.0)	153 (18.9)
Approaching Mastery	93 (21.0)	97 (26.6)	190 (23.5)
Achieving Mastery	443 (54.8)	365 (45.2)	808 (100.0)

Note: Figures in parenthesis are the percentages

Table 8.109.56: **Percentage distribution of Class - I students on different levels of achievement on MLL scale in language (Caste-wise)**

Levels	**SC/ST (N=169)**	**OBC (N=411)**	**Others (N=228)**	**Total (N=808)**
No MLL	36 (21.3)	71 (17.3)	31 (13.6)	138 (17.1)
Achieving MLL	35 (20.7)	80 (19.5)	38 (16.7)	153 (18.9)
Approaching Mastery	41 (24.3)	105 (25.5)	44 (19.3)	190 (23.5)
Achieving Mastery	57 (33.7)	155 (37.7)	115 (50.4)	327 (40.5)
Total	169 (20.9)	411 (50.9)	228 (28.2)	808 (100.0)

Note: Figures in parenthesis are the percentages

Table 8.109.56: **Percentage distribution of Class - I students on different levels of achievement on, MLL scale in language (Area -wise)**

Levels	**Rural (N=662)**	**Urban (N=146)**	**Total (N=808)**
No MLL	104 (15.8)	34 (23.3)	138 (17.1)
Achieveing MLL	121 (18.3)	32 (21.9)	153 (18.9)
Approaching Mastery	167 (25.2)	23 (15.8)	190 (23.5)
Achieving Mastery	270 (40.8)	57 (39.0)	327 (40.5)
Total	662 (81.9)	146 (18.1)	808 (100.0)

Note: Figures in parenthesis are the percentages

Table 8.105.56 : **Percentage distribution of Class-I students on different levels of achievement on MLL scale in mathematics (Gender - wise).**

Levels	**Boys (N=443)**	**Girls (N=365)**	**Total (N=808)**
No MLL	26 (5.9)	53 (14.5)	79 (9.8)
Achieveming MLL	59 (13.3)	72 (19.7)	131 (16.2)
Approaching Mastery	99 (22.3)	95 (26.0)	194 (24.0)
Achieving Mastery	259 (58.5)	145 (39.7)	404 (50.0)
Total	443 (54.8)	365 (45.2)	808 (100.0)

Note : Figures in parenthesis are the percentages.

Table 8.106.56 : **Percentage distribution of class-I students on different levels of achievement on MLL scale in mathematics (Area-wise).**

Levels	Rural (N=662)	Urban (N=146)	Total (N=808)
No MLL	61 (9.2)	18 (12.3)	79 (9.8)
Achieving MLL	107 (16.2)	24 (16.4)	131 (16.2)
Approaching Mastery	167 (25.2)	27 (18.5)	194 (24.0)
Achieving Mastery	327 (49.4)	77 (52.7)	404 (50.0)
Total	662 (81.9)	146 (18.1)	808 (100.0)

Note : Figures in parenthesis are the percentages.

Table 8.107.56 : **Percentage distribution of class-I students on different levels of achievement on MLL scale in mathematics (Caste-wise).**

Levels	SC/ST (N=169)	OBC (N=411)	Others (N=228)	Total (N=808)
No MLL	20 (11.8)	42 (10.2)	17 (7.5)	79 (9.8)
Achieving MLL	30 (17.8)	70 (17.0)	31 (13.6)	131 (16.2)
Approaching Mastery	52 (30.8)	94 (22.9)	48 (21.1)	194 (24.0)
Achieving Mastery	67 (39.6)	205 (49.9)	132 (57.9)	404 (50.0)
Total	169 (20.9)	411 (50.9)	228 (28.2)	808 (100.0

Note : Figures in parenthesis are the percentages.

Table 9.105.56 : **Percentage distribution of class-IV students on different levels of achievement in language (Gender-wise).**

(N=714)

Levels	Male		Female		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
No MLL	131	29.4	92	34.2	223	31.2
Achieving MLL	191	42.9	119	44.2	310	43.4
Approaching Mastery	87	19.6	43	16.0	130	18.2
Achieving Mastery	36	8.1	15	5.6	51	7.1
Total	445	62.3	269	37.7	714	100.0

Table 9.106.56 : **Percentage distribution of class-IV students on different levels of achievement in language (Area-wise).**

(N=714)

Levels	Rural		Urban		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
No MLL	166	27.9	57	47.5	223	31.2
Achieving MLL	267	44.9	43	35.8	310	43.4
Approaching Mastery	112	18.9	18	15.0	130	18.2
Achieving Mastery	49	8.2	2	1.7	51	7.1
Total	594	83.2	120	16.8	714	100.0

Table 9.106.56 : Percentage distribution of class-IV students on different levels of achievement in language (Area-wise).

(N=714)

Level	SC/ST		OBC		Others		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
No MLL	39	27.9	110	35.3	74	28.2	223	31.2
Achieving MLL	73	52.1	129	41.3	108	41.2	310	43.4
Approaching Mastery	23	16.4	51	16.3	56	21.4	130	18.2
Total	140	19.6	312	43.7	262	36.7	714	100.0

Table 9.205.56 : Percentage distribution of class-IV students on different levels of achievement in mathematics (Gender-wise).

(N=714)

Levels	Boys		Girls		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
No MLL	343	77.1	221	82.1	564	79.0
Achieving MLL	78	17.5	40	14.9	118	16.5
Approaching Mastery	23	5.2	8	3.0	31	4.3
Achieving Mastery	1	0.2	0	0.0	1	0.1
Total	**445**	**62.3**	**269**	**37.7**	**714**	**100.0**

Table 9.206.56 : Percentage distribution of class-IV students on different levels of achievement in mathematics (Area-wise).

(N=714)

Levels	Boys		Girls		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
No MLL	456	76.8	108	90.0	564	79.0
Achieving MLL	106	17.8	12	10.0	118	16.5
Approaching Mastery	31	5.2	0	0.0	31	4.3
Achieving Mastery	1	0.2	0	0.0	1	0.1
Total	**594**	**83.2**	**120**	**16.8**	**714**	**100.0**

Table 9.207.56 : **Percentage distribution of class-IV students on different levels of achievement in mathematics (Caste-wise).**

(N=714)

Levels	SC/ST		OBC		Others	
	No.	%	No.	%	No.	%
No MLL	113	80.7	252	80.8	190	76.0
Achieving MLL	23	16.4	51	16.3	44	16.8
Approaching Mastery	4	2.9	9	2.9	18	6.9
Achieving Mastery	0	0.0	0	0.0	1	0.4
Total	**140**	**19.6**	**312**	**43.7**	**262**	**36.7**

इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था के अकादमिक नेतृत्व में डायट की प्रवक्ताओं को ब्लॉक प्रभारी नियुक्त किया है, जो अपने-अपने ब्लॉक में शैक्षिक बिन्दुओं की पहचानकर कार्ययोजना बनाते हैं तथा किस प्रकार छात्रों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि हो, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। मैन्टर्स द्वारा अध्यापकों, विद्यालयों, बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को विभिन्न प्रकार से शैक्षिक सहयोग प्रदान किया जाता है। शैक्षिक गुणवत्ता हेतु जनपद में स्थापित बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० की महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता की इकाई के रूप में बी०आर०सी० की स्थापना की गयी है, जहाँ एक समन्वयक तथा दो सह-समन्यवकों की नियुक्ति की गयी है। बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को उनके कार्य एवं कर्तव्यों की जानकारी देने के लिए दिनांक ९.४.२००१ से २३.४.२००१ तक आधारभूत प्रशिक्षण (सात दिवसीय) दो फेरों में डायट पर आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों, प्रशिक्षण, कार्यशालायें, गोष्ठियाँ, मासिक बैठकों आदि के नियोजन , आयोजन प्रबन्धन मूल्यांकन विद्यालय भ्रमण, श्रेणीकरण की दक्षता विकसित करना रहा। इन प्रशिक्षणों का अनुश्रवण करके यह अनुभव किया गया कि इस कार्यक्रम से प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे, जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नही प्रदान किया जा सका यथा –

१– उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षक की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।

२— अशासकीय हाईस्कूल , इण्टर कॉलेज के साथ संचालित कक्षा ६—८ तथा कक्षा—१—५ के बच्चों की शैक्षिक आवश यकताओं — कठिनाईयों का निवारण , शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों कठिनाईयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।

३— मकतब, मदरसे में अध्ययनरत बच्चों तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम में लाभान्वित नहीं हो सकें।

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य :—

क्र०सं०	संस्था का नाम	कुल संख्या
1—	जनपद में प्राथमिक परिषदीय विद्यालय	454
2—	मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय	200
3—	परिषदीय जूनियर हाईस्कूल	75
4—	मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल	133
5—	ब्लॉक संसाधन केन्द्र	06
6—	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	46

ग्राम शिक्षा समिति

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है।

डी०पी०ई०पी० में जनपद बागपत में डायट के नेतृत्व में ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किये गये। जनपद बागपत में शैक्षिक उन्नयन हेतु जिला सन्दर्भ समूह (डी०आर०जी०) तथा ब्लॉक संसाधन समूह (बी०आर०जी०) का गठन किया गया। जिला सन्दर्भ समूह में डायट प्रवक्ताएं, नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयंसेवक, सेवानिवृत्त ए०बी०एस०ए०, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सम्मिलित है। दिनांक २२.१.२००१ से १३.३.३००१ तक बागपत के छः ब्लॉक के १५७ प्रतिभागियों को ब्लॉक सन्दर्भ समूह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

जनपद स्तर पर गुणवत्ता सवर्धन हेतु ए०आर०जी० (एकादमिक सन्दर्भ समूह) का गठन किया गया है, जिसमें डायट प्राचार्य के अतिरिक्त शिक्षाविद्, स्वैच्छिक संस्था का सदस्य शिक्षक, बी०आर०सी०सी०, एन०पी०आर०सी०, जिला समन्वयक महिला समाख्या को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है --

१– प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक संवर्धन करना।

२– प्राथमिक शिक्षकों तथा विद्यालयों में क्षमता संवर्धन करना।

३– ग्रा०शि०स० तथा विकास खण्ड स्तरीय सलाहकार समितियों एवं जिला परियोजना समिति की बैठक हेतु शैक्षिक एवं अकादमिक पहलहुओं से सम्बन्धित विचारणीय बिन्दुओं की पहचान।

४– शिक्षा हेतु वातावरण सृजन तथा सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित कराना।

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत सम्पादित कार्यक्रम :—

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	अवधि	सम्मिलित	फेरे	प्रतिभागी संख्या
१—	स्कूल विजिनिंग कार्यशाला	२७.९.२००१ से ७.१२.२००१	५३		२ (बागपत)
२—	स्कूल विजिनिंग कार्यशाला	१२.९.२००० से २०.३.२००१	७९		२(मेरठ)
३—	बी०आर०जी० प्रशिक्षण	२२.१.२००१ से १७.३.२००१	३७४		८ (मेरठ ६(बागपत)
४—	ई०सी०सी०ई० प्रशिक्षण	१४.३.२००१ से २.४.२००१	६३		२ (मेरठ)
५—	टी०ओ०टी० प्रशिक्षण	६.१.२००१ से ३.२.२००१	२०९३		(मेरठ)(बागपत सहारनपुर,बु०शहर गौतमबुद्धनगर।
६—	आधार भूत प्रशिक्षण (बी.आर.सी.सी.., एन.पी.आर.सी.सी.)	९.४.२००१ से २३.४.२००१	१०९		२ मेरठ, १बागपत
७—	बी.आर.सी.सी., एन.बी.आर.सी.सी. (टी०ओ०टी० प्रशिक्षण) दस दिवसीय	११.५.२००१ से २०.५.२००१	६३		१ मेरठ १ बागपत
८	टी०ओ०टी० पुर्नः बोधात्मक प्रशि०	२०.५.२००१ से २१.५.२००१	६६		एक मेरठ,बागपत
९—	शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन कार्यशाला।	६.८.२००१ से १.९.२००१	१९०	६,	४ मेरठ २ बागपत
१०—	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रशिक्षण	२०.८.२००१ से ६.९.२००१	७२		२ मेरठ, बागपत
११—	समेकित शिक्षा सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण	११.१०.२००१ से २०.१०.२००१	३९		१ मेरठ
१२—	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	२९.९.२००१ से २५.१०.२००१	११२		४ नगर क्षेत्र मेरठ व मवाना ब्लॉक

13.	नगरक्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण	10.10.01 से 17.10.01 तक	29	1
14	समेकित शिक्षा प्रशिक्षण	11.10.01 से 20.10.01	29	1
15	नगर क्षेत्र सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	18.10.01 से 25.10.01	30	1
16	दो द्विवसीय वर्कशाप	23.10.01 से 24.10.01	86	2
17	नगर क्षेत्र सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	29.10.01 से 05.11.01	57	2
18	नगर क्षेत्र सेवरत शिक्षक प्रशिक्षण	06.11.01 से 13.11.01	66	2
19	सतत, व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण	21.11.01 से 23.11.01	39	1
20	आई.सी.सी.ई. प्रशिक्षण	19.11.01 से 28.11.01	40	1
21	नगर क्षेत्र सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	20.11.01 से 27.11.01	31	1
22	अवशेष शिक्षक/शिक्षा मित्र का सेवारत प्रशिक्षण	05.01.002 से 12.01.02	71	1
23	वै0शि0 अन्तर्गत एन.पी.आर.सी. सी. का प्रशिक्षण	07.01.02 से 08.01.02	33	1
		09.01.02 से 10.01.02	49	1
24	नगर क्षेत्र शिक्षा मित्रों का सेवारत प्रशिक्षण	15.01.02 से 22.01.02	67	1
25	जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण	19.02.02 से 22.02.02	42	1
26	शैक्षिक सपोर्ट तथा अनुश्रवण कार्यशाला	25.02.02 से 27.02.02	13	1
27	आई.सी.सी. प्रशिक्षण	25.02.02 से 04.03.02	34	1
28	स्कूल विजनिंग कार्यशाला	04.03.02 से 07.03.02	23	1
29	स्कूल विजनिंग कार्यशाला	04.03.02 से 07.03.02	08	1
30	टी.एल.एम कार्यशाला	06.03.02 से 08.03.02 तक	16	1

31	जनपद स्तरीय टी.एल.एम. मेला	26.04.02	200	1
32	बी.आर.सी. स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु संदर्भदताओं का प्रशिक्षण	01.06.02 से 08.06.02	54	1
33	बी.आर.सी. स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु संदर्भदताओं का प्रशिक्षण	01.06.02 से 08.06.02	27	1
34	वित्तीय प्रशिक्षण	11.06.02 से 12.06.02	97	1
35	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण	25.06.02 से 24.07.02	49	1
36	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण	25.06.02 से 24.07.02	42	1
37	आचार्य प्रशिक्षण	25.06.02 से 24.07.02	18	1
38	अनुदेशक	25.06.02 से 24.07.02	23	1
39	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण (पुनर्बोधात्मक)	01.08.02 से 15.08.02	60	1
40	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण (पुनर्बोधात्मक)	01.08.02 से 15.08.02	10	1
41	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण (पुनर्बोधात्मक)	01.08.02 से 30.08.02	41	1
42	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण (पुनर्बोधात्मक)	01.08.02 से 30.08.02	23	1
43	अनुदेशक प्रशिक्षण	01.08.02 से 30.08.02	38	1
44	अवशेष अनुदेशक	01.08.02 से 30.08.025	02	1
45	अवशेष आचार्य	01.08.02 से 30.08.02	07	1

<u>बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० के समन्वयकों का प्रशिक्षण :–</u>

बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन के सक्रिय केन्द्र हैं। इसलिए इन के समन्वयकों को अपने क्षेत्र की विधिवत् जानकारी हो तथा वे अपने कार्यो और दायित्वों से भली–भाँति परिचित हो यह आवश्यक है। इसके लिए डायट स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किये गये हैं इन प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य :–

१– क्षमता संवर्द्धन करना।

२– शिक्षकों के शिक्षण मार्ग के सुगमकर्ता के रूप में बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० को समन्वयकों को विकसित करना।

३– विद्यालय भ्रमण के तरीकों से परिचित कराना।

४– विद्यालय समस्याओं से परिचित होकर उनके समाधान कर सकने की क्षमता का विकास करना।

५– डायट और विद्यालय के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना।

६– शिक्षकों में सेवारत प्रशिक्षण के प्रभाव को सुनिश्चित कराना।

७– शैक्षिक अनुसमर्थन एवं आदर्श पाठ्य प्रस्तुति की क्षमता विकसित करना।

८– आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों के नियोजन प्रबन्धन एवं आयोजन की क्षमता का विकास करना।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु डायट स्तर पर आयोजित कार्यक्रम –

अ– <u>विजनिंग कार्यशालाऐं :– (मुख्य बिन्दु)</u>

१– विद्यालय भ्रमण के दौरान एक आदर्श विद्यालय में क्या–क्या देखना पसन्द करते हैं।

२– विद्यालय से बाहर तथा विद्यालय के अन्दर के अधिगम तथा खेलों में निहित दक्षता।

३– विभिन्न क्रिया–कलापों का शैक्षिक महत्व।

४– बच्चों, अध्यापकों /कक्षा शिक्षण की कठिनाईयों पर चर्चा।

५– बच्चें के अनुसार विद्यालय कैसा हो।

जनपद मेरठ में दिनांक १२.९.२००० से १५.९.२००० तथा १७.३.२०००१ से २०.३.२००१ तक दो विजिनिंग कार्यशालाऐं आयोजित की गयी जिसमें ७९ बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्यवक तथा ए०बी०एस०ए० ने प्रतिभाग किया।

ब– **आधार भूत प्रशिक्षण :–**

दिनांक ९.४.२००१ से २३.४.२००१ तक बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को आधारभूत प्रशिक्षण (सात दिवसीय) दो फेरों में डायट पर आयोजित किया गया। इसके प्रमुख बिन्दु :–

१– बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० के समन्यवकों को उनके कार्य एवं कर्तव्यों की जानकारी देना।

२– उनमें विभिन्न कार्यक्रमों प्रशिक्षण, कार्यशालाऐं , गोष्ठियॉ, मासिक बैठकों आदि के नियोजन, आयोजन, एवं प्रबन्धन तथा मूल्यांकन की क्षमता का विकास करना।

३– गतिविधियों तथा टी०एल०एम० के निर्माण विकास एवं प्रयोग की दक्षता विकसित करना।

४– पुस्तकालय, रखरखाव, एवं उपयोग की क्षमता का विकास करना।

५– विद्यालय भ्रमण एवं श्रेणीकरण की दक्षता विकसित करना।

६– अभिलेखीकरण एवं रिपोर्टिंग तथा पंजिकाओं की रख–रखाव की क्षमता विकसित करना।

सेवारत प्रशिक्षण :–

शिक्षकों के शिक्षण कौशल में वृद्धि तथा कक्षा शिक्षण को प्रभावी तथा रूचिकर बनाने के उद्देश्य से समस्त शिक्षकों के सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था डायट द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर करायी गयी है।

प्रशिक्षकों का चयन:–

प्रत्येक विकास खण्ड से १५–१५ योग्य कर्मठ एवं समर्पित शिक्षकों का चयन ब्लॉक स्तर पर कर डायट पर लिखित एवं मौखिक परीक्षण उपरान्त प्रत्येक ब्लॉक के ५–५ शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में चयनित किया गया ।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण :—

जनपद के ६ विकास खण्डों के चयनित शिक्षक प्रशिक्षकों का आठ दिवसीय प्रशिक्षण राज्य स्तरीय सन्दर्भ समूह द्वारा दिनांक ६.१.२००१ से ३.२.२००१ तक कराया गया। इन प्रशिक्षकों को पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण भी डायट स्तर पर दिनांक २०.५.२००१ से २१.५.२००१ तक आयोजित किया गया। तदोपरान्त दिनांक २५.५.२००१ से ३.७.२००१ तक

(९४) फेरों में शिक्षकों को विकास खण्ड स्तर पर ''साधन'' मॉड्यूल के आधार पर ,आठ दिवसीय प्रशिक्षण (४६ सत्रों में) प्रदान किये जाने की व्यवस्था का आयोजन प्रबन्धन तथा मूल्यांकन डायट द्वारा किया गया। प्रशिक्षण मुख्यतः इन बिन्दुओं पर आधारित था।

१— नवीन पाठ्य—पुस्तकों का परिचय एवं प्रयोग विधि।

२— गतिविधियों द्वारा पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने के तरीके।

३— बहुउद्देश्य शिक्षण अधिगम सामग्री।

४— बहु कक्षा/बहु स्तरीय कक्षा शिक्षण।

५— समय प्रबन्धन।

६— विद्यालयों का श्रेणीकरण।

७— सीखनें का मूल्यांकन।

८— वर्तनी की अशुद्धियाँ ।

९— सुलेख ।

१०— साप्ताहिक समय सारिणी।

११— समेकित शिक्षा।

उक्त प्रशिक्षण शिविरों का डायट प्राचार्य एवं मैन्टर्स द्वारा अनवरत् भ्रमण अवलोकन एवं मूल्यांकन किया गया जिसकी विश्लेषण आख्या निम्नवत् है :—

विश्लेषण आख्या :-

१- प्रशिक्षण में प्रतिभागी निर्धारित संख्या में उपस्थित रहे।

२- प्रशिक्षकों में प्रशिक्षण के प्रति उत्साह था तथा वे आशावान थे।

३- प्रशिक्षण मॉड्यूल "साधन" के अनुसार संचालित किये जाने का प्रयास किया गया।

४- वास्तविक कक्षाओं में कक्षा शिक्षण का अभ्यास कराया गया। किन्तु ग्रीष्म अवकाश के कारण छात्र संख्या न्यून रहीं।

५- पाठ्य--पुस्तकें तथा शिक्षक संदर्शिकाएं केन्द्र पर उपलब्धि किन्तु उन पर व्यापक चर्चा नहीं की सकी।

७- शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कराया गया किन्तु समय कम प्रतीत हुआ।

८- प्रशिक्षण कक्ष में बैठने की समुचित व्यवस्था थी कहीं-कहीं गतिविधियाँ कराने हेतु स्थान कम था।

९- प्रतिभागी प्रशिक्षणोपरान्त नवीन शिक्षा पद्धति शिक्षण में सकारात्मक परिवर्तन के लिये आशावान थे।

१०- प्रशिक्षण कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न किया गया।

११- डायट प्राचार्य एवं मेन्टर्स द्वारा समय-समय पर उचित मार्गदर्शन एवं सपोर्ट भी प्रदान किया गया।

शिक्षकों को सहयोग / समर्थन की व्यवस्था

गुणवत्ता संवर्धन हेतु परम्परागत शिक्षण व्यवस्था में बदलाव लाने की आवश्यकता को अनुभव किया गया। इस परिवर्तन में शिक्षक एक अहम् भूमिका का निर्वाह करता है। आधुनिक गतिविधि आधारित शिक्षण विद्या से परिचित कराने के लिए सेवारत शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किये जाते है।

शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट के लिए जिला स्तर पर डायट, ब्लॉक स्तर पर बी०आर०सी० समन्वयकों की व्यवस्था है। शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट द्वारा बी०आर०सी०, ए०बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी०सी० को तीन दिवसीय "शैक्षिक सपोर्ट एव अनुश्रवण कार्यशालाओं" का आयोजन किया गया। राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर/इन्डीकेटर्स का प्रयोग करते हुए विद्यालयों, बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० को श्रेणीबद्ध किया जाना सुनिश्चित है। जनपद में स्कूलों की श्रेणीवार स्थिति निम्नवत् है:-

जनपद में स्कूलों की श्रेणीवार स्थिति

विद्यालय श्रेणीकरण

श्रेणी	अगस्त	सित०	अक्टू०	नव०	दिस०	जन०	फर०	मार्च	अप्रैल	मई
A	–	–	–							
B	10	85	110	120						
C	224	159	166	155						
D	226	206	184	175						
योग	450	450	450	450						

स्रोत : *डायट, छोटा मवाना, मेरठ।*

उपरोक्त श्रेणीकरण से स्पष्ट है कि यद्यपि 'ए' श्रेणी में जनपद का कोई विद्यालय नहीं आ पाया है, तथापि "डी" श्रेणी के विद्यालयों की संख्या उत्तरोत्तर घटती जा रही है। एन०पी०आर०सी०, बी०आर०सी०सी० समन्वयकों, मेन्टर्स द्वारा वि द्यालयों का श्रेणीकरण किया जाता है। इस दौरान जो शैक्षिक समस्याएं चिन्हित की जाती है, उनका निस्ताण मासिक बैठकों , कार्यशालाओं में किया जाता है।

मैन्टर द्वारा प्रदान किये जाने वाले शैक्षिक सहयोग :–

शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि हेतु डायट के प्रवक्ताओं को ब्लॉक प्रभारी नियुक्त किया गया है जो अपने–अपने ब्लॉक में शैक्षिक बिन्दुओं की पहचान कर कार्ययोजना बनाते हैं तथा किस प्रकार छात्रों की शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि हो इसके लिये प्रयासरत रहते हैं। मैन्टर्स द्वारा अध्यापकों, विद्यालयों, बी० आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को विभिन्न प्रकार से शैक्षिक सहयोग प्रदान किया जाता है।

१– बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० मासिक बैठकों में प्रतिभाग एवं शैक्षिक मार्गदशर्न ।

२— विद्यालय भ्रमण के दौरान आदर्श पाठ प्रस्तुति।

३— शैक्षिक बिन्दुओं की पहचान एवं भावी कार्य योजना का निर्माण ।

४— शिक्षक संदर्शिकाओं का शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित करना।

५— टी०एल०एम० निर्माण हेतु मार्गदर्शन ।

बी०आर०सी० समन्वयकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले शैक्षिक सहयोग :—

ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता की इकाई के रूप में बी०आर०सी० की स्थापना की गयी है जहाँ एक समन्वयक तथा दो सह—समन्यवकों की नियुक्ति की गयी है। यह समन्वयक माह में एक बार प्रत्येक न्याय पंचायत के दो स्कूलों का भ्रमण करते हैं तथा शैक्षिक समस्याओं चिन्हीं करण व चयन करते हैं। इन्हें डायट स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षणों द्वारा अपने दायित्वों से भली—भाँति परिचित करा दिया गया है। इनके शैक्षिक दायिन्त्व इस प्रकार हैं :—

१— विद्यालय भ्रमण

२— आदर्श पाठों की प्रस्तुति।

३— कक्षा — शिक्षण में आने वाली समस्याओं की पहचान व निराकरण हेतु प्रयास ।

४— शैक्षिक अनुसमर्थन ।

५— शिक्षण अधिगम (सामग्री निर्माण एवं प्रयोग)

६— सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के प्रभाव को सुनिश्चित करना।

७— शैक्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन ।

८— शैक्षिक मुद्दों का डायट को प्रेषण।

एन०पी०आर०सी० समन्वयकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले शैक्षिक सहयोग :-

जिले की प्रत्येक न्याय पंचायत पर एक न्याय पंचायत समन्यवक नियुक्त किया गया है जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक विद्यालय के शैक्षिक उन्नयन हेतु जवाब देह है। यह विद्यालय की सबसे निकटतम व सशक्त इकाई है। इस कारण विद्यालय उन्नयन में इसका दायित्व सबसे अहम है। एन०पी०आर०सी० समन्यवकों द्वारा निम्नवत अपने दायित्वों की निर्वहन किया जाता है।

१– विद्यालय भ्रमण एवं श्रेणीकरण

२– शैक्षिक अनुसमर्थन

३– आदर्श पाठ प्रस्तुति

४– विद्यालय भ्रमण के दौरान शैक्षिक बिन्दुओं का चिन्हींकरण तथा समाधान न होने वाले बिन्दुओं का बी०आर०सी० पर प्रेषण ।

५– अध्यापकों में शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण व प्रयोग की क्षमता का विकास।

डायट बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० सह–सम्बन्ध :-

शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु जनपद की शीर्षस्थ संस्था डायट है । डायट का सम्बन्ध किस प्रकार विद्यालय से हो इसके लिये ब्लॉक स्तर पर बी०आर०सी० तथा न्याय पंचायत स्तर पर एन०पी०आर०सी० इकाईयों की संकल्पना की गयी है। इन इकाईयों में परस्पर जीवन्त सम्बन्ध होना आवश्यक है। एन०पी०आर०सी० विद्यालय की सबसे निकटतम् तथा सशक्त इकाई है इसलिए उसके द्वारा प्रत्येक विद्यालय का माह के दो बार भ्रमण किया जाना है। भ्रमण से प्राप्त शैक्षिक मुद्दों/समस्याओं को तथा भ्रमण की आख्या प्रतिमाह उसके द्वारा बी०आर०सी० को प्रेषित की जानी हैं बी०आर०सी० द्वारा प्रतिमाह अपनी समस्त सूचनाऐं एवं शैक्षिक मुद्दे डायट को प्रेषित किये जाने हैं तथा डायट पर होने वाली मासिक बैठक में प्रतिभाग कर विचारविमर्श व समाधान खोजना है। इस प्रकार जिला/ब्लॉक तथा न्याय पंचायत की तीनों इकाईयॉ परस्पर जीवन्तु सम्बन्ध रखते हुये विद्यालय स्तरोन्नयन तथा शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु प्रयासरत रहेगी।

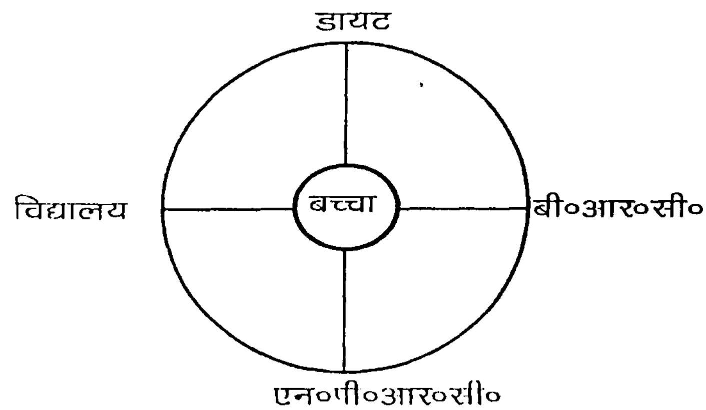

<u>डायट में आयोजित बी०आर०सी० समन्वयकों की मासिक बैठक प्रमुख चर्चा बिन्दु :–</u>

१– बी०आर०सी०सी० एन०पी०आर०सी०सी० के चयन व प्रशिक्षणों की स्थिति

२– बी०आर०सी०सी० एन०पी०आर०सी०सी० के द्वारा किये गये शैक्षिक कार्या की समीक्षा।

३– विद्यालय श्रेणीकरण की स्थिति।

४– जी०ई०आर० एन०ई०आर० शाला त्याग की दर।

५– ई०एम०आई०एस० डाटा जिला परियोजना कार्यालय को प्रेषण की स्थिति।

६– बी०आर०सी० व एन०पी०आर०सी० पर लगाये जाने वाले चार्टस।

७– एन०पी०आर०सी० द्वारा किये गये विद्यालय भ्रमण की विश्लेषण आख्या।

८– बी०आर०सी० स्तरीय एन०पी०आर०सी० की बैठक का एजेण्डा।

९– वी०ई०सी० प्रशिक्षण की स्थिति।

१०– बालिका शिक्षा के कैम्प की स्थिति।

११– बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० डायरी की पूर्ति ।

१२– एन०पी०आर०सी० द्वारा प्राप्त शैक्षिक मुद्दे / समस्यायें।

१३– बी०आर०सी० के आगामी ३ माह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का कलैण्डर।

१४— सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की आख्या तथा व्यय विवरण और प्रशिक्षण से वंचित अध्यापकों की स्थिति।

१५— शिक्षक सन्दर्शिकाओं की उपलब्धता , वितरण व प्रयोग की स्थिति।

१६— अध्यापक नवाचार।

१७— क्रियात्मक शोध।

१८— अध्यापक सन्दर्भ समूह का चिन्हींकरण।

सुझाव :—

१— विद्यालय श्रेणीकरण से सम्बनिधत पंजिकाओं को तैयार करने सम्बन्धी जानकारी ।

२— बी०आर०सी० को केन्द्र पर रखे जाने वाले आँकड़ों के बारे में जानकारी।

३— ई०एम०आई०एस० डाटा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी।

४— एन०पी०आर०सी० पर होने वाली मा० बैठक का एजेण्डा तैयार करना।

५— पाठ्य पुस्तकों/ शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग की जानकारी।

६— अध्यापक सन्दर्भ समूह की पहचान कैसे करें, अध्यापक द्वारा किये जाने रहे अभिनव प्रयोग व क्रियात्मक शोध पर चर्चा।

७— बी०आर०सी०सी० द्वारा किये गये विद्यालय भ्रमण तथा श्रेणीकरण की स्थिति।

८— विद्यालय को आदर्श बनाने सम्बन्धी मार्गदर्शन ।

९— शैक्षिक मुद्दों की पहचान कैसे की जाये इस सन्दर्भित जानकारी।

उच्च प्राथमिक स्तर

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए डी०पी०ई०पी० योजना में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस दृष्टि से इन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व स्थिति का विवरण

क्र०सं०	शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्रा०स्तर
१-	शिक्षकों की कुल संख्या	1790	261
२–	हाईस्कूल में कम योग्यताधारी	–	–
३–	हाईस्कूल से अधिक योग्यताधारी अप्रशिक्षित शि क्षक	40	–
४–	प्रशिक्षित शिक्षक	1750	261

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी जनपद में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति बनी हुई है। उच्च प्रा०वि० में भाषा, गणित, विज्ञान के विषयों के लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए तभी वह इन विषयों का शिक्षण ठीक प्रकार से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को विष्यों के नवीन ज्ञान का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

प्रभावी शिक्षण में सहायक सामग्री के उपयोग का बहुत महत्व है। जहाँ तक शिक्षक – सामग्री के माध्यम से शिक्षण की बात है देखना में आया है कि इसका प्रयोग कम हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर तो सहायक सामग्री का प्रयोग देखने को मिलता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग नही हो पाता हैं अत: उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रयोगशाला की आवश्यकता है, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर किसी केन्द्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अथवा विकास खण्ड के किसी माध्यमिक विद्यालय को स्कूल विद्यालय बनाकर उसमें प्रयोगशाला की सामग्री दी जायेगी और इन्हीं विद्यालयों में विकास विकास खण्ड के विद्यालयों को प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान की जायेगी।

एस०एस०ए० के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान गुणात्मक, गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यन्त दीर्घकालीन, महत्वकॉक्षी कार्यक्रम है। वर्ष २०१० तक सभी बालक – बालिकाओं के लिए गुणवत्ता परक व जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करना इसका वशिष्ट लक्ष्य है। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं:–

१– ६ से १४ वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल , ई०जी०एस० केन्द्रख वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।

२– २००७ तक सभी बच्चों की कक्षा–५ तक की तथा २०१० तक कक्षा –८ तक की शिक्षा प्रदान करा दी जायेगी।

३– छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर को बढ़ाना।

४– प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायाओं और समूहों के मध्य अन्तर को २००७ तक तथा समग्र प्रारम्भिक स्तर पर २०१० तक समाप्त कर लिया जायेगा।

५– लक्ष्य समूह (६–१४) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य २०१० तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा, जिसमें जनपद – विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु ४ दिवसीय विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा, जिसमें एक विजन वकसित करने का प्रयास किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन हेतु दिये जाने वाले प्रशिक्षण

प्रथम वर्ष :–

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम		शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
१–	प्रशिक्षण		शिक्षामित्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण (निर्धारित मॉडयूल आधारित)	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
२–	प्रशिक्षण		सहायक शिक्षकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक शिक्षक	३० दिवस
		क–	शिक्षक संदर्शिका प्रयोग		०५ दिवस
		ख–	बहुकक्षा शिक्षण		०३ दिवस
		ग–	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन		०३ दिवस
		घ–	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण एवं विकास		०३ दिवस
		ड़.–	उपचारात्मक शिक्षण		०३ दिवस
		च–	भाषा,गणित, विज्ञान, सा० अध्ययन की पाठ –योजना निर्माण		०३ दिवस
		छ–	प्रश्न–पत्र – निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
		ज–	भाषा वर्तनी सुधार सम्बन्धी प्रशिक्षण		०३ दिवस
३–	प्रशिक्षण		प्रधानाध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
		क–	विद्यालय प्रबन्धन, नेतृत्व विद्यालयीय अभिलेख का प्रयोग व रख–रखाव सम्बन्धी प्रशिक्षण		०३ दिवस
		ख–	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		ग–	शिक्षक–संदर्शिका प्रयोग आधारित प्रशिक्षण		०५ दिवस
		घ–	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		ड़.–	बहुकक्षा शिक्षण		०३ दिवस

		च—	गणित व विज्ञान विषय को रोचक बनाने हेतु प्रशिक्षण		०३ दिवस
४–	प्रशिक्षण		सेवारत शिक्षक– प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	२० दिवस
		क—	गणित व विज्ञान विषयक प्रशिक्षण		०३ दिवस
		ख—	'साधन' मॉडयूल आधारित प्रशिक्षण		०८ दिवस
		ग—	शिक्षक—संदर्शिका प्रयोग प्रशिक्षण		०३ दिवस
		घ—	अल्पव्ययी शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण ए वं प्रयोग कार्यशाला		०३ दिवस
		ड़.—	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्ष ण		०३ दिवस
५—	प्रशिक्षण		सेवारत शिक्षामित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण ।	सेवारत शिक्षामित्र	२० दिवस
		क—	शिक्षक—संदर्शिका प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
		ख—	भाषा, गणित, विषयक प्रशिक्षण		०३ दिवस
		ग—	उपचारात्मक शिक्षण		०३ दिवस
		घ—	आदर्श पाठ—प्रस्तुतिकरण		०३ दिवस
		ड़.—	शिक्षण—अधिगम सामग्री — निर्माण एवं प्र योग कार्यशाला		०३ दिवस
		च—	बहुकक्षा शिक्षण व प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
६—	प्रशिक्षण		वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मियों व अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभि कर्मी व अनुदेशक	२० दिवस
७—	प्रशिक्षण		ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० का प्रभावी नेतृत्व, समय प्रबन्धन, विद्यालय अभिलेखों	ए०बी०एस०ए०/ ए स०डी०आई०	०५ दिवस

			का रख–रखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आधारित प्रशिक्षण		
८ -	प्रशिक्षण		समेकित शिक्षा	सहायक अध्यापक	०५ दिवस

द्वितीय वर्ष :–

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
१–	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का प्रारंभिक प्रशिक्षण	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
२–	प्रशिक्षण	सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	नियुक्त स०अध्यापक	३० दिवस
		क– शिक्षक सन्दर्शिका प्रयोग		०५ दिवस
		ख– बहुकक्षा शिक्षण		०५ दिवस
		ग– सतत एवं व्यापक मूल्यांकन		०३ दिवस
		घ– साधन माड्यूल आधारित सेवारत प्रशिक्षण		०८ दिवस
		ड.– शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण		०३ दिवस
		च– उपचारात्मक शिक्षण		०३ दिवस
		छ– क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
३–	प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	
		क– प्रभावी नेतृत्व एवं अभिलेखों का रख–रखाव		०४ दिवस
		ख– विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		ग– शिक्षक–सन्दर्शिकाओं का प्रयोग		०५ दिवस
		घ– प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		ड.– क्रियात्मक शोध		०२ दिवस
		च– आदर्श पाठ–योजना निर्माण		०३ दिवस

४–	प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	२० दिवस
		क– विज्ञान व गणित पर आधारित सोपान मॉडयूल आधारित प्रशिक्षण		१० दिवस
		ख– आदर्श पाठ योजना		०५ दिवस
		ग– उपचारात्मक शिक्षण		०५ दिवस
५–	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षामित्र	२० दिवस
६–	प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मियों/ अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मी/अनुदेशक	२० दिवस
७–	प्रशिक्षण	बी०आर०समन्वयकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	बी०आर०सी० समन्वयक	
		क– शैक्षिक सपोर्ट व सुपरविजन		०३ दिवस
		ख– शिक्षक –संदर्शिका प्रयोग		१० दिवस
		ग– आधारभूत का समर्थन मॉडयूल आधारित पुनर्बोध		०७ दिवस
८–	प्रशिक्षण	एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	एन०पी०आर०सी० समन्वयक	२० दिवस
		क– शैक्षिक सपोर्ट व सुपरविजन		०३ दिवस
		ख– शिक्षक –संदर्शिका प्रयोग		१० दिवस
		ग– आधारभूत का समर्थन मॉडयूल आधारित पुनर्बोध		०७ दिवस
९–	प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० का प्रभावी निरीक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट	ए०बी०एस०ए०/ एस०डी०आई०	०५ दिवस
१०–	प्रशिक्षण	समेकित शिक्षा	बी०आर०सी० समन्वयक	०५ दिवस

तृतीय वर्ष :–

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
१–	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
२–	प्रशिक्षण	सहायक शिक्षकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
३–	प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
४–	प्रशिक्षण	सहायक अध्यापकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	२० दिवस
		क– शिक्षक संदर्शिका प्रयोग	सहायक अध्यापक	०८ दिवस
		ख – समर्थन मॉड्यूल आधारित सेवारत प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	०८ दिवस
		ग– शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण	सहायक अध्यापक	०४ दिवस
५–	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (पूर्व नियोजित)	कार्यरत शिक्षामित्र	२० दिवस
६–	प्रशिक्षण	वैकल्पिक अभिकर्मियों/अनुदेशकों का प्रारम्भिक प्रशिक्ष ण	वैकल्पिक अभिकर्मी/ अनुदेश क	३० दिवस
७–	प्रशिक्षण	वैकल्पिक अभिकर्मियों/ अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक प्र शिक्षण	वैकल्पिक अभिकर्मी/ अनुदेश क	२० दिवस
८–	प्रशिक्षण	बी०आर०सी० समन्वयकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (समर्थन मॉडयूल आधारित)	बी०आर०सी०/ समन्वयक	०५ दिवस
९–	प्रशिक्षण	एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को समर्थन मॉडयूल अ धारित आधारभूत पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	एन०पी०आर०सी० समन्वयक	०५ दिवस
१०–	प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/ एस०डी०आ ई०	०५ दिवस
११–	प्रशिक्षण	समेकित शिक्षा	एन०पी०आर०सी० समन्वयक	०५ दिवस

चतुर्थ वर्ष :--

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
१–	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
२–	प्रशिक्षण	सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	नियुक्त सहायक अध्यापक	३० दिवस
३–	प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
४–	प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	२० दिवस
		क– भाषा व सा० अध्यापक		१० दिवस
		ख– आदर्श पाठयोजना		०५ दिवस
		ग– शिक्षण–अधिगम सामग्री – निर्माण, प्रयोग व विकास		०५ दिवस
५–	शिक्षण	शिक्षामित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षामित्र	२० दिवस
६–	प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मियों/अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मी व अनुदेशक	२० दिवस
७–	प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई०का प्रभावी निरीक्षण व शैक्षिक सपोर्ट का प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/ एस०डी०आई०	०५ दिवस

पंचम वर्ष :

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
१–	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
२–	प्रशिक्षण	सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
३–	प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
४–	प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	२० दिवस
		क– अंग्रेजी व संस्कृत विषय प्रशिक्षण		१० दिवस
		ख–शिक्षक संदर्शिका प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस

		ग— पाठ—योजना निर्माण व प्रयोग		०५ दिवस
५—	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (पूर्व नियोजित कार्यक्रम)	सेवारत शिक्षामित्र	२० दिवस
६—	प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मियों/अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मी/अनुदेशक	२० दिवस
७—	प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई०का प्रभावी निरीक्षण व शैक्षिक सपोर्ट प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/ एस०डी०आई०	०५ दिवस
८	प्रशिक्षण	समेकित शिक्षा	चयनित सहायक अध्यापक	०५ दिवस

षष्ठ वर्ष,

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
१—	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
२—	प्रशिक्षण	सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण (पूर्व नियोजित कार्यक्रम)	नियुक्त सहायक अध्यापक	३० दिवस
३—	प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
४—	प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	२० दिवस
		क— छात्रों की स्तरानुरूप पाठ—योजना	शिक्षक	०५ दिवस
		ख— सहायक सामग्री—निर्माण विषयक कार्यशाला		०५ दिवस
		ग— सतत एवं व्यापक मूल्यांकन		०५ दिवस
		घ— वर्तनी सुधार विषयक प्रशिक्षण		०५ दिवस
		ङ— उपचारात्मक शिक्षण प्रशिक्षण		०२ दिवस
५—	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार)	सेवारत शिक्षामित्र	२० दिवस

६	प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मियों/ अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मी/अनुदेशक	२० दिवस
७—	प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० का प्रभावी निरीक्षण व शैक्षिक सपोर्ट का प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/ एस०डी०आई०	०५ दिवस
८—	प्रशिक्षण	समेकित शिक्षा	चयनित सहायक अध्यापक	०५ दिवस

सप्तम् वर्ष.

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
१—	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
२—	प्रशिक्षण	सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण (पूर्व नियोजन कार्यक्रम)	नियुक्त सहायक अध्यापक	३० दिवस
३—	प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
४—	प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	२० दिवस
		क— आदर्श प्रश्न—पत्र निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
		ख— गणित एवं विज्ञान प्रशिक्षण		०३ दिवस
		ग— शैक्षिक मापन व मूल्यांकन		०३ दिवस
		घ— पर्यावरणीय संरक्षण		०३ दिवस
		ड— अंग्रेजी, संस्कृत, भाषा शिक्षण प्रशिक्षण		०६ दिवस
		च— आदर्श—पाठ प्रशिक्षण		०२ दिवस
५—	प्रशिक्षण	बी०आर०सी० समन्वयकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	बी०आर०सी० समन्वयक	०५ दिवस
६—	प्रशिक्षण	एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	एन०पी०आर०सी० समन्वयक	०५ दिवस
७—	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (पूर्व नियोजित का	सेवारत शिक्षामित्र	२० दिवस

		र्यक्रमानुसार)		
८–	प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मियों/ अनुदेशकों का पुनर्बोधात मक प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मी/अ नुदेशक	२० दिवस
९–	प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० का प्रभावी निरीक्षण व शैक्षिक सपोर्ट का प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/ एस०डी०आ ई०	०५ दिवस
१०–	प्रशिक्षण	समेकित शिक्षा	चयनित सहायक अध्यापक	०५ दिवस

अष्टम् वर्ष.

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
१–	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	चयनित शिक्षामित्र	३० दिवस
२–	प्रशिक्षण	सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण (पूर्व नियोजित कार्यक्रम)	नियुक्त सहायक अध्यापक	३० दिवस
३–	प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
४–	प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	२० दिवस
		क– आदर्श प्रश्नपत्र निर्माण कार्यशाला		०५ दिवस
		ख– वर्तनी सुधार विषयक प्रशिक्षण		०३ दिवस
		ग– सतत एवं व्यापक मूल्यांकन		०५ दिवस
		घ– सहायक सामग्री निर्माण विषयक कार्यशाला		०५ दिवस
		ड़.– उपचारात्मक प्रशिक्षण		०२ दिवस
५–	प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण (पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार)	सेवारत शिक्षामित्र	२० दिवस
६–	प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मियों/ अनुदेशकों का पुनर्बोधात मक प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा अभिकर्मी/अ नुदेशक	२० दिवस

७—	प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० का प्रभावी निरीक्षण व शैक्षिक सपोर्ट का प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०/ एस०डी०आई०	०५ दिवस
८—	प्रशिक्षण	समेकित शिक्षा	चयनित सहायक अध्यापक	०५ दिवस

उच्च प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन हेतु दिये जाने वाले प्रशिक्षण

प्रथम वर्ष :—

क्र०सं०	कार्यक्रम		शीर्षक	प्रतिभागी	दिवस
१—	प्रशिक्षण		सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
		१—	गणित प्रशिक्षण एवं		१० दिवस
		२—	विज्ञान प्रशिक्षण		०६ दिवस
		३—	अंग्रेजी, संस्कृत भाषा शिक्षण प्रशिक्षण शैक्षिक मापन व मूल्यांकन		०३ दिवस
		४—	शिक्षक संदर्शिका प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
		५—	पर्यावरणीय संरक्षण		०३ दिवस
		६—	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण व प्रयोग प्रशिक्षण		०३ दिवस
२—	प्रशिक्षण		प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक जूनियर	२० दिवस
		१—	विद्यालयी अभिलेखों का रख—रखाव व प्रभावी नेतृत्व		०३ दिवस
		२—	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		३—	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग की सुनिश्चितता		०५ दिवस
		४—	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		५—	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
		६—	बहुकक्षा शिक्षण		०३ दिवस
३—	प्रशिक्षण	१—	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	सेवारत अध्यापक	२० दिवस ०७ दिवस
		२—	हिन्दी भाषा वर्तनी सुधार (मानक वर्तनी)		०३ दिवस
		३—	आदर्श पाठ निर्माण प्रशिक्षण		०५ दिवस
		४—	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग		०५ दिवस
४—	प्रशिक्षण		समेकित शिक्षा प्रशिक्षण	चयनित अध्यापक	०५ दिवस

द्वितीय वर्ष :–

क्र०सं०	कार्यक्रम		शीर्षक	प्रतिभागी	दिवस
१–	प्रशिक्षण		सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
		१–	गणित एवं विज्ञान विषय का प्रशिक्षण		१० दिवस
		२–	अंग्रेजी भाषा शिक्षण परीक्षण		०६ दिवस
		३–	शैक्षिक मापन एवं मूल्याकन प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४–	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
	कार्यशाला	५–	पर्यावरणीय संरक्षण कार्यशाला		०३ दिवस
	कार्यशाला	६	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
२–	प्रशिक्षण		प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
		१–	विद्यालयी अभिलेखों का रख–रखाव व प्रभावी नेतृत्व प्रशिक्षण		०३ दिवस
		२–	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		३–	शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग की सुनिश्चितता		०५ दिवस
		४–	प्रभावी मूल्याकन		०३ दिवस
		५–	बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था प्रशिक्षण		०३ दिवस
		६–	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
३–	प्रशिक्षण		सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण	सेवारत अध्यापक	२० दिवस
		१–	सेवारत शिक्षक पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		०७ दिवस
		२–	कम्प्यूटर का शिक्षण में उपयोग प्रशिक्षण		०३ दिवस
		३–	गणित/विज्ञान विषय का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		०६ दिवस
		४–	बहुकक्षा शिक्षण प्रशिक्षण		०४ दिवस

तृतीय वर्ष :—

क्र०स०	कार्यक्रम		शीर्षक	प्रतिभागी	दिवस
१—	प्रशिक्षण		सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
		१—	गणित एवं विज्ञान विषय का प्रशिक्षण		१० दिवस
		२—	अंग्रेजी भाषा शिक्षण परीक्षण		०६ दिवस
		३—	शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४—	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
	कार्यशाला	५—	पर्यावरणीय संरक्षण कार्यशाला		०३ दिवस
	कार्यशाला	६	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
२—	प्रशिक्षण		प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
		१—	विद्यालयी अभिलेखों का रख—रखाव व प्रभावी ने तृत्व प्रशिक्षण		०३ दिवस
		२—	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		३—	शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग की सुनिश्चितता		०५ दिवस
		४—	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		५—	बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था प्रशिक्षण		०३ दिवस
		६—	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
३—	प्रशिक्षण		सेवारत शिक्षक—प्रशिक्षण	सेवारत अध्यापक	२० दिवस
		१—	बहुकक्षा शिक्षण पुनर्बोधात्मक		०३ दिवस
		२—	उपचारात्मक शिक्षण		०३ दिवस
		३—	कम्प्यूटर का शिक्षण में उपयोग पुनर्बोधात्मक प्रशि क्षण		०२ दिवस
		४—	शिक्षक संदर्शिका आधारित पाठ—संकेत निर्माण अ		०५ दिवस

			लाव्ययी		
		५–	शिक्षण अभिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
		६–	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण		०४ दिवस
४–	प्रशिक्षण		समेकित शिक्षा प्रशिक्षण	चयनित अध्यापक	०५ दिवस

चतुर्थ वर्ष :–

क्र०सं०	कार्यक्रम		शीर्षक	प्रतिभागी	दिवस
१–	प्रशिक्षण		सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
		१–	गणित एवं विज्ञान विषय का प्रशिक्षण		१० दिवस
		२–	अंग्रेजी भाषा शिक्षण परीक्षण		०६ दिवस
		३–	शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४–	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
	कार्यशाला	५–	पर्यावरणीय संरक्षण कार्यशाला		०३ दिवस
	कार्यशाला	६	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
२–	प्रशिक्षण		प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
		१–	विद्यालयी अभिलेखों का रख–रखाव व प्रभावी नेतृत्व प्रशिक्षण		०३ दिवस
		२–	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		३–	शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग की सुनिश्चितता		०५ दिवस
		४–	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		५–	बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था प्रशिक्षण		०३ दिवस
		६–	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस

३–	प्रशिक्षण		सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण	सेवारत अध्यापक	२० दिवस
		१–	हिन्दी भाषा शिक्षण		०४ दिवस
		२–	संस्कृत भाषा शिक्षण		०३ दिवस
		३–	अंग्रेजी भाषा शिक्षण		०३ दिवस
		४–	परिवेशीय अध्ययन शिक्षण प्रशिक्षण		०३ दिवस
		५–	आदर्श पाठ निर्माण व प्रस्तुति		०४ दिवस
		६–	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		०३ दिवस

<u>पंचम वर्ष :–</u>

क्र०सं०	कार्यक्रम		शीर्षक	प्रतिभागी	दिवस
१–	प्रशिक्षण		सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
		१–	गणित एवं विज्ञान विषय का प्रशिक्षण		१० दिवस
		२–	अंग्रेजी भाषा शिक्षण परीक्षण		०६ दिवस
		३–	शैक्षिक मापन एवं मूल्याकन प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४–	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
	कार्यशाला	५–	पर्यावरणीय संरक्षण कार्यशाला		०३ दिवस
	कार्यशाला	६	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
२–	प्रशिक्षण		प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
		१–	विद्यालयी अभिलेखों का रख–रखाव व प्रभावी नेतृत्व प्रशिक्षण		०३ दिवस
		२–	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		३–	शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग की सुनिश्चितता		०५ दिवस
		४–	प्रभावी मूल्याकन		०३ दिवस
		५–	बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था प्रशिक्षण		०३ दिवस

		६—	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
३—	प्रशिक्षण		सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण		
		१—	संस्कृत, अंग्रेजी भाषा पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	०५ दिवस
		२—	हिन्दी भाषा पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		०३ दिवस
		३—	परिवेशीय अध्ययन पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४—	उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण ।		०३ दिवस
		५—	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण व प्रयोग कार्यशाला		०३ दिवस
		६—	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
४—	प्रशिक्षण		समेकित शिक्षा	नयनित अध्यापक	०५ दिवस

छटवॉ वर्ष :—

क्र०सं०	कार्यक्रम		शीर्षक	प्रतिभागी	दिवस
१—	प्रशिक्षण		सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
		१—	गणित एवं विज्ञान विषय का प्रशिक्षण		१० दिवस
		२—	अंग्रेजी भाषा शिक्षण परीक्षण		०६ दिवस
		३—	शैक्षिक मापन एवं मूल्याकन प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४—	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
	कार्यशाला	५—	पर्यावरणीय संरक्षण कार्यशाला		०३ दिवस
	कार्यशाला	६	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
२—	प्रशिक्षण		प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
		१—	विद्यालयी अभिलेखों का रख—रखाव व प्रभावी ने		०३ दिवस

			तृत्व प्रशिक्षण		
		२–	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		३–	शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग की सुनिश्चितता		०५ दिवस
		४–	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		५–	बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था प्रशिक्षण		०३ दिवस
		६–	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
३–	प्रशिक्षण		सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण		
		१–	गणित विज्ञान प्रशिक्षण		०६ दिवस
		२–	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		०६ दिवस
		३–	नवाचार प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४–	कम्प्यूटर, का शिक्षण में उपयोग पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		०५ दिवस
४–	प्रशिक्षण		समेकित शिक्षा प्रशिक्षण	चयनित अध्यापक	०५ दिवस

<u>सप्तम् वर्ष:–</u>

क्र०सं०	कार्यक्रम		शीर्षक	प्रतिभागी	दिवस
१–	प्रशिक्षण		सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
		१–	गणित एवं विज्ञान विषय का प्रशिक्षण		१० दिवस
		२–	अंग्रेजी भाषा शिक्षण परीक्षण		०६ दिवस
		३–	शैक्षिक मापन एवं मूल्याकन प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४–	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
	कार्यशाला	५–	पर्यावरणीय संरक्षण कार्यशाला		०३ दिवस

	कार्यशाला	६	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
२—	प्रशिक्षण		प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
		१—	विद्यालयी अभिलेखों का रख—रखाव व प्रभावी नेतृत्व प्रशिक्षण		०३ दिवस
		२—	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		३—	शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग की सुनिश्चितता		०५ दिवस
		४—	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		५—	बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था प्रशिक्षण		०३ दिवस
		६—	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
३—	प्रशिक्षण		सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण		२० दिवस
		१—	आदर्श प्रश्नपत्र निर्माण कार्यशाला		०५ दिवस
		२—	सामाजिक विज्ञान व गणित शिक्षण प्रशिक्षण		०५ दिवस
		३—	पाठ्यवार शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण व प्रयोग कार्यशाला		०३ दिवस
		४—	उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था		०३ दिवस
		५—	प्रभावी मूल्यांकन		०३ दिवस
		६—	क्रियात्मक शोध		०२ दिवस

<u>अष्ट्म वर्षः–</u>

क्र०सं०	कार्यक्रम		शीर्षक	प्रतिभागी	दिवस
१–	प्रशिक्षण		सहायक अध्यापकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	३० दिवस
		१–	गणित एवं विज्ञान विषय का प्रशिक्षण		१० दिवस
		२–	अंग्रेजी भाषा शिक्षण परीक्षण		०६ दिवस
		३–	शैक्षिक मापन एवं मूल्याकन प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४–	शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग प्रशिक्षण		०५ दिवस
	कार्यशाला	५–	पर्यावरणीय संरक्षण कार्यशाला		०३ दिवस
	कार्यशाला	६	शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशाला		०३ दिवस
२–	प्रशिक्षण		प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
		१–	विद्यालयी अभिलेखों का रख–रखाव व प्रभावी नेतृत्व प्रशिक्षण		०३ दिवस
		२–	विद्यालय श्रेणीकरण		०३ दिवस
		३–	शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग की सुनिश्चितता		०५ दिवस
		४–	प्रभावी मूल्याकन		०३ दिवस
		५–	बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था प्रशिक्षण		०३ दिवस
		६–	क्रियात्मक शोध		०३ दिवस
३–	प्रशिक्षण		सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण		२० दिवस
		१–	विज्ञान व भाषा का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		०६ दिवस
		२–	शिक्षक सन्दर्भिकाओं का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		०६ दिवस
		३–	नवाचार प्रशिक्षण		०३ दिवस
		४–	परिविषयीय अध्ययन पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		०३ दिवस
		५–	मापन एवं मूल्यांकन		०२ दिवस

अन्य प्रशिक्षण

(१) ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण :—

०–६ वय वर्ग के बच्चों के लिए ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की व्यवस्था का प्रावधान है । इनके लिए कार्यकत्रियों तथ ा सहायिकाओं का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में ४० प्रतिशत समय खेल साम ग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास लगाया जायेगा और इसके अतिरिक्त ५ केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जायेगा।

(२) इसके अतिरिक्त शिक्षा में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक गॉव के ८ सदस्यों को, ि जसमें महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसका अनुमानित बजट ३० रूपये प्रतिदिन के आधार पर निर्धारित होगा।

एस०एस०ए० परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण :—

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टॉफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा।

शिक्षण – समय– प्रबन्धन :—

नई पाठ्य –पुस्तकों की रचना शिक्षकों एवं विशेषज्ञों ने व्यावहारिक कठिनाईयों को दृष्टि में रखकर की है। यदि ह म यह मान लें कि हमारे स्कूल लगभग २२० दिन खुलते हैं अतिरिक्त कार्यो हेतु लगभग ६० दिन निकल जाते हैं तो भी १६ ० कार्य दिवस मिल ही जाते हैं। इसका कुल विवरण इस प्रकार हैं ।

कक्षा १ से ५ तक कुल पाठ लगभग (भाषा किरण, गणित, ज्ञान–विज्ञान, हमारा समाज, हमारा परिवेश)	२५४ पाठ	
कक्षा– ३ से ५ तक अंग्रेजी और संस्कृत लगभग	७२ पाठ	
	३२६ पाठ	

	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
कुल कार्य दिवस (अवकाश के बाद)	२२० दिन	२२० दिन
अतिरिक्त कार्य दिवस (बैठक, अन्य सरकारी कार्य आदि	६० दिन	६० दिन
कक्षा शिक्षण हेतु उपलब्ध दिन	१६० दिन	१६० दिन
कक्षा शिक्षण हेतु कुल वादन	१६० ग ८ वादन	१६० ग ८ वादन
अब प्रत्येक पाठ के लिए मिलने वाला समय	१२८० झ३२६	१२८० झ३२६
	४ वादन लगभग	४ वादन

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत

शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन में डायट की भूमिका :—

१— **अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना :—**

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर जनपद, ब्लॉक, न्याय पंचायत , विद्यालय अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। इसके लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण अनुश्रवण तथा मूल्यॉकन द्वारा विभिन्न स्तरीय कर्मियों की क्षमता का विकास डायट द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त क्रियात्मक शोध नवाचार कार्यक्रमों का सं चालन, शिक्षण अधिगम सामग्री विकास, ई०एम०आई०एस० आंकड़ों का विश्लेषण आदि दायित्वों का निर्वहन डा यट द्वारा किया जायेगा।

२— **क्रियात्मक शोध :—** डायट द्वारा बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक स्वयं अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूढ़ने में सफल हो सकें। जनपदीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप डायट विभिन्न क्षेत्रों जैसे पाठ्यक्रम,

कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, एवं मूल्यांकन आदि में वास्तविक स्थिति का आकंलन कर व्यवहारिक कठिनाईयों के परिपेक्ष में इनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकताओं, शिक्षक प्रशिक्षक, समन्वयकों तक पहुँचाया जायेगा। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

३– कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन :–

विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालाएं व गोष्ठियाँ डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी, अकादमिक कोर टीम, की बैठक भी प्रतिमाह २ बार उप–प्राचार्य की अध्यक्षता में डायट पर आयोजित होगी। जिसमें बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० स्तर से प्राप्त शैक्षिक मुद्दों पर विशेष रूप से विचार विमर्श व समाधान सुझाया जायेगा।

४– वरिष्ठ प्रवक्ताओं /प्रवक्ताओं को ब्लॉक प्रभारी बनाकर उन्हें अपने कार्य के प्रति जवाब देह बनाना :–

डायट द्वारा शैक्षिक सपोर्ट व अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु अपने वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ताओं को मेन्टर नियुक्त किया गया है जो अपने–अपने ब्लॉक में शैक्षिक मुद्दों का पहचान कर शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करते है। बी०आर०सी० का मूल्यांकन व श्रेणीकरण भी उन्हें पर्याप्त आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेगें।

५– शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास :–

शिक्षण को रोचक तथा प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण प्रयोग वं विकास हेतु डायट स्तर पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। शिक्षा–गुणवत्ता उन्नयन वर्ग को उसके उन्नतम आदर्शों की प्राप्ति के लिए डायट प्रत्येक स्तर पर प्रयासरत है। इस हेतु प्राथमिक व उच्च प्रा०

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	—	—
प्राथमिक शिक्षक	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	-	—
उच्च प्रा० शिक्षक	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—

विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता [illegible] शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर सकेंगे।

६— **मूल्यांकन :—**

बच्चों में शैक्षिक , सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी एक प्रणाली का विकास किया गया है। डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर इसका प्रयोग सुनिश्चित कराया जा रहा है।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/प्रोत्साहन की व्यवस्था

क्र०सं०	नाम पुरस्कार/प्रोत्साहन प्राप्तकर्ता	धनराशि
१—	जनपद में सर्वश्रेष्ठ दो बी०आर०सी०	प्रत्येक को रूपये १०,०००.००
२—	प्रत्येक विकास खण्ड का एक सर्वश्रेष्ठ एन०पी०आर०सी०	प्रत्येक को रूपये ७,०००.००
३—	प्रत्येक विकास खण्ड की सर्वश्रेष्ठ एक ग्राम शिक्षा समिति को	प्रत्येक को रूपये ५,०००.००
४—	प्रत्येक विकास खण्ड के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक/शिक्षामित्र को	प्रत्येक को रूपये १,०००.००

पुरस्कार में प्राप्त धनराशि का उपयोग बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण, एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

डायट पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण/कार्यशाला एक दृष्टि में

क्र०सं०	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
१—	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य डी०पी०ओ० स्टाफ, ए०बी०ए स०ए०/एस०डी०आई०, बी०आर०सी० समन्वयक	०४ दिवस
२—	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	१० दिवस
३—	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र/आचार्य जी	
क—	**आधारभूत प्रशिक्षण**		**३० दिवस**
ख—	**पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण**		**२० दिवस**

४—	सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	सेवारत शिक्षक	
क—	आधारभूत प्रशिक्षण		३० दिवस
ख—	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण		२० दिवस
५—	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशक	३० दिवस
६—	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयक	०३ दिवस
७—	ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई०सी०सी०ई०केन्द्र की कार्यकत्रियों तथा सहायिकाऐं	०५ दिवस
८—	ए०बी०एस०ए०, एस०डी०आई० का प्रशिक्षण	ए०बी०एस०ए०, एस०डी०आई०	०५ दिवस
९—	प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक	२० दिवस
१०—	ग्राम शिक्षा—समितियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी०आर०जी० के सदस्य	०३ दिवस
११—	समेकित शिक्षा प्रशिक्षण	सहायक अध्यापक	०५ दिवस
१२—	बालिका शिक्षा हेतु प्रशिक्षण	बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयक	०३ दिवस
१३—	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयक	०३ दिवस
१४—	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयक	०३ दिवस
१५—	उपर्युक्त प्रशिक्षणों के मूल्यांकन विषयक कार्यशाला	बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयक	०२ दिवस

प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन हेतु दिये जाने वाले प्रशिक्षण

अतिरिक्त प्रशिक्षण

क0 सं0	वर्ष	कार्य का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
1	प्रथम	कार्यशाला/सेमिनार	क. आवश्यकताओं का आंकलन	स0अध्यापक,प्र0 अध्यापक, ए0बी0एस0ए0	1 दिवसीय
			ख. शिक्षक अधिगम सहायक सामग्री निर्माण कार्यशाला	समस्त अध्यापक	4 दिवसीय
		प्रतियोगिता	क. आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण	एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी.	1 दिवसीय
			ख. विषय आधारित क्विज	स0अ0	1 दिवसीय
			ग. सुलेख प्रतियोगिता	छात्रों के मध्य	1 दिवसीय
2	द्वितीय	प्रतियोगिता	क. पाठ निर्माण योजना	बी.आर.सी.,एन. पी.आर.सी.	1 दिवसीय
			ख. कविता पाठ	छात्र	1 दिवसीय
3	तृतीय	प्रतियोगिता	क. आदर्श विद्यालय विकास	बी.आर.सी.,एन. पी.आर.सी.	1 दिवसीय

			ख. स्मृति लेख	छात्र	1 दिवसीय
4	चतुर्थ	प्रतियोगिता	क. गणित मेला	स0अ0	1 दिवसीय
			ख. सुलेख	छात्र	1 दिवसीय
			ग. विषयाधारित क्विज	बी.आर.सी.,एन. पी.आर.सी.	1 दिवसीय
5	पंचम	प्रतियोगिता	क. टी.एल.एम. निर्माण	स0अ0	1 दिवसीय
			ख. विज्ञान	छात्र	1 दिवसीय
6	षष्ठम	प्रतियोगिता	क. सामान्य ज्ञान	छात्र	1 दिवसीय
			ख. आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण	बी.आर.सी.एन.पी. आर.सी.	1 दिवसीय
			ग. टीएल.एम. निर्माण	स0अ0	1 दिवसीय
7	सपतम	प्रतियोगिता	क. आदर्श विद्यालय विकास	बी.आर.सी. एन. पी.आर.सी.	1 दिवसीय
			ख. बाल समाचार पत्र व भित्ती चित्र निर्माण	स0अ0	1 दिवसीय
			ग. कला	छात्र	1 दिवसीय

उच्च प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन हेतु दिये जाने वाले प्रशिक्षण

अतिरिक्त प्रशिक्षण

क0 सं0	वर्ष	कार्य का नाम	शीर्षक	प्रतिभागी	अवधि
1	प्रथम	कार्यशाला/सेमिनार	क. आवश्यकताओं का आंकलन	स0अध्यापक,प्र0 अध्यापक, ए0बी0एस0ए0	1 दिवसीय
			ख. शिक्षक अधिगम सहायक सामग्री निर्माण कार्यशाला	समस्त अध्यापक	4 दिवसीय
		प्रतियोगिता	क. आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण	एन.पी.आर.सी. , बी.आर.सी.	1 दिवसीय
			ख. विषय आधारित क्विज	स0अ0	1 दिवसीय
			ग. सुलेख प्रतियोगिता	छात्रों के मध्य	1 दिवसीय
2	द्वितीय	प्रतियोगिता	क. पाठ निर्माण योजना	बी.आर.सी.,एन. पी.आर.सी.	1 दिवसीय
			ख. कविता पाठ	छात्र	1 दिवसीय
3	तृतीय	प्रतियोगिता	क. आदर्श विद्यालय विकास	बी.आर.सी.,एन. पी.आर.सी.	1 दिवसीय

			ख. स्मृति लेख	छात्र	1 दिवसीय
4	चतुर्थ	प्रतियोगिता	क. गणित मेला	स0अ0	1 दिवसीय
			ख. सुलेख	छात्र	1 दिवसीय
			ग. विषयाधारित क्विज	बी.आर.सी.,एन. पी.आर.सी.	1 दिवसीय
5	पंचम	प्रतियोगिता	क. टी.एल.एम. निर्माण	स0अ0	1 दिवसीय
			ख. विज्ञान	छात्र	1 दिवसीय
6	षष्टम	प्रतियोगिता	क. सामान्य ज्ञान	छात्र	1 दिवसीय
			ख. आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण	बी.आर.सी.एन.पी. आर.सी.	1 दिवसीय
			ग. टीएल.एम. निर्माण	स0अ0	1 दिवसीय
7	सपतम	प्रतियोगिता	क. आदर्श विद्यालय विकास	बी.आर.सी. एन. पी.आर.सी.	1 दिवसीय
			ख. बाल समाचार पत्र व भित्ती चित्र निर्माण	स0अ0	1 दिवसीय
			ग. कला	छात्र	1 दिवसीय

अध्याय –10

परियोजना प्रबन्धन :–

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रुप में संचालित की जायेगी । इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी । इस अवधि में 6–14 आयु के सभी बालक बालिकओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा । इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित करने का प्रस्ताव है ।

प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी की यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सकें । समय समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें । इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन–प्रतिदिन कार्यकमों का अनुश्रवण किया जायेगा । आध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी ।

परियोजना की निर्णायक समितियॉ :–

ग्राम शिक्षा समितियॉ :–

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यो के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1672 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गयी है । जिसमें निम्नलिखित सदस्य है ।

समिति का स्वरुप निम्नवत है :–

❖ ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष

❖ ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल :

का मुख्य अध्यापक और यदि वहां 1

से अधिक स्कूल हो तो उनके मुख्य

अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य

सचिव ग्राम शिक्षा समिति होगा ।

❖ बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन संरक्षक : सदस्य

(जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा

नाम निर्दिष्ट किये जायेगें ।

अधिकार एंव दायित्व :–

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का निष्पादन करेगी :–

- पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलो का सम्पादन, उनका प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना ।
- ऐसे बेसिक स्कूलो के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऍ तैयार करना ।
- पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रोढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना ।
- बेसिक स्कूलो, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना ।
- ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिय आवश्यक समझें जायें ।

- पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल केक किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना ।
- बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यो को करना, जिन्हे सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें । उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रुप में कार्य करती रही हैं, जिसमें विद्यालय भवनों, अतिरिक्त कक्षा कक्षों, शौचालय आदि का निर्माण तथा पुनर्निर्माण एंव मरम्मत, विद्यालय परिसर का उन्नयन, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है । ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है तथा विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन में इन समितियों ने आशातीत वृद्धि प्राप्त की है ।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सभी ग्राम शिक्षा समितियो को प्रशिक्षण प्रदान किया गया । प्रशिक्षण ग्राम शिक्षा समिति ने सभी ग्राम सभाओं में माइक्रोप्लानिंग के पश्चात ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया । सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा गॉव स्तर पर विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यो का सम्पादन किया जयेगा । ग्राम शिक्षा समिति को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओ में में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्राथमिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके । कार्यकम में सकिय समुदायिक सहभगिताा बढाने तथा उसे प्रणलीगत स्वरुप प्रदान करने के लिये पी0 टी0 ए0 ,एम0 टी0 ए0 महिला प्रेरक समूह भी स्थापित किये जायेगे ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है शिक्षा मित्रों ,अनुदेशकों, आचार्यो, की नियुक्ति तथा इनके और आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के

वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियो का वितरण ,पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा ।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0 पी0 आर0 सी0):—

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0 पी0 आर0 सी0) के कार्य एंव दायित्व निम्नलिखित है :—

- न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयो का एकेडमिक निरीक्षण करना ।
- अध्यापको की पाक्षिक बैठक करना तथा शैक्षिक कठिनाइयो पर विचार विमर्श , निराकरण करना ।
- ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण ।
- ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से विद्यालयों गुणवत्ता सुधार ।
- न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचाओं का संकलन एंव सूक्ष्म नियोजन ।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :—

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहाकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारित अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी । क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी हैं ।

- ब्लाक प्रमुख – अध्यक्ष
- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0 डी0 आई0 – सदस्य सचिव

➤ विकास खण्ड का एक प्रधान – सदस्य

➤ विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक – सदस्य

अधिकार एंव दायित्व :–

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एंव न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों क कार्यो में समन्वय स्थापित करना । जिला परियोजना समिति के निर्णयो का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकमों का प्रभादी कियान्वयन एंव अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा । यह समिति ग्राम शिक्षा समितियो एंव जिला परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना जे0 जी0 एस0 वाई0 के लिये आंबटित धनराशि में से प्राथमिक शिक्षा के लिये प्राथगिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी । इस समिति की प्रत्येक महीने मे एक बैठक होनी अनिवार्य है ।

प्रशासनिक संगठन – ब्लाक स्तर :–

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यकमों को कियान्वित करायेगें तथा नियमित रुप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेगें । सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना कियान्वयन एंव प्रगति हेतु उत्तरादायी होगें । विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों ,ब्लाक संसाधन केंन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो को मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हे आवश्यक अधिकार एंव सुविधायें प्रदान की जायेगी । विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एंव सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एंव उत्तरदायित्व होगा । सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होगें ।

प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होगें :–

- ✓ एस0 एस0 ए0 की नितियो एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ।
- ✓ विद्यालय भवन निर्माण का पर्यवेक्षण ।
- ✓ ग्राम शिक्षा समितियो को प्रभावी बनाना ।
- ✓ ब्लाक परियोजना समिति की बैठक में उसके निर्णयो का पालन ।
- ✓ शैक्षिक ऑकडो का एकत्रिकरण ।
- ✓ छात्रवृति वितरण ।
- ✓ खाद्यान्न वितरण तथा सूचना संकलन ।
- ✓ विद्यालय के सभी बच्चो को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण ।
- ✓ विद्यालय निरीक्षण तथा गुणवत्ता में सुधार ।
- ✓ विद्यालय में मानक के अनुसार छात्र अध्यापक अनुपात बनाये रखना तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षा मित्रो की नियुक्ति ।
- ✓ ग्राम तथा ब्लाक शिक्षा समितियेा के बीच समन्वय ।
- ✓ अध्यापको के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा भुगतान सुनिश्चित करना ।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0 आर0 सी0):–

जनपद में 6 ब्लाको में ब्लाक संसाधन केन्द्रो के भवनो का निर्माण पूरा होने को है । समन्वयको की नियुक्ति एंव प्रशिक्षिण भी हो चुके है दो सहसमन्वयको में से एक सहसमन्वयक को सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के

परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण के, सूचना संकलन ,सांख्यिक संकलन ,बैठको के आयोजन व अनुश्रवण हेतु सम्बद्ध किया गया है ।

कार्य एंव दायित्व :–

- अध्यापको को अभिनवीकरण देना ।
- विद्यालयो का एकेडमिक पर्यवेक्षण ।
- विकास खण्ड की एकेडमिक आवश्यकताओ का आंकलन करना ।
- ब्लाक स्तर पर ए0 आर0 जी 0 गठन ।
- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र व डायट के बीच सर्म्पक सूत्र के रुप
- ब्लाक स्तर अधिकारियो व अन्य विभागीय अधिकारियो के बीच समन्वय ।
- विकास खण्ड में स्कूल के बाहर बच्चो का बस्तिवार व नामवार कम्पयूटर संकलन ।
- ब्लाक की सांख्यिकी का एकत्रिकरण व सैम्पेल चैकिगं

जनपद स्तरीय समितिः–

एस0 एस0 ए0 के अर्न्तगत नीति एंव रणनीतियों क निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति है जिसकी समिति का गठन निम्नवत है :–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
4.	प्राचार्य डायट	सस्दय

5. जिला श्रम अधिकारी सस्दय

6. जिला समाज कल्याण अधिकारी सस्दय

7. वित एंव लेखधिकारी बे0 शि0 सस्दय

8. अधिशासी अभियंता (आर0 ई0 एस0) सस्दय

9. अधिशासी अभियंता (पी0 डब्ल्यू0 डी0) सस्दय

10. जिला विद्यालय निरिक्षक सस्दय

11. दो शिक्षाविद्(महाविद्यालय से) सस्दय

12. दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला कम में (एक वर्ष के लिये)

13. दो शिक्षक (राष्ट्यि /राज्य पुररकार प्राप्त)

14. स्वैच्छिक संगठन क दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्व :–

यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है । जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओ के अन्तर्गत रहते हुये इसे सभि निर्णय लेने का अधिकार है । रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एंव जनसहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध मे इसके निर्णय सभी प्राशसनिक एंव शैक्षिक अगों का मनने होगें । प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवर्धन,निर्माण के लिये तकनीकी पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओ का निर्धारण एंव प्रचार–प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे । यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी । जनपद में ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ईव से सम्बन्धित प्रस्तावो का अनुमोदन तथा कार्यकम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा ।

प्रशासनिक तन्त्र – जिला परियोजना कार्यालय :–

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रुप में कार्य करेगें । राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एंव कार्यक्रमों का प्रभावी कियावन्यन, उसका दायित्व होगा । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमो का कियान्वयन करेगें । इस कार्य मे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी । जिसमें आवश्यकस्टाफ के पद उ0 प्र0 सभी शिक्षा परिषद के नियमो के अनुसार सृजित कर तैनाती की जायगी ।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एंव कर्मचारी होगें :–

- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी — पदेन जिला परियोजना अधिकारी
- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी — 1 (प्रतिनियुक्ति पर) (ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0)
- समन्वयक (बालिका शिक्षा, सामुदायिक गतिशीलता, वैकल्पिक शिक्षा, समेकित शिक्षा) — 4 (प्रतिनियुक्ति पर अथवा नियत मानदेय के आधार पर)
- सलाहाकार — 2 रु0 10,000/– नियत वेतन प्रति पद
- कम्प्यूटर आपरेटर — 1 रु0 7,000/– नियत वेतन प्रति पद
- सहायक लेखाधिकारी — 1 (प्रतिनियुक्ति पर)
- लिपिक — 1 नियत मान देय के आधार पर
- परिचारक — 1 नियत मानदेय के आधार पर

एजूकेशनल मेनेजमेण्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्मः–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यक्रम में एम0 आई0 एस0 स्थापित किया जायेगा बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0 आई0 एस0 डाटा कैप्चर प्रणाली व प्राइमरी स्तर का साफ्ट वेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है । उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी ।

प्रशिक्षणः–

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0 आर0 सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0 एम0 आई0 एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेक्षण आदि की जानकारी दी जायेगी । इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी ऑकड़ें के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण दिया जायेगा । जिससे आकडों की शुद्धता की जॉच हो सके ।

- ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर) यह प्रतिशत दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी तथा उसका स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर ,लेखा स्टाफ भाग लेगा ।
- ई0 एम0 आई0 एस0 (ब्लाक स्तर पर) यह प्रशिक्षण भी दो दिवसीय होगा और इसमें सहा0 बे0 शि0 अ0/उप विद्या0 निरिक्षण, बी0 आर0सी0 समन्वयक, सह समन्वयक प्रतिभागी होगें ।
- ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण यह प्रशिक्षण भी दो दिवसीय होगा इसमें न्याय पंचायत

न्याय पंचायत स्तर पर संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक भाग लेंगे ।

- ई0 एम0 आई0 एस0 तथा प्रोजैक्ट मैनेजमैन्टका प्रशिक्षण — एस0 पी0 ओ0 /सीमेट द्वारा यह प्रशिक्षण दो सप्ताह का होगा इसमें डी0 पी0 ओ0 तथा बी0 आर0 सी0 के कम्प्यूटर आपरेटरर्स भाग लेगें । प्रथम सप्ताह में ई0 एम0 आई0 एस0 प्रबन्धन तथा दूसरे सप्ताह में प्रोजेक्ट मैनेजमैन्ट इन्डीकेटर्स तथा सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायगा।

ऑकडो का उपयोग :--

ई0 एम0 आई0 एस0 व माइक्रोप्लानिंग ऑकडो का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जा सकेगा।

- नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान ।
- शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियो की प्राथमिकता का निर्धारण ।
- छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्रुप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान ।
- एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण ।
- छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
- बलिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों, न्याय पंचायतों निकायों का चिन्हीकरण ।
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन ।
- अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आकलन व निर्धारण ।

- शिक्षकों का वितरण ।
- विभिन्न स्तरो पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर ।
- विकलांगतावार आंकडो के अनुसार उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ।

प्रोजैक्ट मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम्स :–

एम0 आई0 एस0 के द्वारा जनपद मे परियोजना कार्यक्रमों के कियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रम में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबधन प्रणाली विकसित की जा रही है , जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग में लाया जायेगा । इसके लिये भी एम0 आई0 एस0 इकाई प्रयोग में लायी जायेगी ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो आफ फण्ड)

प्रतिवर्ष फरवरी में जनपद अपनी वार्षिक कार्य योजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तावित करेगा । सीमेंट के एप्रेजल के पश्चात तथा उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्य योजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा घनराशि जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा प्रशिक्षिण संस्थान को अवमुक की जायेगी । प्रशिक्षण अकादमिक ,पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु

धनराशि डायट द्वारा बी0 आर0 सी0 , एन0 पी0 आर0 सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा ,आदि अन्य कार्यक्रमो के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे ग्राम शिक्षा समिति , स्वयंसेवी संस्थाओं , अध्यापकों आदि को सीधे खाते के माध्यम से हस्तान्त्रित की जायेगी ।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता रहेगा जो प्री0 प्रोजैक्ट एक्वीविटिज की धनराशि के लिये खोला जा चुका हे यह खाता बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रुप ये प्रचालित किया जायेगा । सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय संदर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिर्धारित है । अतः रु0 5,000 /– मूल्य से अधिक सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है । इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है । डायट का बैंक खाता भी डायट प्राचार्य तथा उस सस्थान के लेखा सम्बन्धित अधिकारी , कर्मचारी द्वारा संयुक्त रुप से संचालित होगा । ब्लाक संस्थान केन्द्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के स्तर पर भी परियोजना सम्बन्धी खाता खुला है जिसका परिचालन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परिषद के नियमो के अनुसार किया जा रहा है । वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के नियम स्पष्टतः निर्धारित है परचेज तथा प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सदर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो इस परियोजना में भी अपनाये जायेंगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा में यदि कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी समस्त लेखा सम्बन्धी स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली में प्रथम वर्ष में प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय–2 पर रीफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे । जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फण्ड फ्लो डाइग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय

- जिला परियोजना कार्यालय
  1. बी0 आर0 सी0 एंव एन0 पी0 आर0 सी0
  2. ग्राम शिक्षा समिति
  3. अध्यापक
  4. स्वयं सेवी संस्थाये
- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
  - बी0 आर0 सी0 एंव एन0 पी0 आर0 सी0

सम्प्रेक्षण व्यवस्था :-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों मे लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डैपेन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से किया जायेगा । यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा । चार्टर्डएकाउन्टैन्ट का चयन व टमर्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा ।

राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रति वर्ष किया जायेगा ।

राज्य परियोजना कार्यालय लखनउ द्वारा भी समय समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी ।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। • पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	• विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। • ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के घुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठया का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रेल केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

Annual WOrk Plan and Budget

BAGHPAT

(In thousands)

		Heads/Sub Heads Activity	Unit	2003-2004	
			Cost	Phy	Fin
	A	ACCESS			
CW-13	A1	New Primary School Unserved	259	11	2849
CW-14	A2	New Upper Primary Schools	451	25	7000
ST-75	A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0
ST-76	A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	39	4680
	A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04	2.25	11	148.5
ST-79	A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04	9	11	594
ST-80	A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)	10	75	4500
	A8	Teaching Learning Equipment		0	
TLE-87	A8.1	PS	10	11	110
TLE-88	A8.2	UPS	50	25	1250
TLE-88a	A9	TLE UPS not covered OBB	50	0	0
	A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0
		Total		0	21131.5
		Interventions for out of school children		0	
	A11	Alternative Schools		0	
EGS	A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.845	0	0
EGS	A11.2	Honraria	1	0	0
EGS	A11.3	Training	1.5	0	0
EGS	A11.4	Contingency	0.468	0	0
EGS	A11.5	Equipment	1.76	0	0
EGS	A11.6	Adm. & Management Cost	6.056	0	0
AIE-31	A12	AIE/ Primary-including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.845	0	0
AIE-32	A13	AIE Upper Primary	1.2	18	648
	A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0
AIE-33	A15	Bridge/Remedial course PS	180	1	180
AIE-32.1	A16	Bridge Course at NPRC level	0.845	46	1554.8
	A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.35	0	0
Cw-25	A18	Updation Of Microplanning	250	0	0
		ACCESS Subtotal		0	23514.30
	R	RETENTION		0	
Cw-19	R1	Reconstruction - PS	191	0	0
Cw-20	R2	Reconstruction - UPS	383	0	0
	R3	Additional Classrooms		0	
Cw-15	R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0
CW-16	R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	4	280
Cw-18	R4.1	Toilets Upper Primary	10	9	90
Cw-17	R4.2	Toilets Primary	10	0	0
Cw-21	R5.1	Drinking Water Primary	15	0	0
Cw-22	R5.2	Drinking Water Upper Primary	15	0	0
MAIN-57	R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	454	2270
Main-58	R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	75	375
ST-77	R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0
ST-78	R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0
ST-81	R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0
ST-82	R7.4	Salary of Fresh SM(PS)	2.25	0	0
ST-83	R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0
SG-73	R10.1	School Improvement grant(p.a /school) Ps	2	20	40
SG-74	R10.2	School Improvement grant(p.a /school) UPs	2	168	336
IA-GE	R12	Promoting Girls Education		0	0
	R12.1	Summer Camps	4.5	0	0
	R12.2	MCDA	75	0	0
	R12.3	Meena Manch	4	0	0
	R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0
	R12.5	Trg.-Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0
		Opening of ECCE centers		0	
	R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0
IA-ECCE	R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	
	R13.2	TLM(per center)	5	0	0
	R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.375	0	0
	R13.4	Contingency(per center)	1.5	0	0
	R13.5	Training		0	
	R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0
	R16	Community Mobilization		0	
	R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0
	R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0
S-VEC-92	R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day	0.48	0	0
	R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0
	R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0
IA_SC/ST	R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	0
IA-CE	R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	10	5000
	R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0
		RETENTION Sub Total		0	8391
	Q	QUALITY IMPROVEMENT		0	
	Q1	Training Programmes		0	
TT-89	Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	11	23.1
TT-90	Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	0	0
TT-90	Q1.3	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	69	96.6
TT-91	Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	436	457.8
TT-90	Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0
	Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0
TT-90	Q1.7	Trg Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0
TT-90	Q1.8	Trg Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0
	Q1.9	Trg Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0
	Q.10	ASSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0
IED	Q2	IED Provision for disable children	1.2	1036	1243.2
	Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0
	Q2.2	Printing of Modules	9	0	0
	Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0

	Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0
	Q2.5	Support Services	5	0	0
	Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0
	Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0
	Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0
	Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0
	Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0
	Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0
	Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0
	Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0
	Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0
	Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0
	Q5	Teacher Learning Material		0	
TG-84	Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	160	80
TG-85	Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1156	578
FTB-34	Q5.3	Free Text book PS	0.05	4770	238.5
FTB-35	Q5.4	Free Text book UPS	0.15	11763	1764.45
	Q5.5	School Library	0.15	0	0
	Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0
	Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0
	Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0
	Q5.9	Schools Awards	25	0	0
		QUALITY Sub Total		0	4481.65
	C	CAPACITY BUILDING		0	
S-DIET	C1	DIET Capacity Building		0	
S-DIET	C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0
S-DIET	C1.2	Telephone/Fax	40	0	0
S-DIET	C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0
S-DIET	C1.4	Educational Tour & Survey	20	0	0
S-DIET	C1.5	Travelling Allowance	50	0	0
S-DIET	C1.6	Hiring	25	0	0
S-DIET	C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0
S-DIET	C1.8	Seminar	200	0	0
S-DIET	C1.9	Research/Action Research	200	0	0
S-DIET	C1.10	Exposure Visit	50	0	0
S-DIET	C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0
S-DIET	C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0
S-DIET	C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0
S-DIET	C1.14	Contingency	50	0	0
	C2	Block Resource Center		0	
	C2.1	Civil Construction	800	0	0
	C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0
BRC-1	C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0
	C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0
BRC-2	C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0
BRC-3	C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	6	36
BRC-4	C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0
BRC-5	C2.8	Maintenace of Building	10	0	0
BRC-6	C2.9	TLM(per center)	5	6	30
	C2.10	Consumables	5.0	0	0
BRC-7	C2.11	Contigency	12.5	6	75
	C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0
	C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0
	C3	School Complex (NPRC)		0	0
	C3.1	Construction	70	0	0
CRC-9	C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0
CRC-8	C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0
CRC-10	C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	46	46
CRC-11	C3.4	Contingency	2.5	46	115
CRC-12	C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	46	110.4
DPO	C4	District Project Office/Management		0	0
DPO	C4.1	Staffing		0	0
DPO	C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0
DPO	C4.3	Salary of AE	15	1	180
DPO	C4.4	Equipment Maintenance	30	1	30
DPO	C4.5	Furniture/Fixtures	30	1	30
DPO	C4.6	Books/Magazine/News papers	10	1	10
DPO	C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0
DPO	C4.8	Travelling Allowances	10	7	70
DPO	C4.9	Consumaables	40	1	40
DPO	C4.10	Telephone/FAX	30	1	30
DPO	C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	1	100
DPO	C4.12	Pay to JE	10	6	720
DPO	C4.13	Hiring of Vehicle	10	1	10
RME-71	C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.5	0	0
RME-72	C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	88	123.2
DPO	C4.16	Contingency	100	1	100
DPO	C4.17	AWP & B	10	1	10
		Total		0	1865.6
	C5	MIS		0	
EMIS	C5.1	MIS Cell Furnishing	200	1	200
	C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0
	C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0
	C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0
	C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0
	C5.6	Computer Software	20	0	0
	C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0
	C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0
	C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0
	C5.10	Computer Consumable	25	0	0
	C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0
	C5.12	Monitoring; Management & Collection of Formats	25	0	0
		CAPACITY Sub Total		0	2065.6
		GRAND TOTAL		0	38452.55

SARVA SHIKSHA ABHIYAN
BAGHPAT

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	11	2849	0	0	4	1024	0	0	15	3873
A2	New Upper Primary Schools	451	13	5863	25	7000	0	0	4	1120	0	0	42	13983
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	39	3960	39	4680	39	4680	39	4680	39	4680	195	22680
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	11	148.5	11	272.25	15	371.25	15	371.25	52	1163.25
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	11	594	11	1188	15	1620	15	1620	52	5022
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	75	4500	75	9000	87	10440	87	10440	324	34380
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	11	110	0	0	4	40	0	0	15	150
A8.2	UPS	50	22	1100	25	1250	0	0	4	200	0	0	51	2550
A9	TLE UPS not covered OBB	50	46	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	46	2300
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**13223**	0	**21131.5**	0	**15340.25**	0	**19695.25**	0	**17311.25**		**86701.25**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	73	1542.125	73	1542.125	73	1542.125	219	4626.375
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	AIE Primary (Building all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.85	0	0	0	0	57	1204.125	57	1204.125	57	1204.125	171	3612.375
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	18	648	18	648	18	648	18	648	72	2592
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	2	120	2	120	2	120	6	360
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	46	1554.8	42	1419.6	42	1419.6	42	1419.6	172	5813.6
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**13223.00**	0	**23514.30**	0	**20704.10**	0	**25059.10**	0	**22675.10**	**0**	**105175.60**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	10	1910	15	2865	20	3820	45	8595
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	0	0	5	1915	5	1915	10	3830	20	7660
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	50	3500	50	3500	50	3500	150	10500
R3 2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	12	840	4	280	5	350	5	350	5	350	31	2170
R4.1	Toilets Upper Primary	10	0	0	9	90	12	120	25	250	25	250	71	710
R4.2	Toilets Primary	10	14	140	0	0	100	1000	50	500	50	500	214	2140
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	10	180	10	180	10	180	30	540
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	5	90	5	90	5	90	15	270
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	454	2270	454	2270	478	2390	482	2410	1868	9340
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	75	375	75	375	75	375	115	575	119	595	459	2295
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	0	0	97	2400.75	118	2920.5	215	5321.25
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	26	2496	52	4992	79	7584	157	15072
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	0	0	97	2400.75	21	519.75	21	519.75	139	3440.25
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	20	40	478	956	482	964	482	964	1462	2924
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	75	150	168	336	192	384	196	392	196	392	827	1654
R12	**Promoting Girls Education**		0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	6	27	6	27	6	27	18	81
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	5	375	5	375	5	375	15	1125
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	10	40	10	40	10	40	30	120
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	46	128.8	46	128.8	46	128.8	138	386.4
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	46	230	46	230	46	230	138	690
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	6	30	6	30	6	30	18	90
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	2212	0	0	1	66.7	1	66.7	1	66.7	3	2412.1
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	10	5000	6	360	6	360	6	360	28	6080
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	50	125	50	125	50	125	150	375
	RETENTION Sub Total		0	**4655**	0	**8391**	0	**19379.3**	0	**23316**	0	**29337.75**	**0**	**85079**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	11	23.1	26	54.6	30	63	27	56.7	94	197.4
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	69	138.6	0	0	1569	3294.9	1585	3328.5	1569	3294.9	4792	10056.9
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	370	518	69	96.6	1826	2556.4	156	218.4	1883	2636.2	4304	6025.6
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	436	457.8	285	299.25	297	311.85	297	311.85	1315	1380.75
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	196	274.4	200	280	200	280	596	834.4
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	130	273	130	273	130	273	390	819
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	18	12.6	18	12.6	18	12.6	54	37.8
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	46	32.2	46	32.2	46	32.2	138	96.6
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	30	42	30	42	30	42	90	126
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	6	2.1	6	2.1	6	2.1	18	6.3
Q2	IED Provision for disable children	1.2	613	245.2	1036	1243.2	1203	1443.6	1339	1606.8	1481	1777.2	5672	6316
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2 9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	2	5	2	5	2	5	6	15
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2	3	6
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	160	80	1996	998	2004	1002	2004	1002	6164	3082
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	436	218	1156	578	803	401.5	815	407.5	815	407.5	4025	2012.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	4770	238.5	48091	2404.55	52900	2645	58190	2909.5	163951	8197.55
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	5154	773.1	11763	1764.45	13763	2064.45	14763	2214.45	15763	2364.45	61206	9180.9
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1710	25650	1710	25650	1710	25650	5130	76950
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	345	2587.5	345	2587.5	345	2587.5	1035	7762.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	**1892.9**	0	**4481.65**	0	**42448.05**	0	**40733.9**	0	**43696.7**		**133253.2**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	1	60	0	0	0	0	1	60
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vehicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	12	576	12	576	12	576	36	1728
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	6	864	6	864	12	1728
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	12	792	12	792	24	1584
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	6	36	6	36	6	36	6	36	24	144
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	6	30	6	30	6	30	6	30	24	120
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	0	0	6	75	6	75	6	75	6	75	24	300
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3 2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	46	6624	46	6624	92	13248
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	46	46	46	46	46	46	46	46	184	184
C3 4	Contingency	2.5	0	0	46	115	46	115	46	115	46	115	184	460
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2 4	0	0	46	110.4	46	110.4	46	110.4	46	110.4	184	441.6
C4	District Project Office/Management		13	726	0	0	0	0	0	0	0	0	13	726
C4 1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	0	0	7	1260	7	1260	14	2520
C4.3	Salary of AE	15	0	0	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
C4 4	Equipment Maintenance	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4 7	POL För ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4 8	Travelling Allowances	10	0	0	7	70	7	70	10	100	10	100	34	340
C4.9	Consumaables	40	0	0	1	40	1	40	1	40	1	40	4	160
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4 12	Pay to JE	10	0	0	6	720	6	720	6	720	6	720	24	2880
C4.13	*Hiring of Vehicle*	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	97	135.8	88	123.2	0	0	0	0	0	0	185	259
C4.16	Contingency	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.17	AWP & B	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
	Total		0	**861.8**	0	**1865.6**	0	**3253.4**	0	**12763.4**	0	**12763.4**		**31507.6**
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	1	200
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	0	0	1	144	1	144	2	288
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	0	0	1	90	1	90	2	180
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	0	0	2	40
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	0	0	1	40	1	40	2	80
C5.9	Maint. of Equip & Consumables	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	0	0	1	25	1	25	2	50
C5.11	Training Of Computer Staff	10	0	0	0	0	0	0	1	10	1	10	2	20
C5 12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAPACITY Sub Total		0	851.8	0	2065.6	0	3373.4	0	13162.4	0	13142.4	0	32605.6
	GRAND TOTAL		0	20632.7	0	38452.65	0	85904.80	0	102271.40	0	108851.95	0	356113.40

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention BAGHPAT

	2002-03	2003-04	20001-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	6843.0	10219.0	9065.0	11794.0	12520.0	50441.0
Management	135.8	1453.2	1450.0	3019.0	2999.0	9257.0
Programms	13653.9	26780.4	75389.8	87458.4	93333.0	296415.4
Total	20632.7	38452.6	85904.8	102271.4	108852.0	356113.4
Percentage - Civil	33.2	26.6	10.6	11.5	11.5	14.2
Percentage - Management	0.7	3.8	1.7	3.0	2.8	2.6
Percentage - Programme	66.2	69.6	87.8	85.5	85.7	83.2
Percentage - Total	100	100	100	100	100	100